



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082020-221041
CG-DL-E-10082020-221041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942

No. 05]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त 2020

नियम

का.नि.आ. 05(अ).—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित कोर्सों में प्रवेश हेतु 08 नवंबर 2020 को एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2020 आयोजित की जाएगी :

कोर्स का नाम	रिक्तियों की संभावित संख्या
(1) भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, जुलाई, 2021 में प्रारंभ होने वाला 151 वां (डी ई) कोर्स	100 {एनसीसी 'सी' (सेना स्कंध) प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 13 रिक्तियां सम्मिलित हैं}
(2) भारतीय नौसेना अकादमी, इज़ीमाला, जुलाई, 2021 में प्रारंभ होने वाला कार्यपालक शाखा (सामान्य सेवा) / हाइड्रो	26 {एनसीसी 'सी' (नौसेना स्कंध) प्रमाण-पत्र धारकों के लिए 06 रिक्तियों सहित (एनसीसी विशेष प्रविष्टि के माध्यम से)}
(3) वायु सेना अकादमी, हैदराबाद, जुलाई, 2021 में प्रारंभ होने वाले उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स अर्थात् नं. 210 एफ पी कोर्स	32 {एनसीसी 'सी' (वायुसेना स्कंध) प्रमाण-पत्र धारकों के लिए 3 आरक्षित रिक्तियों सहित (एनसीसी विशेष प्रविष्टि के माध्यम से)}
(4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 114 वां एसएससी (पुरुष)	169

कोर्स (एनटी) (यूपीएससी) अक्टूबर, 2021 में आरंभ।	
(5) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 28 वां एसएससी (महिला) गैर तकनीकी (कोर्स) (यूपीएससी) अक्टूबर, 2021, में आरंभ।	17

टिप्पणी : (i) आयोग यदि चाहे तो उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

टिप्पणी : (ii) उपरोक्त रिक्तियां अनुमानित हैं तथा सेवा मुख्यालय द्वारा किसी भी समय बदली जा सकती हैं।

ध्यान दें : (I)(क) उम्मीदवार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के संबंधित कॉलम में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि वह सेवाओं को अपने वरीयता क्रम में किस-किस पर विचार किए जाने के इच्छुक हैं, पुरुष उम्मीदवारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वह नीचे पैरा (ख) एवं (ग) में बताई गई शर्तों के अनुसार जितनी वरीयता के इच्छुक हों उन सभी का उल्लेख करें, ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को देखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर यथोचित विचार किया जा सके।

चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओ.टी.ए.) के लिए पात्र हैं, उन्हें केवल ओ.टी.ए. को ही अपनी प्रथम तथा एकमात्र वरीयता देनी चाहिए।

(ख) (i) यदि कोई पुरुष उम्मीदवार केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना) के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को ही अपने विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए तथापि अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम के साथ-साथ भारतीय सैन्य अकादमी तथा वायु सेना अकादमी के लिए स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम के प्रतियोगी पुरुष उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपने अंतिम विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार द्वारा उच्च वरीयता दिए जाने पर भी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अंतिम विकल्प माना जाएगा।

(ख) (ii) चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओ.टी.ए.) में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) के लिए ही पात्र है। उन्हें ओ.टी.ए. को ही अपनी प्रथम तथा एकमात्र वरीयता देनी चाहिए।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार, वायु सेना अकादमी (ए एफ ए) को ही अपना प्रथम विकल्प दर्शाएँ क्योंकि केंद्रीय संस्थापना/उड़ान चिकित्सा संस्थान में उनके लिए कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सी पी एस एस) तथा/अथवा वायु सेना चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया जाएगा। वायु सेना अकादमी को द्वितीय/तृतीय आदि विकल्प दर्शाए जाने की स्थिति में उसे अमान्य समझा जाएगा।

(घ) उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीचे ध्यान दें: (II) में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त उन्हें केवल उन कोर्सों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए उसने अपनी वरीयता दी होगी और अन्य किसी कोर्स (कोर्सों) के लिए नहीं।

(ङ.) किसी भी उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं को बढ़ाने/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार दी गयी वरीयता में परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी वरीयता पर भी तभी विचार किया जाएगा जब सेना मुख्यालय द्वारा उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दी गयी हो। जब उम्मीदवार को पहली वरीयता दी गयी हो तथा उम्मीदवार ने उसे लेने से इंकार कर दिया हो तो नियमित कमीशन प्रदान करने हेतु अन्य वरीयताओं के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

ध्यान दें : (II) भारतीय सैन्य अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्सों के बचे हुए उम्मीदवार अर्थात् इस परीक्षा के अंतिम परिणाम के आधार पर स्थाई कमीशन प्राप्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिनकी सिफारिश की गयी है लेकिन जिन्हें किन्हीं कारणों से इन कोर्सों में शामिल नहीं किया जा सकता है यदि वे बाद में अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने के लिए विचार योग्य हो सकते हैं, चाहे उन्होंने अपने आवेदन प्रपत्रों में इस कोर्स के लिए अपनी वरीयता नहीं बताई है :

- (i) यदि अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए प्रतियोगी सभी उम्मीदवारों को लेने के बाद भी कमी है और
- (ii) जो उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन हेतु वरीयता व्यक्त न करने पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं उन्हें वरीयता सूची के क्रम में उस अंतिम उम्मीदवार के बाद रखा जाएगा जिसने इस कोर्स के लिए अपना विकल्प दिया हुआ था क्योंकि ये उम्मीदवार उस कोर्स में प्रवेश पा सकेंगे जिसके लिए वे व्यक्त वरीयता के अनुसार हकदार नहीं हैं।
- (iii) वायु सेना को अपने प्रथम तथा एकमात्र विकल्प के रूप में चुनने वाले ऐसे उम्मीदवार, जो कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एण्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में विफल रहते हैं उन्हें एसएससी (ओटीए) प्रदान करने हेतु विचारार्थ शेष उम्मीदवारों को श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यदि ऐसे उम्मीदवार एसएससी (ओटीए) हेतु विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे ओटीए के लिए भी अपना विकल्प दें।

टिप्पणी - (I) : एनसीसी [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध] के 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवार अल्पकालिक सेवा कमीशन कोर्सों की रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। चूंकि उनके लिए इस कोर्स में कोई आरक्षण नहीं है, अतः इस कोर्स में रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह ही समझा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी एनसीसी में 'सी' प्रमाण-पत्र [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध] की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किंतु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के लिए पात्र हों, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। किन्तु उन्हें एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध] की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय/महानिदेशक भर्ती (भर्ती ए) सीडीएसई एण्ट्री, (एसएससी पुरुष उम्मीदवार और एसएससी महिला एण्ट्री, महिला उम्मीदवारों के लिए) वेस्ट ब्लॉक - III, आरके पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3 (ए)/वायुसेना मुख्यालय, जे ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110106 को 13 मई 2021 तक पहुंच जाएं। आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पात्रता हेतु उम्मीदवार ने राष्ट्रीय कोर में जो सेवा की हो वह सीनियर डिवीजन सेना स्कंध वायु सेना/नौसेना स्कंध में 3 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और आयोग के कार्यालय में आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को उसे राष्ट्रीय कैडेट कोर से मुक्त हुए भारतीय सैन्य अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्स के लिए 24 मास से अधिक न हुए हों।

टिप्पणी - (II) : भारतीय सैन्य अकादमी कोर्स/वायु सेना अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स में एनसीसी (सेना स्कंध/सीनियर डिवीजन/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध) के 'सी' प्रमाण-पत्र धारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त इन उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर उपर्युक्त कोर्सों में प्रवेश दिया जाएगा।

(क) परीक्षा की योजना स्तर और पाठ्यविवरण, (ख) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश तथा (ग) भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना क्रमशः परिशिष्ट - I, II और III, में विस्तार से समझाए गए हैं।

2. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रीयता : उम्मीदवार अविवाहित होना चाहिए और या तो

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा हो, या
3. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मालावी, जैरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन करके आया हो।

परंतु उपर्युक्त वर्ग 2 और 3 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो।

लेकिन नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे उक्त परीक्षा में इस शर्त पर अंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले दे दिया जाए।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति:-

(1) भारतीय सैन्य अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 02 जुलाई 1997, से पहले का तथा 01 जुलाई, 2002 के बाद का न हो।

(2) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 02 जुलाई 1997, से पहले का तथा 01 जुलाई, 2002 के बाद का न हो।

(3) वायु सेना अकादमी के लिए :

केवल वे उम्मीदवार पात्र हैं जो 01 जुलाई, 2021 को 20 से 24 वर्ष के हैं अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1997 से पहले और 01 जुलाई 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए डीजीसीए (भारत) द्वारा जारी वैध एवं वर्तमान वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस धारकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष तक शिथिलनीय है अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02 जुलाई, 1995 से पहले और 01 जुलाई 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए।

नोट: 25 वर्ष की आयु से कम के उम्मीदवार अविवाहित होने चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। 25 वर्ष की आयु से अधिक वाले विवाहित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं परन्तु प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें न ही विवाहित अधिकारियों हेतु निर्धारित आवास दिया जाएगा और न ही वे परिवार के साथ बाहर रह सकते हैं।

(4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (पुरुषों के लिए एसएससी गैर-तकनीकी कोर्स): केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं, जिनका जन्म 02 जुलाई 1996 से पहले का तथा 01 जुलाई 2002 के बाद का न हो।

(5) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (महिलाओं के लिए एसएससी गैर-तकनीकी कोर्स): अविवाहित महिलाएं, संतानहीन विधवाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, तथा संतानविहीन तलाकशुदा महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, (तलाक के कागजात होने पर) पात्र हैं। इनका जन्म 02 जुलाई, 1996 से पहले का तथा 01 जुलाई 2002 के बाद का न हुआ हो।

नोट : तलाकशुदा/विधुर पुरुष उम्मीदवार आईएमए/आईएनए/एएफए/ओ.टी.ए., चैन्नई कोर्सों में प्रवेश के लिए अविवाहित पुरुष नहीं माने जाएंगे और तदनुसार वे इन कोर्सों के लिए पात्र नहीं हैं।

आयोग जन्म की वह तिथि स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और यह उदाहरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या

मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से संबंधी उदाहरण, सेवा अभिलेख तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

‘अनुदेशों के इस भाग में आए हुए मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र’ वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं। कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्थान के हैड मास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए, जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

टिप्पणी - 1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी - 2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें परिवर्तन या बाद की किसी अन्य परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी - 3 : उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि यदि उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(1) भारतीय सैन्य अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चैन्नई के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।

(2) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग में डिग्री।

(3) वायु सेना अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (10+2 स्तर तक भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक।

थल सेना/नौसेना/वायु सेना की पहली वरीयता वाले स्नातकों को ग्रेजुएशन के प्रमाण के रूप में स्नातक/अंतिम प्रमाण पत्र सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के दिन सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे।

जो उम्मीदवार अंतिम वर्ष/सेमेस्टर डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करना अभी शेष है, वे भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय तक उम्मीदवार के पास अंतिम सेमेस्टर/वर्ष जिनके लिए परिणाम घोषित किए गए हैं, हेतु कोई मौजूदा बैकलॉग नहीं होना चाहिए और उन्हें कोर्स के प्रारंभ होने के समय डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जो एकीकृत, मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) मुख्यालय, सीडीएसई एंट्री, पश्चिमी ब्लॉक – III आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ3 (ए)/वायु सेना मुख्यालय, जे ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110 106 को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाए, जिसके न पहुंचने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी:-

(1) भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रवेश हेतु 01 जुलाई, 2021 को या उससे पहले, भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश हेतु 01 जुलाई, 2021 को या उससे पहले तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश हेतु 13 मई 2021 को या उससे पहले।

(2) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश के लिए 01 अक्टूबर, 2021 तक या उससे पहले।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है, जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर आयोग के विचार में, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो।

टिप्पणी 1: जिन उम्मीदवारों को अभी उनकी डिग्री परीक्षा पास करनी शेष हो, उन्हें तभी पात्र माना जाएगा जब वे डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों। जिन उम्मीदवारों द्वारा डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अभी अर्हता प्राप्त की जानी शेष है और उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है; उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि यह उन्हें दी गई एक विशिष्ट छूट है। उनके लिए निर्धारित तिथि तक, उनके द्वारा डिग्री परीक्षा पास किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा इस तिथि को आगे बढ़ाने के किसी भी अनुरोध को इस आधार पर, कि मूलभूत पात्रता विश्वविद्यालय परीक्षा देर से संचालित की गई; परीक्षा परिणाम की घोषणा में विलंब हुआ; अथवा किसी भी अन्य आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिग्री/सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे निर्धारित तिथि तक स्नातक डिग्री/ परीक्षा पास कर लिए जाने का प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-2 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनके उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-3: उड़ान सीखने में असफल होने के कारण वायु सेना के जिन उम्मीदवारों को उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित किया जा रहा हो उन्हें भारतीय वायु सेना की नौ परिवहन/ग्राउंड ड्यूटी (गैर-तकनीकी) शाखाओं में शामिल किया जाएगा। यह रिक्तियों की उपलब्धता और निर्धारित गुणात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के आधार पर होगा।

(घ) शारीरिक मानक:

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा - (II), 2020 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को परिशिष्ट-II में दिए गए शारीरिक मानकों के लिए दिशा-निर्देश के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

3. शुल्क :

उम्मीदवारों (महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को छोड़कर, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट मिली हुई है) को आयोग की परीक्षा नोटिस में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

4. सभी उम्मीदवारों को चाहे वे सशस्त्र बल, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों में अथवा निजी रोजगार सहित सरकारी सेवा में कार्यरत हों, अपने आवेदन आयोग को ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।

कृपया ध्यान दें-I तथापि पहले से ही सरकारी सेवा कर रहे व्यक्तियों, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों अथवा अनियमित या दैनिक वेतन श्रेणी के अतिरिक्त कार्य प्रभार (वर्क चार्ज) कर्मचारी के रूप में अथवा लोक उद्यमों में हों, को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

कृपया ध्यान दें-II सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने कमान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा

कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उन्हें इस संदर्भ में सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करवाना है।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि आयोग को उम्मीदवारों के नियोक्ता से उनके आवेदन करने/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन रद्द किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

5. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का फैसला अंतिम होगा।

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा के लिए प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों का परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा और यह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन होगा। अगर परीक्षा के किसी भी चरण से पहले या बाद में, सत्यापन के समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूरा नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के शीघ्र बाद, जिसके **दिसम्बर, 2020** माह में घोषित किए जाने की संभावना है, सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय, जैसा मामला हो, को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को उनकी स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित तैयार रखें।

(1) जन्म की तारीख दर्शाते हुए मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष।

(2) डिग्री/अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री पाने के पात्र हैं।

प्रथमतः सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए पात्र सभी अर्हक उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के चयन केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने साथ मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र सहित डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची मूल रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे। वे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास नहीं की है, उन्हें कॉलेज/ संस्था के प्रधानाचार्य से इस आशय का मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आना चाहिए कि उम्मीदवार डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो चुका/रहा है। जो उम्मीदवार सेवा चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त प्रमाण पत्र अपने साथ नहीं लाते हैं, उन्हें सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाणपत्रों में से कोई मूल प्रमाण पत्र साथ नहीं लाते हैं तो उन्हें सेवा चयन बोर्ड परीक्षण तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उनके खर्च पर उनके घर वापिस भेज दिया जाएगा।

6. अगर किसी उम्मीदवार के पास परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र नहीं है तो उसे परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

7. यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :

(i) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, अर्थात्: -

(क) अवैध परितोषण की पेशकश; या

(ख) दबाव डालना; या

(ग) परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना, या ब्लैकमेल करने की धमकी देना; या

(ii) प्रतिरूपण(इमपर्सोनेशन); या

(iii) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाया जाना; या

(iv) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई

है; या

(v) आवेदन पत्र में वास्तविक फोटो / हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(vi) ऐसे विवरण देना जो गलत या झूठ हैं अथवा महत्वपूर्ण की सूचना को छिपा रहे हैं; या

(vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का सहारा लेना: -

(क) अनुचित साधनों के माध्यम से प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करना;

(ख) परीक्षा से संबंधित गुप्त कार्य से जुड़े व्यक्तियों के बारे में पता लगाना;

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(viii) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों को रखना या उनका उपयोग करना; या

(ix) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उत्पात, उत्पात मचाना और इस प्रकार की हरकत करना

(x) आयोग द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए लगाए गए कर्मचारियों को परेशान करना या शारीरिक नुकसान पहुँचाना; या

(xi) कोई भी मोबाइल फोन रखना या उसका उपयोग करना, (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्रामेबल डिवाइस या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा अथवा ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण अथवा परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में प्रयोग होने योग्य संबंधित सहायक उपकरण चाहे चालू या बंद हो; या

(xii) उम्मीदवारों को उनके प्रवेश पत्र जो उन्हें परीक्षा देने की अनुमति देना है के साथ जारी किए गए किसी भी अनुदेश का उल्लंघन; या

(xiii) पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं कृत्यों के लिए आयोग को यथास्थिति उकसाने का प्रयास करने वाले;

उम्मीदवार पर आपराधिक मामला चलाया जा सकता है तथा वह निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है: -

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाना जिसके लिए वह उम्मीदवार है; और / या

(ख) स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जाना: -

(i) आयोग द्वारा उनके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या चयन से;

(ii) केंद्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नौकरी से; तथा

(ग) यदि वह पहले से ही सरकार के अधीन सेवा में है तो उचित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए;

परंतु यह भी कि निम्नलिखित के सिवाय इस नियम के तहत कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी: -

(i) उम्मीदवार को जैसा वह चाहता है, लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करना।

8. विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनकी पात्रता तथा उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रवेश आवेदन प्रपत्र पर उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूर्णतः अंतिम होगा। यह सभी पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो।

9. सेना/नौसेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार :

सेना मुख्यालय से पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आरआईडी)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)।
5. पत्र व्यवहार का पूरा पता, टेलीफोन नंबर सहित, यदि कोई हो, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

कृप्या ध्यान दे :

(1) जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

(2) यदि किसी परीक्षा समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(3) सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता, बिना टिकट लगे लिफाफे पर लिखकर, भारतीय सैन्य अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपनी पहली वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय/महानिदेशक भर्ती (भर्ती ए) सीडीएसई, एंटी सेक्शन पुरुष उम्मीदवारों के लिए वेस्ट ब्लॉक – 3, विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली- 110066 को और नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को पीओ-3 (ए), वायुसेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110106 के पते पर सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए समन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा। केन्द्रों आबंटन एसएसबी साक्षात्कार की तारीख योग्यताक्रम सूची, ज्वाइन करने के लिए अनुदेश संबंधी सभी प्रश्नों और चयन प्रक्रिया से संबद्ध किसी अन्य प्रकार की संगत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in देखें अथवा सभी कार्यदिवसों में 14:00 बजे से 17:00 बजे के बीच दूरभाष सं. (011)-26173215 और फैक्स सं. 011-26196205 पर भर्ती निदेशालय से संपर्क करें और वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए पीओ-3(ए)/वायुसेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110106 तथा नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर लिखना चाहिए।

उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए भेजे गए समन पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय/वायु

सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय होगा। ऐसे अनुरोध उस चयन केन्द्र/सेवा चयन बोर्ड, जहां से साक्षात्कार प्रस्ताव प्राप्त होता है, को भेजे जाने चाहिए। नौसेना के उम्मीदवार परिणाम के प्रकाशन के तीन सप्ताह के बाद अपना बुलावा पत्र नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या officer-navy@nic.in पर ई मेल भेजें।

कृपया ध्यान दें : यदि किसी उम्मीदवार को भारतीय ISU; अकादमी हेतु **फरवरी, 2021** के चौथे हफ्ते तक और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी हेतु **मई 2021** के चौथे हफ्ते तक सेवा चयन बोर्ड के लिए साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे सेना मुख्यालय / भर्ती सीडीएसई एंट्री / एसएससी महिला एंट्री अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, वेस्ट ब्लॉक – III रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को साक्षात्कार पत्र न मिलने के बारे में लिखना चाहिए अथवा दूरभाष संख्या 26173215 पर संपर्क करना चाहिए। नौसेना/ वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न के मामले में उन्हें नौसेना मुख्यालय/वायुसेना मुख्यालय को लिखना चाहिए जैसा कि विशेष ध्यान दें- (III) में उल्लिखित है। (**फरवरी, 2021** के चौथे सप्ताह तक पत्र न मिलने की स्थिति में)

10. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें बंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उनकी वरीयता के आधार पर सेवा बोर्ड में बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भेजा जाता है। लिखित परीक्षा में अर्हक हुए उम्मीदवारों को, जिन्होंने वरीयता क्रम में सेना (भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई) को प्रथम विकल्प दर्शाया है, उन्हें स्वयं को भर्ती निदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकृत करना होगा ताकि उन्हें एसएसबी साक्षात्कार के लिए आमंत्रण पत्र प्राप्त हो सके। वे अभ्यर्थी जो पहले से स्वयं को पंजीकृत कर चुके हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करने की सलाह दी जाती है। भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट अर्थात् www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकृत ईमेल आईडी और संघ लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई आईडी एक ही होनी चाहिए और उम्मीदवार की अपनी होनी चाहिए। सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षण के परिणाम सभी पाठ्यक्रमों के लिए उचित रूप से रहेंगे अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी (डीई) पाठ्यक्रम, देहरादून, भारतीय नौसेना अकादमी इस्त्रीमाला पाठ्यक्रम, वायु सेना अकादमी (उड़ान पूर्व) पाठ्यक्रम हैदराबाद तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई पर एसएससी (एनटी) पाठ्यक्रम जिनके लिए उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा पास की है चाहे उसे आयोजित करने वाला सेवा मुख्यालय कोई भी हो।

सेवा चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण पर आधारित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया आरंभ की है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों पर रिपोर्ट करने के पहले दिन ही पहले स्तर का परीक्षण पास कर लेते हैं, उन्हें द्वितीय स्तर/शेष परीक्षणों में प्रवेश दिया जाएगा तथा वे सभी उम्मीदवार जो पहला स्तर पास करने में असफल रहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सफल उम्मीदवारों को निम्नलिखित की एक-एक फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी :-

- (i) जन्मतिथि के समर्थन में मेट्रिकुलेशन पास प्रमाण पत्र या समकक्ष।
- (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी वर्षों/सेमिस्टर्स के अंक पत्रकों सहित वैचलर डिग्री/अनंतिम डिग्री

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति और सहायता पाने के वह हकदार नहीं होंगे। वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में रखा जाएगा। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का

निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में सफल होने मात्र से ही भारतीय ISU; अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में, जैसी स्थिति हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि से रखते हुए योग्यता के क्रम में किया जाएगा।

टिप्पणी : वायु सेना तथा नौसेना उड़ान (एवियेशन) के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एण्टीट्यूट टेस्ट केवल एक बार होता है। अतः, उम्मीदवार द्वारा प्रथम परीक्षण (सीपीएसएस तथा/अथवा पीएबीटी) में प्राप्त किया ग्रेड ही भविष्य में वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष होने वाले प्रत्येक साक्षात्कार के समय लागू होगा। भारतीय नौसेना चयन बोर्ड/कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एण्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में पहले विफल रहे उम्मीदवार तथा आदतन चश्मा पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं।

वायु सेना के लिए एक से अधिक माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष परीक्षण/साक्षात्कार:-

एफ (पी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के तीन माध्यम हैं, अर्थात् सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई)/एनसीसी/एयरमेन। वायु सेना के लिए एक से अधिक माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का, वायु सेना हेतु वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष परीक्षण/साक्षात्कार केवल एक बार होगा। एनसीसी अथवा एयरमेन के रूप में कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एण्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में विफल रहने वाले समान उम्मीदवारों को सेना/नौसेना/ओटीए हेतु ओएलक्यू परीक्षण के लिए पुनः तभी बुलाया जाएगा यदि उन्होंने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के माध्यम से आवेदन किया हो। आईएमए (डीई) पाठ्यक्रम तथा/अथवा नौसेना (एसई) पाठ्यक्रम तथा/अथवा वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक हुए उम्मीदवारों को, भले ही वे एसएससी पाठ्यक्रम के लिए भी सफल हुए हों अथवा नहीं, **फरवरी-मार्च 2021** तक आयोजित होने वाले एसएसबी परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और केवल एसएससी पाठ्यक्रम के लिए सफल होने वाले उम्मीदवारों को **अप्रैल** से **जून, 2021** तक आयोजित होने वाले एसएसबी परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

11. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए निरर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, वायुसेना अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से पहले प्रवेश पा चुके हैं पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिए गए हैं, उनको भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी या थल सेना अकादमी से अल्पकालीन सेवा कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सैनिक अकादमी से वापस किया गया हो उनको भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एंट्री नेवल कैडेट्स के रूप में चुन लिया गया हो पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौ सेना प्रतिष्ठानों से वापस किया हो वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एनसीसी तथा स्नातक कोर्स से वापस लिया गया हो, उनके बारे में थल सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण एनसीसी तथा स्नातक कोर्स से पहले वापस किया गया हो, उनको भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

12. भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी] चैनई में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :

भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चैनई के कोर्स के उम्मीदवारों को जो अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती होते हैं इस बात का वचन देना है कि जब तक उसका

सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली परीक्षा में भले ही सफल हों। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में ही शादी कर लेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया वह सब उससे वसूल किया जाएगा।

उम्मीदवारों को यह वचन देना होगा कि वे प्रशिक्षण पूरा होने तक विवाह नहीं करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार यदि अपने द्वारा आवेदन करने की तारीख के बाद विवाह कर लेता है तो वह प्रशिक्षण का पात्र नहीं होगा, भले ही वह लिखित परीक्षा अथवा सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार अथवा चिकित्सा परीक्षा में सफल रहा हो। जो उम्मीदवार अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान विवाह करेंगे उन्हें निर्मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें, सरकार द्वारा उन पर व्यय समस्त राशि लौटानी होगी।

13. भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध :

भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिए विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[सं. बी/ 59111/आईएमए 151(डीई)/ आरटीजी 'अ'/सीडीएसई/1720/16(2)/2020 डीएमए(एजी)]

मेजर जनरल के. नारायणन, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना :

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा

(क) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा

(ख) उन उम्मीदवारों का बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग-ख के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिए दिए जाने वाला समय तथा प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :

(क) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	2 घंटे	100

(ख) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किए गए हैं, वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक क्रमशः 300, 300, 300 और 200 होंगे।

3. सभी विषयों के प्रश्नपत्र केवल वस्तुपरक प्रकार के होंगे। सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में, द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे।

4. प्रश्न पत्रों में जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जाएगी।

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक पर है।

7. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिए केलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः वे उसे परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विवरण :

स्तर

प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

पाठ्य विवरण

अंग्रेजी (कोड सं. 01)

प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा कि जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं. 02)

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामले के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देने में सक्षम होना चाहिए।

प्रारंभिक गणित (कोड सं. 03)

अंकगणित

संख्या पद्धतियां : प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं – जोड़ना, घटाना, गुणन और विभाजन, वर्गमूल, दशमल भिन्न।

ऐकिक विधि: समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि व्याज में अनुप्रयोग, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात विवरण।

प्रारंभिक संख्या सिद्धांत : विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, 2,3,4,5,9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण/ गुणनखंड और भाज्य प्रमेय/ महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि।

आधार 10 तक लघुगुणक, लघुगुणक के नियम, लघु-गुणकीय सारणीयों का प्रयोग।

बीजगणित

आधारभूत संक्रियाएं: साधारण गुणनखंड, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य सिद्धांत, द्विघातीय समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणकों के बीच संबंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए) दो अज्ञात राशियों के युगपद रैखिक समीकरण, विश्लेषण और ग्राफ संबंधी हल, दो चरों में युगपद रैखिक असिमिकाएं और उनके हल, प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपद, रैखिक समीकरण या असिमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति

ज्या X, कोटिज्या X, स्पर्श रेखा X, जब $0^\circ \leq X \leq 90^\circ$ कोटिज्या, स्पर्श रेखा X का मान जबकि X $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ और 90° सरल त्रिकोणमितीय सारणियों, सरल त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग, ऊंचाइयों और दूरियों संबंधित सरल प्रश्न।

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति: निम्नलिखित पर प्रमेय: (1) किसी बिंदु पर कोणों के गुणधर्म, (2) समांतर रेखाएं, (3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, (4) त्रिभुज की सर्वांगसमता, (5) समरूप त्रिभुज (6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन, (7) समानान्तर चतुर्भुजों, आयत और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुणधर्म, (8) वृत्त और उनके गुणधर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब भी शामिल हैं, (9) स्थानिक संयक।

क्षेत्रमिति

वर्गों, आयतों, समानांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल। ऐसी आकृतियों के क्षेत्रफल जिन्हें (फील्ड बुक) इन आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है। घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लम्ब, वृत्तीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व क्षेत्र तथा आयतन और गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह तथा सारणीयन, आरेखी निरूपण, बारम्बारता, बहुभुज, आयत, चित्र, बार चार्ट, पाई चार्ट आदि। केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापन।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं – चरण-I तथा चरण-II। चरण- II में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, जो चरण- I में सफल रहते हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है :-

(क) चरण- I के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमत्ता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षण चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन)* विवरण परीक्षण (पीपी एवं डीटी) शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को ओआईआर परीक्षण तथा पीपी एवं डीटी में उनके संयुक्त रूप में कार्य निष्पादन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

(ख) चरण-II के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क, मनोविज्ञान परीक्षण तथा सम्मेलन (कांफ्रेंस) शामिल होता है। ये परीक्षण चरणबद्ध होते हैं। इन परीक्षणों का विवरण वेबसाइट www.joinindianrmy.nic.in पर मौजूद है।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन तीन विभिन्न आकलनकर्ताओं, नाम: साक्षात्कार अधिकारी (आईओ), ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग-अलग अंक (वेटेज) नहीं हैं। आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को अंकों का आवंटन सभी परीक्षणों में उनके समग्र कार्यनिष्पादन पर विचार करने के

पश्चात् ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कांफ्रेंस हेतु अंकों का आवंटन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षण इस प्रकार तैयार किए जाते हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारी सम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने/नहीं होने तथा प्रशिक्षित किए जाने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुशंसा की अथवा नहीं की जाती है।

परिशिष्ट – II

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश

1. सेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानकों और प्रक्रिया के लिये कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।
2. नौसेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानकों और प्रक्रिया के लिये कृपया www.joinindiannavy.gov.in पर जाएं।
3. वायु सेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानकों और प्रक्रिया के लिये कृपया www.careerindianairforce.cdac.in पर जाएं।

अनुलग्नक-1

सेना में अफसर पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा मानक और मेडिकल

परीक्षा की प्रक्रिया

1- उद्देश्य

इस दस्तावेज का उद्देश्य जनसाधारण को विभिन्न प्रकार की भर्ती के माध्यम से सेना में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए विहित चिकित्सा मानकों से परिचित करवाना है। यह दस्तावेज आर टी आई अधिनियम-2005 के तहत सूचना आयोग की नीति के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध करवाने का काम भी करता है।

2. परिचय

(क) सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है और इसीलिए सशस्त्र सेनाओं को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा जाता है। युद्ध की तैयारी के लिए सैन्यकर्मियों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके साथ-साथ जब भी जरूरत हो जैसे कि आपदाओं के समय, सशस्त्र सेनाएं सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए भी उपलब्ध रहती हैं। इस प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं में शारीरिक सौष्ठव और सुदृढ़ मानसिक संतुलन वाले जवानों की जरूरत होती है। ऐसे उम्मीदवार दुर्गम क्षेत्रों और विशम परिस्थितियों में बगैर मेडिकल सुविधाओं के भी अपने सैन्य दायित्वों के निर्वाह में सक्षम होने चाहिए जो उन परिस्थितियों में कठोर तनाव को झेल सकें। किसी रोग/अपंगता के कारण चिकित्सीय रूप से अयोग्य कार्मिक न केवल कीमती संसाधनों की बरबादी करेगा बल्कि सैन्य ऑपरेशनों के दौरान अपने दल के अन्य सदस्यों के लिए भी मुसीबत और खतरे का सबब बन सकता है। इसलिए केवल चिकित्सीय रूप से योग्य अथवा फिट उम्मीदवारों का ही चयन किया जाता है जो युद्ध प्रशिक्षण के लिए योग्य हों।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में 'चिकित्सीय रूप से योग्य' कार्मिकों का चयन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस का होता है।

(ग) अपनी पशवर विशिष्टता यूनिट में सौपा गया कार्य, आयु अथवा लिंग से परे हटकर हर सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए सेना में शामिल होने के समय आधारभूत 'मेडिकल फिटनेस' होना अनिवार्य है। फिटनेस के इसी आधारभूत स्तर को उनकी भावी पेशेवर विशिष्टताओं अथवा यूनिट कार्यों के लिए प्रशिक्षण के बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे युद्ध में उनकी तैनाती की तत्परता में भी वृद्धि होगी।

(घ) सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस के मेडिकल अफसरों द्वारा चिकित्सा जांच का कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के बाद ये मेडिकल अफसर सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट कार्य परिस्थितियों में काम करने के लिए भली-भांति तैयार होते हैं। एक मेडिकल अफसर बोर्ड द्वारा इन चिकित्सा जांचों का अंतिम निर्णय लिया जाता है। गौरतलब है कि मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार के नामांकन/कमीशन के दौरान किसी रोग/अपंगता/चोट/आनुवंशिक रोग अथवा विकार के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो तो संदेह का लाभ प्राधिकारी को दिया जाएगा।

चिकित्सा मानक

3. निम्नलिखित पैराग्राफों में विर्णित चिकित्सा मानक सामान्य दिशानिर्देश हैं जो रोगों से संबंधित अथाह ज्ञान के संदर्भ में संपूर्ण नहीं हैं। वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति और नए उपकरणों/टड के प्रवेश के साथ सशस्त्र सेनाओं में काम करने के तरीकों में परिवर्तनों के चलते यह मानक भी परिवर्तनशील होते हैं। ये परिवर्तन समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के नीति पत्रों द्वारा लागू किए जाते हैं। इन दिशानिर्देशों व सिद्धांतों के आधार पर मेडिकल अफसरों, विशेष मेडिकल अफसरों तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

4. 'चिकित्सीय रूप स फिट अथवा योग्य' करार दिए जाने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की शारीरिक व मानसिक दशा सही हो तथा वह ऐसे किसी भी रोग/अपंगता/लक्षणों से मुक्त हो जो समुद्र व हवाई भूभागों सहित दुर्गम क्षेत्रों में तथा विषम परिस्थितियों में मेडिकल सुविधाओं को उपलब्धता के बगैर उसके सैन्य दायित्वों के निर्वहन में बाधक हों। उम्मीदवार ऐसी किसी भी चिकित्सीय परिस्थितियों से मुक्त होना चाहिए जिसमें नियमित रूप से दवाओं अथवा चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग की जरूरत हो।

(क) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवार स्वस्थ हो तथा उसके शरीर के किसी अंग अथवा प्रणाली में खराबी, जन्मजात विकृति/बीमारी के लक्षण न हों।

(ख) ट्यूमर/सिस्ट/लिम्फ नोड्स में सूजन सहित शरीर के किसी भी भाग में कोई सूजन न हो तथा शरीर में कहीं साइनस अथवा नासूर की शिकायत न हो।

(ग) शरीर की त्वचा पर कहीं हाइपर या हाइपो पिगमेंटेशन अथवा किसी अन्य प्रकार की बीमारी के लक्षण/अपंगता न हो।

(घ) शरीर में हार्निया की शिकायत न हो।

(ग) शरीर पर ऐसे कोई निशान न हो, जो कामकाज को बाधित करते हों या विकलांगता अथवा अक्षमता उत्पन्न करते हों।

(छ) शरीर में कहीं भी घमनी व शिराओं से संबंधित खराबी न हो।

(ज) सिर और चेहरे में किसी प्रकार की खराबी जिसमें एकरूपता न हो, अस्थिभंग अथवा खोपड़ी की हड्डियों के दबाव से बनी विकृतियां, अथवा पूर्व में किए गए किसी मेडिकल ऑपरेशन के निशान तथा साइनस व नासूर इत्यादि जैसी खराबियां शामिल हैं, न हों।

(झ) रंगों की पहचान करने में खराबी तथा दृष्टि क्षेत्र में खराबी सहित किसी प्रकार की दृष्टिबाधिता न हो।

(ट) सुनने में किसी प्रकार की अक्षमता, कानों के पकोष्ठ-कर्णावर्त प्रणाली में किसी प्रकार की खराब/अक्षमता न हो।

(ठ) किसी बीमारी के कारणवश बोलने में किसी प्रकार की बाधा न हो।

(ड) नाक अथवा जिह्वा की हड्डियों अथवा उपास्थि में किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/जन्मजात विकृति/लक्षण न हों अथवा तालू नाक में पॉलिप्स अथवा नाक व गले की कोई बीमारी न हो। नाक में कोई विकृति अथवा टॉन्सिलाइटिस की शिकायत न हो।

(ढ) गले, तालू टॉन्सिल अथवा मसूड़ों की कोई बीमारी/लक्षण/अक्षमता न हो अथवा दोनों जबड़ों के जोड़ों के काम को बाधित करने वाली कोई बीमारी अथवा चोट न हो।

(त) जन्मजात, आनुवांशिक, रक्तचाप और चालन विकारों सहित दिल तथा रक्त वाहिकाओं संबंधी कोई रोग/लक्षण/अक्षमता न हो।

(थ) पलमोनरी टी बी अथवा इस रोग से संबंधित पुराने लक्षण अथवा फेफड़ों व छाती संबंधी कोई अन्य बीमारी/लक्षण/अक्षमता जिसमें किसी प्रकार की एलर्जी/प्रतिरक्षा स्थितियां, संयोजी ऊतक विकार तथा छाती के मस्क्यूलोस्केलेटल विकार शामिल हैं, न हों।

(द) पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी जिसमें असामान्य लिवर तथा लिवर रोग तथा अग्न्याशय की जन्मजात, आनुवांशिक बीमारियां/लक्षण तथा अक्षमताएं शामिल हैं, न हों।

(घ) एंडोक्राइन सिस्टम अथवा प्रणाली तथा रेटिक्युलोएंडोथीलियल सिस्टम संबंधी किसी प्रकार का रोग/लक्षण/अक्षमता न हो।

(न) जेनिटो-यूरीनरी सिस्टम संबंधी कोई रोग/लक्षण/अक्षमता जिसमें किसी अंग अथवा ग्रंथि की विकलांगता, एट्रोफी/हाइपरट्रोफी शामिल हैं, न हो।

(प) किसी प्रकार का सक्रिय, अव्यक्त या छिपा हुआ अथवा जन्मजात यौन रोग न हो।

(फ) किसी प्रकार के मानसिक रोग, भिर्गी, मूत्र नियंत्रण संबंधी अक्षमता न हो अथवा उसका इतिहास न हो।

(ब) मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टम तथा खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी व अन्य अंगों सहित जोड़ों से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/लक्षण न हों।

(भ) कोई जन्मजात अथवा आनुवांशिक रोग/लक्षण/अक्षमता न हों।

5. एस एस बी चयन प्रक्रिया के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षा आयोजित की जाएगी मगर चिकित्सीय जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो वह उम्मीदवार के चयन की अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

6. उपर्युक्त दिशनिर्देशों के आधार पर सामान्यतः जिन चिकित्सीय जांच अनियमितताओं, कमियों या अक्षमताओं के कारण किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अस्वीकृत किया जाता है, वे निम्नलिखित हैं :-

(क) रीढ़ की हड्डी, छाती व कूल्हे तथा अन्य अंगों से संबंधित मस्क्युलो-स्केलेटल विकलांगता जैसे, स्कोलियोसिस, टॉरटीकोलिस, कायफॉसिस, मेरुदण्ड, पसलियों, वक्ष-अस्थि तथा अस्थि पिंजर की अन्य विकलांगताएं, विकृत अंग, उंगलियां, पैरो की उंगलियां तथा रीढ़ की हड्डी के जन्मजात विकार।

(ख) अंगों की विकलांगता: विकृत अंग, हाथों व पैरों की उंगलियां, विकृत जोड़ जैसे कि क्यूबिटस वलगस, क्यूबिटस, वॉरस, नॉक नीज, बो लेग, हाइपरमोबाइल जोड़, हाथ व पैरों की विच्छेदित उंगलियां तथा शरीर के अंग, जो वास्तविक आकार से छोटे हों।

(ग) नेत्र व नेत्रज्योति : मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग, कॉर्निया, लेंस, रेटिना में चोट, आंखों में भैगापन एवं टॉसिस।

(छ) सुनने की क्षमता, कान, नाक व गला : सुनने की क्षमता अथवा श्रवण शक्ति कम होना, बाह्य कर्ण, कान की पट्टी की झिल्लियों, कान का भीतरी हिस्सा, नाक का सेक्टम मुड़ा हुआ होना एवं होठ, तालू, पेरी-ऑरिक्युलर साइनस तथा लिम्फेडिनाइटिस/एडीनोपैथी ऑफ नेक। दानों कानों के लिए बातचीत तथा फुसफुसाहट को सुनने की क्षमता 610 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(च) दंतचिकित्सा की स्थिति :

(i) जबड़ों की प्रारंभिक रोगात्मक स्थिति जो बढ़ भी सकता है और बार-बार भी हो सकता है।

(ii) ऊपरी और निचले जबड़े के बीच विसंगति होना जिससे खाना चबाने में और बोलने में दिक्कत होती है जो उम्मीदवारी रद्द करता है।

(iii) रोगसूचक टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ एवं उसमें सूजन होना। मुंह का किनारों पर 30 सेंटीमीटर से कम खुलना तथा मुंह ज्यादा खोलने पर टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ अपने स्थान से हटना।

(iv) कैंसर की सभी संभावित स्थितियां।

(v) मुंह खोलने के प्रतिबंध के साथ तथा उसके बगैर सब-म्यूकस फाइब्रोसिस की नैदानिक पहचान।

(vi) दंतसंरचना में खराबी तथा/अथवा मसूड़ों से खून निकलना जिसके कारण दंत-स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

(vii) दांत ढीले होना : दो से अधिक दांत हिलने पर या कमजोर होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होगी।

(viii) कॉस्मेटिक अथवा मैक्सिलोफैशियल सर्जरी/टामा के बाद उम्मीदवार सर्जरी/चोट लगने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कम से कम 24 सप्ताह तक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के अयोग्य ठहराया जाएगा।

(ix) यदि दांतों के रखरखाव में कमी के कारण भोजन चबाने, दंत-स्वास्थ्य एवं मुंह की स्वस्थता को बनाए रखने अथवा सामान्य पोषण को कायम रखने में दिक्कत हो अथवा उम्मीदवार के कर्तव्यों के निर्वहन में दिक्कत हो तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(छ) **छाती** : तपेदिक रोग अथवा तपेदिक होने के प्रमाण हों, दिल या फेफड़ों में घाव, छाती की दीवार पर मस्क्यूलो-स्केलेटल घाव हों।

(ज) **पेट तथा जनितर-मूत्र प्रणाली** : हर्निया, अन-डिसेंडेड टेस्टीस, वेरिकोसील, ऑर्गेनोमिगैली, सॉलिटरी किडनी, हॉर्सशू किडनी, तथा किडनी/लिवर में सिस्ट होना, गॉल ब्लेडर में पथरी, रीनल एवं यूरेट्रिक पथरी, यूरोजिनाइटल अंगों में अपंगता अथवा घाव होना, बवासीर रोग तथा लिम्फैडिनाइटिस रोग होना।

(झ) **तंत्रिका तंत्र** : झटके/दौरे पड़ना, बोलने में दिक्कत होना या असंतुलन होना।

(ट) **त्वचा** : विटिलिगो, हीमैजियोमास, मस्से होना, कॉर्न की समस्या होना, त्वचा रोग, त्वचा संक्रमण, त्वचा पर कहीं वृद्धि तथा हाइपरहाइड्रोसिस होना।

7. लम्बाई एवं वजन

सेना में प्रवेश की शाखा के आधार पर वांछित लम्बाई भिन्न-भिन्न होती है। शरीर का वजन शरीर की लंबाई के अनुपात में होना चाहिए जैसा कि निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है :-

आयु (वर्ष में)	सभी आयु के लिए न्यूनतम वजन	आयु वर्ग: 17 से 20 वर्ष	आयु वर्ग: 20+01दिन 30 वर्ष	आयु वर्ग: 30+01दिन से 40 वर्ष	आयु 40 वर्ष से अधिक
लंबाई (से.मी.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)
140	35.3	43.1	45.1	47.0	49.0
141	35.8	43.7	45.7	47.7	49.7
142	36.3	44.4	46.4	48.4	50.4
143	36.8	45.0	47.0	49.1	51.1
144	37.3	45.6	47.7	49.8	51.8
145	37.8	46.3	48.4	50.5	52.6
146	38.4	46.9	49.0	51.2	53.3
147	38.9	47.5	49.7	51.9	54.0
148	39.4	48.2	50.4	52.6	54.8
149	40.0	48.8	51.1	53.3	55.5
150	40.5	49.5	51.8	54.0	56.3
151	41.0	50.2	52.4	54.7	57.0
152	41.6	50.8	53.1	55.4	57.8
153	42.1	51.5	53.8	56.2	58.5
154	42.7	52.2	54.5	56.9	59.3
155	43.2	52.9	55.3	57.7	60.1
156	43.8	53.5	56.0	58.4	60.8
157	44.4	54.2	56.7	59.2	61.6
158	44.9	54.9	57.4	59.9	62.4
159	45.5	55.6	58.1	60.7	63.2
160	46.1	56.3	58.9	61.4	64.0
161	46.7	57.0	59.6	62.2	64.8
162	47.2	57.7	60.4	63.0	65.6
163	47.8	58.5	61.1	63.8	66.4
164	48.4	59.2	61.9	64.6	67.2
165	49.0	59.9	62.6	65.3	68.1
166	49.6	60.6	63.4	66.1	68.9
167	50.2	61.4	64.1	66.9	69.7

आयु (वर्ष में)	सभी आयु के लिए न्यूनतम वजन	आयु वर्ग: 17 से 20 वर्ष	आयु वर्ग: 20+01दिन 30 वर्ष	आयु वर्ग: 30+01दिन से 40 वर्ष	आयु 40 वर्ष से अधिक
लंबाई (से.मी.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)
168	50.8	62.1	64.9	67.7	70.6
169	51.4	62.8	65.7	68.5	71.4
170	52.0	63.6	66.5	69.4	72.3
171	52.6	64.3	67.3	70.2	73.1
172	53.3	65.1	68.0	71.0	74.0
173	53.9	65.8	68.8	71.8	74.8
174	54.5	66.6	69.6	72.7	75.7
175	55.1	67.4	70.4	73.5	76.6
176	55.8	68.1	71.2	74.3	77.4
177	56.4	68.9	72.1	75.2	78.3
178	57.0	69.7	72.9	76.0	79.2
179	57.7	70.5	73.7	76.9	80.1
180	58.3	71.3	74.5	77.8	81.0
181	59.0	72.1	75.4	78.6	81.9
182	59.6	72.9	76.2	79.5	82.8
183	60.3	73.7	77.0	80.4	83.7
184	60.9	74.5	77.9	81.3	84.6
185	61.6	75.3	78.7	82.1	85.6
186	62.3	76.1	79.6	83.0	86.5
187	62.9	76.9	80.4	83.9	87.4
188	63.6	77.8	81.3	84.8	88.4
189	64.3	78.6	82.2	85.7	89.3
190	65.0	79.4	83.0	86.6	90.3
191	65.7	80.3	83.9	87.6	91.2
192	66.4	81.1	84.8	88.5	92.2
193	67.0	81.9	85.7	89.4	93.1
194	67.7	82.8	86.6	90.3	94.1
195	68.4	83.7	87.5	91.3	95.1
196	69.1	84.5	88.4	92.2	96.0
197	69.9	85.4	89.3	93.1	97.0
198	70.6	86.2	90.2	94.1	98.0
199	71.3	87.1	91.1	95.0	99.0
200	72.0	88.0	92.0	96.0	100.0
201	72.7	88.9	92.9	97.0	101.0
202	73.4	89.8	93.8	97.9	102.0
203	74.2	90.7	94.8	98.9	103.0
204	74.9	91.6	95.7	99.9	104.0
205	75.6	92.5	96.7	100.9	105.1
206	76.4	93.4	97.6	101.8	106.1

आयु (वर्ष में)	सभी आयु के लिए न्यूनतम वजन	आयु वर्ग: 17 से 20 वर्ष	आयु वर्ग: 20+01दिन 30 वर्ष	आयु वर्ग: 30+01दिन से 40 वर्ष	आयु 40 वर्ष से अधिक
लंबाई (से.मी.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)
207	77.1	94.3	98.6	102.8	107.1
208	77.9	95.2	99.5	103.8	108.2
209	78.6	96.1	100.5	104.8	109.2
210	79.4	97.0	101.4	105.8	110.3

(क) ऊपर दिया गया लंबाई-वजन चार्ट सभी वर्गों के कार्मिकों के लिए है। यह चार्ट बी एम आई के आधार पर बनाया गया है। इस चार्ट में किसी लंबाई विशेष के उम्मीदवार का न्यूनतम स्वीकृत वजन दिया गया है। किसी भी मामले में न्यूनतम स्वीकृत वजन से कम वजन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दी गई लंबाई के अनुसार अधिकतम स्वीकृत वजन को विभिन्न आयु-वर्ग में विभाजित किया गया है। अधिकतम स्वीकृत वजन सीमा से अधिक वजन वाले उम्मीदवारों को केवल उन मामलों में स्वीकार किया जाएगा। जहां वे राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती, बॉडी-बिल्डिंग एवं बॉक्सिंग खेलों में शामिल होने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में निम्नलिखित मानक होंगे :-

- बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम होना चाहिए।
- कमर और कूल्हे का अनुपात पुरुषों के लिए 0.9 तथा महिलाओं के लिए 0.8 होगा।
- कमर का घेरा पुरुषों के लिए 90 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर से कम होगा।
- सभी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक मानक सामान्य सीमाओं में होंगे।

नोट : 17 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों के लिए लंबाई तथा वजन का मापदंड '05 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए इंडियन एकेडेमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के लंबाई, वजन बी एम आई विकास चार्ट' के दिशानिर्देशानुसार होगा।

8. सभी अफसर प्रवेश और प्री-कमीशन प्रशिक्षण अकादमियों में निम्नलिखित जांच की जाएंगी परंतु यदि मेडिकल अफसर/मेडिकल बोर्ड चाहे या ठीक समझे तो इसके अलावा अन्य किसी बिन्दु पर भी जांच कर सकते हैं।

- संपूर्ण हीमोग्राम
- यूरिन आर ई (रूटीन)
- चेस्ट एक्सरे
- अल्ट्रासाउंड (यू एस जी) पेट व पेडू

9. आयु वर्ग एवं भर्ती या प्रवेश के प्रकार के आधार पर नेत्र ज्योति संबंधी कुछ मानक भिन्न हो सकते हैं जैसा कि निम्नलिखित है :-

मानदण्ड	स्टैंडर्ड : 10+2 प्रवेश एन डी ए (सेना), टी ई एस	स्नातक एवं समकक्ष प्रवेश : सी डी एस ई, आई एम ए, ओ टी ए, यू ई एस, एन सी सी, टी जी सी एवं समकक्ष	स्नातकोत्तर एवं समकक्ष प्रवेश : जैग, ए ई सी, ए पी एस, टी ए, ए एम सी, ए डी सी, एस एल एवं समकक्ष
असंशोधित दृष्टि (अधिकतम स्वीकृत)	6/36 एवं 6/36	6/60 एवं 6/60	3/60 एवं 3/60
बी सी वी ए	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6
मायोपिया	$\leq -2/5$ डी एसपीएच (± 2.0 डी सीवाईएल अधिकतम दृष्टि वैषम्य/ भेंगापन सहित)	≤ -3.50 डी एसपीएच ($\leq \pm 2.0$ डी सीवाईएल अधिकतम भेंगापन सहित)	≤ -5.50 डी एसपीएच ($\leq \pm 2.0$ डी सीवाईएल अधिकतम भेंगापन सहित)
हाइपरमेट्रोपिया	$\leq +2.5$ डी एसपीएच	$\leq +3.50$ डी एसपीएच ($\leq \pm 2.0$)	$\leq +3.50$ डी एसपीएच

मानदण्ड	स्टैंडर्ड : 10+2 प्रवेश एन डी ए (सेना), टी ई एस	स्नातक एवं समकक्ष प्रवेश : सी डी एस ई, आई एम ए, ओ टी ए, यू ई एस, एन सी सी, टी जी सी एवं समकक्ष	स्नातकोत्तर एवं समकक्ष प्रवेश : जैग, ए ई सी, ए पी एस, टी ए, ए एम सी, ए डी सी, एस एल एवं समकक्ष
	($\leq$ +/- 2.0 डी सीवाईएल अधिकतम भेंगापन सहित)	डी सीवाईएल अधिकतम भेंगापन सहित)	($\leq$ +/- 2.0 डी सीवाईएल अधिकतम भेंगापन सहित)
लसिक / समकक्ष सर्जरी	अस्वीकृत	स्वीकृत *	स्वीकृत *
रंगों की पहचान	सी पी. II	सी पी. II	सी पी. II

‘लसिक अथवा समकक्ष केराटो-रिफ्रेक्टिव प्रक्रिया

(क) यदि कोई उम्मीदवार **केराटो- रिफ्रेक्टिव** प्रक्रिया करवाता है तो उसे प्रक्रिया तारीख व सर्जरी किस प्रकार की है, इस बात का उल्लेख करते हुए उस मेडिकल सेंटर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र/ऑपरेटिव नोट्स प्रस्तुत करने होंगे जहां यह काम किया गया है।

(ख) : इस संबंध में ‘योग्य’ अथवा ‘फिट’ करार देने के लिए निम्नलिखित का ध्यान रखा जाएगा :-

- (i) सर्जरी के समय उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से अधिक हो।
- (ii) लसिक सर्जरी के बाद न्यूनतम 12 माह का समय हो गया हो।
- (iii) केन्द्र में कॉर्निया की मोटाई 450 μ के बराबर या उससे अधिक हो।
- (iv) आई ओ एल मास्टर द्वारा अक्षीय लंबाई 26 मिमी के बराबर या उससे अधिक हो।
- (अ) + / - 1.0 डी एवं सिलिंडर से कम या उसके बराबर अवशिष्ट अपवर्तन हो, बशर्ते वह उस वर्ग में मान्य हो जिसमें उम्मीदवार द्वारा आवेदन किया गया हो।
- (vi) सामान्य स्वस्थ रेटिना।
- (vii) अतिरिक्त मापदंड के रूप में कॉर्निया की स्थलाकृति और एक्टेशिया मार्कर को भी शामिल किया जा सकता है।

वे उम्मीदवार जिन्होंने रेडियल कॉर्निया (केराटोटॉमी) करवा रखी है, वे स्थायी रूप से अयोग्य माने जाएंगे

10. मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही के लिए प्रयुक्त फॉर्म ए एफ एम एस एफ-2 ए है।

11. **चिकित्सा जांच बोर्ड की कार्यवाही** : अफसरों के चयन और प्री-कमीशनिंग प्रशिक्षण अकादमियों के लिए चिकित्सा जांच बोर्ड का आयोजन सर्विस चयन बोर्ड (एस एस बी) के निकट नियत सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पतालों में किया जाता है। इन मेडिकल बोर्ड को ‘विशेष मेडिकल बोर्ड’ (एस एम बी) कहा जाता है। एस एस बी साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को पहचान दस्तावेजों सहित सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पताल के पास भेजा जाता है। अस्पताल के स्टॉफ सर्जन उम्मीदवार की पहचान कर उसे ए एफ एम एस एफ-2 में संबंधित भाग भरने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, नेत्र रोग, ई एन टी तथा डेंटल विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा जांच आयोजित करवाते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ भी महिला उम्मीदवारों की जांच करते हैं। इन विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की जांच से संतुष्ट होने के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस संबंधी घाषणा की जाती है। यदि विशेष मेडिकल बोर्ड (एस एम बी) द्वारा किसी उम्मीदवार को ‘अयोग्य’ या ‘अनफिट’ घोषित किया जाता है, तो उसे उम्मीदवार ‘अपील मेडिकल बोर्ड’ (ए एम बी) के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ए एम बी से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष एस एम बी द्वारा किया जाएगा।

12. **विविध पहलू :**

- (क) परीक्षण अथवा जांच के नैदानिक तरीक डी जी ए एफ एम एस कार्यालय द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
- (ख) महिला उम्मीदवारों की मेडिकल जांच महिला मेडिकल अफसरों द्वारा की जाएगी परंतु यदि महिला डॉक्टर मौजूद न हों तो यह काम महिला परिचारिकाओं की उपस्थिति में पुरुष डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा।
- (ग) **सर्जरी के बाद फिटनेस देना :**

सर्जरी के बाद उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा परंतु सर्जरी में किसी प्रकार की जटिलता या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घाव भर गए हों और उस अंग विशेष की शक्ति पर्याप्त रूप से मिल गई हो, यह आवश्यक होगा। हर्निया की ओपन/लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 01 वर्ष बाद तथा कॉलसिस्टेक्टमी की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद किसी उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा। किसी अन्य सर्जरी के मामले में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद और ओपन सर्जरी के 12 माह बाद ही फिटनेस दी जाएगी। चोट लगने, मांस फटने और जोड़ों में किसी प्रकार की चोट लगने पर सर्जरी की अवधि को ध्यान में न रखते हुए उम्मीदवार को 'अयोग्य' घोषित किया जाएगा।

अनुलग्नक-II

नौसेना में अफसर पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा मानक और मेडिकल

परीक्षा की प्रक्रिया

1. परिचय:

- (क) सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख दायित्व देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। इसलिए सशस्त्र सेनाओं को युद्ध के लिए सदैव तैयार रखा जाता है। सशस्त्र सेनाओं को युद्ध की तैयारियों के लिए कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र सेनाएं, आपदाओं के समय, सिविल प्राधिकारियों की सहायता भी करती हैं। ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए, सशस्त्र सेनाओं में सशक्त मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य वाले अभ्यर्थियों की आवश्यकता होती है। ऐसे अभ्यर्थी को कठिन परिस्थितियों और सेवा के दौरान तनाव में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए जिससे कि वे दुर्गम भूभागों और प्रतिकूल मौसम में जल एवं वायु दोनों में, कठिन परिस्थितियों में दूर-दराज़ के क्षेत्रों में, जहां चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, अपनी सैन्य ड्यूटी का निर्वाह कर सकें। रोग/अपंगता के कारण चिकित्सीय रूप से अयोग्य कार्मिक न केवल कीमती संसाधनों की बर्बादी करेगा बल्कि वह ऑपरेशनों के दौरान टीम के अन्य सदस्यों की ज़िंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए केवल चिकित्सीय रूप से योग्य अथवा फिट अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाता है जो प्रशिक्षण के लिए योग्य हों।
- (ख) सशस्त्र सेनाओं में चिकित्सीय रूप से योग्य कार्मिकों का चयन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस का होता है।
- (ग) सशस्त्र सेनाओं के सभी कार्मिकों को, चाहे उनकी पेशेवर विशिष्टताएं, यूनिट में उनको सौंपा गया कार्य, आयु अथवा लिंग से परे हटकर, हर सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए, सेवा में भर्ती होने के दौरान आधारभूत स्तर पर सामान्य चिकित्सीय तौर पर स्वस्थ/योग्य होना चाहिए। योग्यता के इस आधारभूत स्तर को उसकी भावी पेशेवर विशिष्टताओं अथवा यूनिट द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों, जिनमें शारीरिक श्रम अपेक्षित हो, के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु मानदंड बनाया जा सकता है। यह युद्ध के लिए तैनात सैनिकों की युद्ध-तत्परता में वृद्धि करेगा।
- (घ) चिकित्सीय जांच सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बड़ी सावधानी से की जाती है। ये चिकित्सा अधिकारी मूलभूत मिलिटरी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट कार्य-परिस्थितियों में काम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। चिकित्सा जांच संबंधी अंतिम निर्णय चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है। भर्ती/कमीशनिंग के दौरान नज़र आए किसी रोग/विकलांगता/चोट/अनुवांशिक विकृति आदि संबंधी किसी संशय की स्थिति में संदेह का लाभ राज्य को मिलेगा।

चिकित्सा के मानक

2. निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित चिकित्सा मानक सामान्य दिशानिर्देश हैं जो रोगों के संबंधित अथाह ज्ञान के संबंध में संपूर्ण नहीं हैं। वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति और नए उपकरणों/ट्रैंड के प्रवेश के साथ सशस्त्र सेनाओं में काम करने के तरीकों में परिवर्तनों के चलते यह मानक भी परिवर्तनशील होते हैं। ये परिवर्तन समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के नीति पत्रों द्वारा लागू किए जाते हैं। इन दिशानिर्देशों व सिद्धांतों के आधार पर मेडिकल अफसरों, विशेष मेडिकल अफसरों तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

3. 'चिकित्सीय रूप से फिट अथवा योग्य' करार दिए जाने के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की शारीरिक एवं मानसिक दशा सही हो तथा वह ऐसे किसी भी रोग/अपंगता/लक्षणों से मुक्त हो जो समुद्र व हवाई भू-भागों सहित दुर्गम क्षेत्रों में तथा विषय परिस्थितियों में मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता के बगैर उसके सैन्य दायित्वों के निर्वहन में बाधक हो। अभ्यर्थी ऐसे किसी भी चिकित्सीय अवस्था से मुक्त होना चाहिए जिसमें नियमित रूप से दवाओं अथवा चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग की जरूरत हो।

- (क) सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि अभ्यर्थी स्वस्थ हो तथा उसके शरीर के किसी भी अंग अथवा प्रणाली में खराबी, जन्मजात विकृति/बीमारी के लक्षण न हो।
- (ख) ट्यूमर/सिस्ट/लिम्फ नोड्स में सूजन सहित शरीर के किसी भी भाग में कोई सूजन न हो तथा शरीर में कहीं साइनस अथवा फिस्ट्यूला की शिकायत न हो।
- (ग) त्वचा पर किसी प्रकार का हाइपर अथवा हाइपो पिगमेंटेशन या किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण/अपंगता न हो।
- (घ) शरीर में हर्निया की शिकायत नहीं हो।
- (च) शरीर पर ऐसा कोई भी निशान न हो जो कार्य को बाधित करता हो तथा महत्वपूर्ण विकलांगता का कारण हो।
- (छ) शरीर में कहीं पर भी धमनी व शिराओं से संबंधित खराबी न हो।
- (ज) सिर और चेहरे में किसी प्रकार की खराबी जिसमें एकरूपता न हो, अस्थिभंग अथवा खोपड़ी की हड्डी के दबाव से बनी विकृतियां अथवा पहले हुए किसी मेडिकल ऑपरेशन के निशान तथा साइनस एवं फिस्ट्यूला इत्यादि जैसे खराबियां शामिल हैं, न हों।
- (झ) रंगों की पहचान करने में कठिनाई न हो तथा दृष्टि क्षेत्र में खराबी समेत किसी प्रकार की दृष्टिबाधिता न हो।
- (ट) सुनने में किसी प्रकार की अक्षमता कानों के प्रकोष्ठ- कर्णावृत्त प्रणाली में किसी प्रकार की खराबी/अक्षमता न हो।
- (ठ) किसी रोग के कारण बोलने में समस्या न हो।
- (ड) नाक अथवा तालू की अस्थि अथवा उपास्थि में किसी प्रकार की बीमारी अक्षमता/जन्मजात विकृति/लक्षण न हो, नासिकय पोलिस अथवा नासा-ग्रसनी, अलि जिझा तथा गौण साइनस से जुड़ी कोई बीमारी न हो। नाक में कोई विकृति अथवा पुरानी टॉसिलाइटिस के लक्षण न हो।
- (ढ) गले, तालू टोंसिल अथवा मसूढ़ों की बीमारी के कोई लक्षण/ अक्षमता अथवा चोट नहीं होने चाहिए जो मैनडिबलर ज्वाइंट के सामान्य कार्य को प्रभावित करते हों।
- (त) जन्मजात, आनुवंशिक, आंगिक और उच्च रक्तचाप और चालन विकारों सहित हृदय और रक्त वाहिकाओं संबंधी कोई रोग/लक्षण/अक्षमता विकलांगता न हो।
- (थ) पलमोनरी टी बी अथवा इस बीमारी से संबंधित पुराने लक्षण अथवा फेफड़ों व छाती संबंधी अन्य बीमारी/ लक्षण/अक्षमता जिसमें एलर्जी/रोग प्रतिरोधी क्षमता, संयोजी ऊतक विकार तथा छाती के मस्क्यूलोस्केलैटल विकार शामिल हैं, न हो।
- (द) लिवर अग्नाशय की खराबी समेत पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी या अंतस्त्रावी, जन्मजात, वंशानुगत अथवा आनुवांशिक बीमारी/ उसका लक्षण तथा अक्षमता न हो।
- (ध) अंतःस्त्रावी तंत्र तथा रेटिकुलोएंडोथैलियल तंत्र (सिस्टम) से जुड़ी कोई बीमारी/लक्षण/अक्षमता न हो।
- (प) जेनिटोरिनरी सिस्टम संबंधी कोई बीमारी/अक्षमता जिसमें किसी अंग अथवा ग्रंथि की विकृति, एट्रोफी/हाइपट्रोफी शामिल है, न हो।
- (फ) किसी प्रकार के सक्रिय, गुप्त अथवा जन्मजात यौन रोग से ग्रसित न हो।

(ब) किसी प्रकार की मानसिक बीमारी, मिर्गी, मूत्र नियंत्रण संबंधी अक्षमता न होने अथवा उसका इतिहास न हो।

(भ) मसक्यूलोस्केलैटल सिस्टम तथा खोपड़ी, मेरुदण्ड व अन्य अंगों सहित जोड़ों से संबंधित कोई बीमारी/अक्षमता/लक्षण न हो।

(म) जन्मजात अथवा आनुवंशिक बीमारी/लक्षण/अक्षमता न हो।

4. सेवा चयन बोर्ड (एस एस बी) प्रक्रिया के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। इसके बावजूद यदि चिकित्सकीय जांच के दौरान असामान्य लक्षण का पता चलता है तो वह अभ्यर्थी के चयन की अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

5. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर निम्नलिखित चिकित्सकीय अवस्थाएं अभ्यर्थी की अस्वीकृति का कारण होती हैं:-

(क) रीढ़ की हड्डी, छाती व कुल्हे तथा अन्य अंगों से संबंधित मसक्यूलोस्केलैटल विकृतियां जैसे स्कोलिओसिस टौरटिकॉलिस, कॉयफौसिस, मेरुदण्ड, पसली, वक्ष अस्थि, कंठास्थि, अस्थि-पंजर की अन्य विकृतियां, भंगअस्थि का गलत जुड़ना, विकृत अंगों, हाथ और पैर की उंगलियों तथा मेरुदण्ड की जन्मजात विकृतियां न हो।

(ख) अंगों की विकृतियां: विकृत अंग, हाथ और पैर की उंगलियां, विकृत संधि जैसे क्यूबिटस वैल्गस, क्यूबिटस वैरस, नाक नी, धनुषाकार टांगे (बलो लेग्स) हाइपर मोबाइल ज्वाइंट्स, हाथ अथवा पैर की कटी उंगलियां और छोटे अंग।

(ग) दृष्टि और आंख: निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष, दृष्टिवैषम्य, कॉर्निया, लेंस और रेटिना के घाव, भेंगापन और पलक पक्षाघात (पिटोसिस)।

(घ) सुनने की क्षमता, कान, नाक और गला: सुनने की क्षमता मानक स्तर का न होना, कान के चौड़े भाग, इसके परदे, मध्य कर्ण के जख्म, विसामान्य नासा-पट तथा पसली, ताल पेरिऑरिक्युलर साइनस और गर्दन की लिफेडेनाइटिस/एडीनोपैथी जैसी जन्मजात विकृतियां/अभ्यर्थी को सामान्य बातचीत और तेज फुसफुसाहट (फोर्ड विपरिंग) को 610 सेमी की दूरी से प्रत्येक कान से सुनने में समर्थ होना चाहिए।

(च) दांतों की स्थिति:

(i) जबड़ों की प्रारंभिक प्रोगात्मक स्थिति जो बड़ भी सकती है और दुबारा भी हो सकती है।

(ii) ऊपरी और निचले जबड़े में ऐसी कोई विशेष विसंगति जिससे अच्छी प्रकार चबाने/अथवा बोलने में कठिनाई हो सकती है, वह भी अभ्यर्थी की अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

(iii) रोगसूचक टैम्प्रो मेंडिबूलर जोड़ एवं उसका कमजोर होना। मुंह के किनारों पर 30 मिलीमीटर से कम खुलना तथा मुंह ज्यादा खुलने पर टैम्प्रो मेंडिबूलर जोड़ अपने स्थान से हटना।

(iv) सभी संभावित कैसरयुक्त अवस्थाएं।

(v) मुंह खुलने में रुकावट या बगैर रुकावट सब-म्यूकस फाइब्रोसिस के लिए नैदानिक जांच।

(vi) दंत संरचना में खराबी तथा/अथवा मसूड़ों से खून निकलना जिसके कारण दंत स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

(vii) दांत हिलना- दो या अधिक दांत हिलने या कमजोर होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(viii) कॉस्मैटिक अथवा मैक्सीलोफेएसियल सर्जरी/ट्रॉमा के बाद अभ्यर्थी सर्जरी/चोट लगने की तारीख से, जो भी बाद में हो कम से कम 24 सप्ताह तक अयोग्य माना जाएगा।

(ix) दांत के मेलोक्लूसन यदि अच्छी प्रकार चबाने में, ओरल हाइजिन की देखभाल या सामान्य पोषण या ड्यूटियों के सक्षमतापूर्वक-निष्पादन करने में यदि बाधा पहुंचाता हो।

(छ) छाती: टीवी या टीवी के प्रमाण हो, फेफड़ों या हृदय का घाव, छाती की दीवार पर मसक्यूलोस्केलेटल घाव।

(ज) पेट और जनित्र-मुत्रीय प्रणाली- हर्निया, बढ़ा हुआ वृषण, वेरीसोल, ओरगेनोमेगली, सॉलिटरी किडनी, हार्सशू किडनी एवं किडनी और लिवर में सिस्ट में होना। गोलब्लैड पथरी, रीनल और यूरेट्रिक पथरी, यूरोजेनिटिकल अंगों में घाव/गड़बड़ी, बवासीर रोग तथा साइनस और लिम्फोडेइटिस/पैथी होना।

(झ) तंत्रिका प्रणाली: कंपन, बोलने में बाधा एवं असंतुलन।

(ट) विटिलिगो, हीमोगियोमास, मस्सा, कोर्न, डरमिटिस, त्वचा संक्रमण और हाइपरहाइड्रोसिस होना।

6 ऊंचाई और वजन मानक नीचे दिए गए हैं। ऊंचाई के लिए वजन क्षेपक वर्जित न हो तो किया जा सकता है।

ऊंचाई एवं वजन संबंधी मानक (पुरुष)

ऊंचाई सेंटीमीटर में	वजन किग्रा में			
(बगैर जूतों के)	18 वर्ष	20 वर्ष	22 वर्ष	24 वर्ष
152	45	546	47	48
155	46	47	49	50
157	47	49	50	51
160	48	50	51	52
162	50	52	53	54
165	52	53	55	56
168	53	55	57	58
170	55	57	58	59
173	57	59	60	61
175	59	61	62	62
178	61	62	63	64
180	63	64	65	66
183	65	67	67	68
185	67	69	70	71
188	70	71	72	74
190	72	73	74	76
193	74	76	77	78
95	77	78	79	81

ऊपर दी गई तालिका में जो औसत भार दर्शाया गया है इसमें $\pm 10\%$ के अंतर (नौसेना के लिए) को सामान्य सीमा के अंदर ही माना जाना चाहिए। फिर भी, भारी हड्डियों वाले तथा चौड़े शरीर वाले अभ्यर्थियों के मामले में तथा

कमजोर शरीर वाले अभ्यर्थियों के मामले में जो अन्यथा स्वस्थ हों उनकी मेधा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कुछ छूट दी जा सकती है।

7. सभी अफसर एंट्रियों तथा कमीशन पूर्व ट्रेनिंग अकादमियों के लिए निम्नलिखित जांच की जाएगी। फिर भी, जांच करने वाले मेडिकल अफसर/मेडिकल बोर्ड किसी ऐसी अन्य जांच के लिए भी कह सकते हैं जिसे वे उचित समझते हों।

- (क) पूर्ण हेमोग्राम
- (ख) यूरीन आर ई
- (ग) चेस्ट एक्स-रे
- (घ) यू एस जी एब्डोमेन तथा पेल्विस

8. दृष्टि संबंधी मानक:-

बिना चश्मे का असंशोधित	6/12, 6/12
चश्मे के साथ संशोधित	6/6, 6/6
निकट दृष्टिदोष संबंधी सीमाएं	1.5 D Sph
दीर्घ दृष्टि संबंधी सीमाएं	:+1.5 D Cyl
अंबिदुक्ता (Aslismatism) (निकट दृष्टिदोष तथा दूर दृष्टि दोष की सीमाओं के अंदर)	+0.75D Sph/Cyl
बायनोक्यूलर विजन	III
कलर परसेप्शन (रंगों को समझने संबंधी) सीमाएं	I
लैसिक/समतुल्य शल्यचिकित्सा	अनुमति है
रेडियल केराटोमी	अनुमति नहीं है

केराटो रिफ्रेक्टिव सर्जरी: जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी प्रकार की रिफ्रेक्टरी सर्जरी (PRK/LASIK/SMILE) करवाई हो उन्हें एंट्री के लिए फिट माना जाएगा पर उन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

- (क) सर्जरी 20 वर्ष के पूर्व न की गई हो।
- (ख) जांच से कम-से-कम 12 माह पूर्व रिफ्रेक्टिव सर्जरी के प्रकार का उल्लेख करने वाला (सर्टिफिकेट, जिसमें सर्जरी की तारीख तथा ऑपरेशन-पूर्व रिफ्रेक्टिव दोष उस नेत्र में कितना था इसके बारे में लिखा हो, इसे अभ्यर्थी को भर्ती पूर्व की जाने वाली चिकित्सकीय जांच के समय प्रस्तुत करना होगा)।
- (ग) IOL मास्टर या A स्कैन द्वारा 26 mm से कम या बराबर एक्सियल लेन्थ।
- (घ) पैकीमीटर द्वारा मापित रेसिडुअल कॉर्नियल की मोटाई 450 माइक्रॉन से कम नहीं होनी चाहिए।
- (च) जिस वर्ग के लिए आवेदन किया गया हो उसके लिए रेसिडुअल रिफ्रेक्शन ± 10 D sph or cyl से कम या उसके बराबर अनुमत सीमा में होना चाहिए।
- (छ) ऑपरेशन पूर्व रिफ्रेक्टिव दोष को ± 6.0 D से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ज) रेटिना संबंधी सामान्य जांच।
- (झ) फिर भी, जिन अभ्यर्थियों ने केराटो-रिफ्रेक्टरी सर्जरी (PRK, LASIK, SMILE) करवाई हो उन्हें सबमरीन, डाइविंग तथा MARCO जैसे विशिष्ट संवर्ग में भर्ती नहीं किया जाएगा।

(ट) जिन अभ्यर्थियों ने केराटोदोमी करवाई हो वे स्थायी तौर पर अनफिट रहेंगे।

नोट:- आपके हित में सलाह दी जाती है कि कानों में मैल, आंखों के रिफ्रैक्टरी दोष, त्वचा का फंगल संक्रमण की प्राथमिक चिकित्सीय जांच आदि SSB में रिपोर्ट करने के पूर्व करा लें।

9. मेडिकल बोर्ड कार्यवाही के लिए AFMSF-2A फॉर्म प्रयोग करें।

10. चिकित्सकीय जांच बोर्ड की प्रक्रिया: अफसरों के चयन तथा कमीशन पूर्व प्रशिक्षण एकेडमी में नामांकन के लिए अफसरों के चयन के लिए सैन्य सेवा चयन बोर्ड (SSB) के पास स्थित आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटलों में मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड का आयोजन किया जाता है। इन मेडिकल बोर्डों को स्पेशल मेडिकल बोर्ड (SMB) कहा जाता है। एस एस बी इंटरव्यू पास कर लेने वाले अभ्यर्थियों को आइडेंटिफिकेशन दस्तावेजों के साथ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल के स्टाफ सर्जन अभ्यर्थी की पहचान करेंगे, उसे AFMSF-2 के संगत भागों को भरने में गाइड करेंगे और मेडिकल, सर्जिकल, आंख, ENT तथा दंत रोग की जांच आयोजित करवाएंगे। महिला अभ्यर्थियों की जांच स्त्री रोग विशेषज्ञ से भी करवाई जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा जांच किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि विशेषज्ञों की जांच से मेडिकल बोर्ड संतुष्ट हो जाता है तब वह अभ्यर्थी के फिटनेस की घोषणा कर देगा। यदि SMB किसी अभ्यर्थी को अनफिट घोषित कर देता है तब वह 'अपील मेडिकल बोर्ड' (AMB) के लिए अनुरोध कर सकता है। ए एम बी के लिए विस्तृत प्रक्रिया संबंधी विवरण प्रेसिडेंट, एस एस बी उपलब्ध करवाएंगे।

11. विविध पहलु:

(क) DGAFMS का कार्यालय जांच की क्लिनिकल प्रक्रिया निर्धारित करता है।

(ख) महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला चिकित्सा अफसरों और विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला परिचारक की उपस्थिति में चिकित्सा अफसर द्वारा की जाएगी।

(ग) शल्यचिकित्सा के उपरांत की फिटनेस: शल्यचिकित्सा के उपरांत अभ्यर्थियों को फिट घोषित किया जाएगा। तथापि, कोई पेचीदगी नहीं होनी चाहिए, घाव भरे हुए होने चाहिए और आवश्यक तनन बल (tensile strength) होना चाहिए। अभ्यर्थी को हर्निया के ओपन/लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 01 साल बाद और कॉलिसिसटेक्टोमी के लिए लैप्रोस्कोपिक एंडोमिनल सर्जरी के बारह हफ्तों के उपरांत फिट माना जाएगा। किसी अन्य शल्यचिकित्सा के लिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 हफ्ते बाद और ओपन सर्जरी के 12 महीने के बाद ही फिट समझा जाएगा। चोट, किसी लिगमेन्ट टिअर और मेनिस्कस टिअर के लिए हुई शल्यचिकित्सा, जिसकी अवधि चाहे कितनी भी हो, के लिए अभ्यर्थी अनफिट माना जाएगा।

नोट-II स्थायी बॉडी टैटू बाजू के अंदरूनी हिस्से पर ही अनुमत है अर्थात् कोहनी के अंदरूनी हिस्से से लेकर कलाई तक और उल्टी हथेली/हाथ का पिछला भाग (पृष्ठ)। स्थाई बॉडी टैटू शरीर के किसी अन्य भाग में स्वीकार्य नहीं है और अभ्यर्थी आगे की चयन प्रक्रिया से वंचित रहेंगे। विद्यमान परंपराओं के अनुसार चेहरे या शरीर पर टैटू चिह्न जनजातियों के संबंध में लिए संबंधित मामले के अनुसार अनुमत होंगे। ऐसे मामलों के निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी कमांडेंट सिलेक्शन सेन्टर होता है।

12. सैन्य सेवा चयन बोर्ड द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी सैन्य सेवा चिकित्सा अफसरों के बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में भाग लेगा। अकादमी में केवल उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें चिकित्सा बोर्ड द्वारा फिट घोषित किया गया हो। तथापि, जिन अभ्यर्थियों को अनफिट घोषित कर दिया गया है, उन्हें इसकी सूचना चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी और अपील चिकित्सा बोर्ड (ए एम बी) में अनुरोध करने की प्रक्रिया के बारे में भी अभ्यर्थी को सूचित किया जाएगा।

13. जो अभ्यर्थी अनफिट हैं वे अपील चिकित्सा बोर्ड (ए एम बी) को आवेदन कर सकते हैं जिसे एस एस बी के 42 दिनों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए और अपील चिकित्सा बोर्ड के पूरे होन के एक दिन के भीतर रीव्यू मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) में अनुरोध कर सकते हैं। अभ्यर्थी जिन्हें ए एम बी द्वारा अनफिट घोषित किया गया है उन्हें ए एम बी के अध्यक्ष ए एम बी के निष्कर्षों को चुनौती देने की प्रक्रिया के बारे में भी अभ्यर्थी सूचित करेंगे। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाएगा कि रीव्यू मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) मामले के मेरिट के आधार पर डी जी ए एफ एम एस के विवेकाधिकार पर दिया जाएगा और इसे अभ्यर्थी का अधिकार नहीं माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी आर एम बी के लिए निवेदन करना चाहता है तो उसे डी एम पी आर/एकीकृत मुख्यालय- रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को संबोधित करना होगा और इसकी एक प्रति ए एम बी के अध्यक्ष को भी सौंपी जाएगी। डी जी ए एफ एम एस का कार्यालय अभ्यर्थी को तारीख और स्थान (केवल दिल्ली और पुणे)

के बारे में सूचित करेगा जहां आर एम बी के लिए प्रस्तुत होना है। अभ्यर्थी को निर्धारित शारीरिक मानदण्डों के अनुसार शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए जो संक्षिप्त रूप से नीचे दिए गए हैं:-

- (क) अभ्यर्थी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी भी बीमारी/अक्षमता से मुक्त होना चाहिए जिससे झूटी के सक्षम रूप से निष्पादन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो।
- (ख) अभ्यर्थी में किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी, शारीरिक अक्षमता या मानित स्तर से कम वजन के कोई भी लक्षण नहीं होने चाहिए। अभ्यर्थी का वजन मानित स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ग) पुरुष अभ्यर्थियों का न्यूनतम स्वीकार्य कद 157 से मी है। गूरखा और भारत के उत्तर पूर्व पहाड़ियों, गडवाली, कुमाऊं से आने व्यक्तियों का निम्नतम स्वीकार्य कद से 5 सेमी कम है। लक्षद्वीप से आने वाले अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम स्वीकार्य कद 2 सेमी तक कम हो सकता है। तथापि, हर तरह की छूट के बाद सभी प्रविष्टियों का निम्नतम कद 148 सेमी है। अन्यथा अभ्यर्थी को बौना समझा जाएगा।
- (घ) सीना अच्छी तरह विकसित होना चाहिए। पूरी सांस खींचने के बाद विस्तार की न्यूनतम रेंज 5 सेमी होनी चाहिए। माप एक टेप से इस तरह समायोजित की जाएगी कि उसका निचला छोर सामने वाले निपल को छूना चाहिए और टेप का ऊपरी हिस्सा कंधे की हड्डी के पीछे लोअर एंगल को छूना चाहिए। छाती का एक्स-रे जरूरी है और छाती के किसी भी रोग को खारिज करने के लिए लिया जाता है। नौसेना अभ्यर्थियों के लिए सामान्य एक्स-रे स्पाइन नहीं लिया जाता।
- (च) हड्डियों या जोड़ों में कोई अपूर्ण विकास या उनकी कार्यक्षमता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
- (छ) अभ्यर्थी का मानसिक आघात या दौरों का कोई पूर्व इतिहास नहीं होना चाहिए।
- (ज) श्रवण शक्ति सामान्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी एक शांत कमरे में दोनों कानों से 610 सेमी की दूरी पर जोर के फुसफुसाहट को सुनने में सक्षम होना चाहिए। कान, नाक या गले के रोग का कोई वर्तमान या पूर्व इतिहास का प्रमाण नहीं होना चाहिए। बोलने की क्षमता बाधा रहति हो।
- (झ) हृदय या रक्त वाहिका में कार्यात्मक या आंगिक रोग के कोई चिह्न नहीं होने चाहिए। रक्त दाब सामान्य होना चाहिए।
- (ट) यकृत या तिल्ली में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। उदर के आंतरिक अंगों के किसी भी रोग का साक्ष्य अस्वीकृति का कारण हो सकता है।
- (ठ) बिना ऑपरेशन वाला हर्निया अभ्यर्थी को अनफिट कर सकता है। हर्निया का ऑपरेशन हो जाने की स्थिति में अंतिम चिकित्सकीय जांच से पहले, कम से कम छः माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो।
- (ड) किसी प्रकार का हाइड्रोसिल, वृषण-शिरापस्फीति (वैरिकोसील) या पाइल्स नहीं होना चाहिए।
- (ढ) पेशाब की जांच की जाएगी। किसी प्रकार की असामान्यता पाए जाने पर यह अस्वीकृति का कारण होगा।
- (त) त्वचा की कोई बीमारी, जिससे अशक्तता या विकृति होने की संभावना हो, भी अस्वीकृति की वजह होगी।
- (थ) यू एस जी उदर जांच की जाएगी तथा उदरांगों में किसी प्रकार की जन्मजात संरचनात्मक अपसामान्यता या रोग, अस्वीकृति का कारण होगा।
- (द) अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में प्राकृतिक व स्वस्थ दांत होने चाहिए। न्यूनतम 14 दांत बिंदु स्वीकार्य होंगे। 32 दांत होने की स्थिति में कुल दांत बिंदु 22 होते हैं। अभ्यर्थी को गंभीर पायरिया से पीड़ित नहीं होना चाहिए।

14. सभी चयनित अभ्यर्थियों को कठोर सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना होगा और उन्हें किसी भी क्षेत्र, जलवायु एवं विषम परिस्थितियों में सेना की झूटी हेतु तैनात किया जाएगा। ऐसी स्थितियों में दल के किसी सदस्य की अस्वस्थता सैन्य ऑपरेशन को उथल-पुथल कर सकता है या संपूर्ण दल के जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र, जलवायु तथा कठिन परिस्थितियों में सैन्य झूटी करने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट अभ्यर्थियों की चिकित्सा जांच की जाती है। अभ्यर्थी को:-

- (क) प्रशिक्षण से गुजरने के लिए चिकित्सीय रूप से सक्षम होना चाहिए तथा उन्हें सशस्त्र सेनाओं की सैन्य झूटी करने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए।

- (ख) भौगोलिक क्षेत्र की अपसामान्यताओं को नजरअंदाज करते हुए उसे सैन्य वातावरण के अनुरूप ढलने के लिए चिकित्सा की दृष्टि से होना चाहिए तथा उसे विशिष्ट चिकित्सा देखभाल लिए बिना सैन्य कार्य करने योग्य होना चाहिए।
- (ग) उन चिकित्सा परिस्थितियों या शारीरिक विकृतियों से मुक्त होना चाहिए जिनके उपचार तथा अस्पताल में भर्ती के लिए झूटी का अत्यधिक समय नष्ट हो।
- (घ) संक्रामक बीमारियों से मुक्त होना चाहिए जो अन्य कार्मिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती हों।

15. सभी अभ्यर्थियों की जांच चिकित्सा अफसरों के बोर्ड द्वारा की जाएगी जो कि आधारभूत (बेसिक) सैन्य प्रशिक्षण से गुजर चुके हैं तथा सैन्य तैनाती एवं कार्य परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। चिकित्सा बोर्ड उपर्युक्त वर्णित सिद्धांतों पर आधारित निर्दिष्ट सैन्य अस्पतालों में संपन्न होता है जिसमें चिकित्सा तथा सैन्य विज्ञान की नवीनतम जानकारी रहती है। संपूर्ण शरीर की पूरी जांच की जाती है ताकि सामान्य अनुकूल विकृतियों तथा सरलता से पता लगाने योग्य अन्य अशक्तताओं की पहचान की जा सके। चिकित्सा जांच की प्रकृति नैदानिक नहीं होती है, अतः निर्दिष्ट अंगों की सीमित जांच की जाती है जो सिर्फ छानबीन के लिए होता है जैसा कि उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह निर्दिष्ट चिकित्सा स्वस्थता मानदण्ड की सिर्फ रूपरेखा है जो केवल अभ्यर्थी के सामान्य दिशा-निर्देश के लिए होता है। चिकित्सा अफसर बोर्ड सशस्त्र सेना में भर्ती/कमीशन के लिए लागू इससे अधिक विस्तृत चिकित्सा मानदण्डों का अनुसरण करते हैं।

16. विशेष चिकित्सा बोर्ड के दौरान निम्नलिखित जांच अनिवार्य रूप से की जाती हैं। हालांकि अभ्यर्थी की जांच कर रहा चिकित्सा अफसर/चिकित्सा बोर्ड आवश्यकतानुसार या निर्दिष्ट किसी अन्य जांच की मांग कर सकते हैं:-

- (i) पूर्ण हेमोग्राम
- (ii) पेशाब आर ई/एम ई
- (iii) छाती के एक्स-रे की पी ए जांच
- (iv) उदर एवं श्रोणि का अल्ट्रासाउंड

17. अस्वीकृति के सामान्यतः निम्नलिखित कारण होते हैं। यह सूची विस्तृत नहीं है तथा चिकित्सा बोर्ड ही उपयुक्तता (फिटनेस) का अंतिम प्राधिकारी होता है।

(क) साइनस, नासूर एवं हर्निया, सिस्ट, हाइपर/हाइपो रंजित धब्बे, सूजन, नीवस, संवहनी अपरचना, शरीर पर कहीं भी निशान।

(ख) सिर एवं गर्दन: पेशीय विकृतियां जो कि सुरक्षा गियर के उपयोग में हस्तक्षेप कर सकता है, ग्रीवा पसली।

(ग) छाती: पेशीय विकृतियां, जैसे- पेक्टस एक्सकेवेटम पीजन चेस्ट कबूतर छाती, जीर्ण वजन, फुफ्फुस रिसाव, फेफड़ों का सांतर-विधानीय आघात, यक्ष्मा (ट्यूबरक्यूलोसिस) का सक्रिय या अवशिष्ट आघात।

(घ) उदर एवं प्रजनन तंत्र: हर्निया, अंगों में असामान्य वृद्धि, संवहनी विकृतियां, गुर्दे की विकृतियां, पित्त की पथरी, गुर्दे की ध्वनि इत्यादि। प्रजनन तंत्र की विकृतियां।

(च) ऊपरी अंग, निचले अंग और मेरूदंड: अत्यंत लचीला या जोड़ों में अवरोध, कोहनी में समस्या (क्युबिटस वैल्युस) क्युबिटस बैरस, जेन रेक्युवेटम (घुटनों की समस्या), हाथ और पैर की विकृति, कुब्जता, पार्श्वकुब्जता, द्विमेरुता (स्पाइना बिफिडा) जैसी जन्मजात विकृति।

(छ) त्वचा/चर्म: विटिलिगो, घाव का निशान, संवहनी विकृति, पुराना चर्म रोग।

(ज) निम्नलिखित नेत्र संबंधित रोग किसी अभ्यर्थी को अयोग्य बना देंगे।

- (कक) पलकों का पक्षाघात (टोसीस)
- (कख) कॉर्निया की अपारदर्शिता (कॉर्नियल ओपेसिटी)
- (कग) टेरिजियम
- (कघ) लेन्टिक्युलेरोसिटी
- (कच) यूवाइटिस

- (कछ) अक्षिदोलन (निस्टेग्मस)
- (कज) पलकों का अन्तर्वलन/पलकों का बाहर की ओर मुड़ना (एन्ट्रोपिओन/एक्ट्रोपिओन)
- (कझ) भेंगापन (स्कुइंट)
- (कट) रतौंधी
- (कठ) रेटिना के घाव
- (कड) नासो-लेक्रिमल समावेशन
- (झ) कान और सुनने के मानक
- (क) अस्वीकृति के कारण
 - (कक) ऑरिकल और मस्टॉयड क्षेत्र, कानकेफ्तों (पीना) की जांच उससे संबंधित घोर विकृति के लिए की जाएगी क्योंकि उससे वर्दी, व्यक्तिगत किट, संरक्षित उपकरण पहनने में बाधा होती है, या जो सैन्य प्रभाव के प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।
 - (कख) बाह्य कर्ण-कुहरः कर्णमल, किसी फॉरन बाडी की उपस्थिति, एक्सोसटोसिस ग्रोथ, ऑटो माइकोसिस या स्राव।
 - (कग) कान के पर्दे का वेध, घाव या आघात, निशान, टीम्पेनोसइरोटिक प्लैक या झिल्ली में सिकुड़न और अस्थिर या आंशिक रूप से स्थिर टेम्पैनिक मेम्ब्रन।
 - (कघ) सुनने के मानक: परीक्षक की ओर पीठ करके खड़े होकर अभ्यर्थी प्रत्येक कान से अलग-अलग 610 सेमी की दूरी से फुसफुसाहट और बातचीत की आवाज सुनने में सक्षम होना चाहिए।

18. एक्स-रे परीक्षण में निम्नलिखित स्थितियों के पता लगने पर नौसैना में प्रवेश के लिए अयोग्य होंगे:-

- (क) रीढ़ की हड्डी की ग्रेनुलोमैटस बीमारी
- (ख) आर्थराइटिस- न्यूमोटाइड आर्थराइटिस और उससे संबंधित डिसऑर्डर और एन्किलूसिंग स्पोण्डिलाइटिस
- (ग) कोब्स विधि से मापी गई 10° डिग्री से अधिक स्कोलिओसिस
- (घ) हल्के से ज्यादा कार्डीफॉसिस/लार्डोसिस
- (च) स्पोण्डिलोथेसिस/स्पोण्डिलोसिस/स्पोण्डिलोलिसिस
- (छ) हर्नियेटेड न्यूक्लियस पल्पोसस
- (ज) रीढ़ की कशेरूक (वर्टिब्रा) में कम्प्रेशन फ्रैक्चर
- (झ) सेक्रेलाइजेशन रोग (रीढ़ की हड्डी में अनियमितता)
- (ट) स्पष्ट स्नायविक तथा परिसंचरण संबंधी कमी के साथ सर्वाइकल रिब्स
- (ठ) एक से अधिक स्तर पर स्केमोरल नोड्स की उपस्थिति
- (ड) एटलांटो ऑप्टिकल और अटलांटो एक्सिअल कमियां
- (ढ) एक पक्षीय या द्वीपक्षीय अपूर्ण स्कारालाइजेशन
- (त) एस वी 1 और एल वी 5 के अलावा स्पाइनेबीफिडा
- (थ) विशेषज्ञ द्वारा बताई गई कोई अन्य असामान्यता

19. यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य माना जाता है तो एक सेवा के लिए निर्धारित विशेष जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अयोग्यता पाई जाने पर अभ्यर्थी किसी अन्य सेवा के लिए भी अयोग्य माना जा सकता है।

20. शारीरिक स्थिति:- नीचे दिए गए रूटीन का अनुपालन करके भावी अभ्यर्थियों को स्वयं को अच्छी शारीरिक स्थिति में रखने की सलाह दी जाती है:-

(क)	दौड़ना	- 15 मिनट में 2 से 4 किमी
(ख)	रस्सा कूदना	
(ग)	पुश अप्स/सिट अप्स	- प्रत्येक 20 न्यूनतम
(घ)	चिन अप्स	- न्यूनतम 08
(च)	रोप क्लाइम्बिंग	- 3 से 4 मी

अनुलग्नक-III

वायु सेना सेना में अफसर पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा मानक और मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया

सामान्य अनुदेश

1. इस खण्ड में सी डी एस ई द्वारा भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा में कमीशन प्रदान करने के लिए अभ्यर्थी का आकलन किया जाता है।
2. चिकित्सीय रूप से स्वस्थता की मूल आवश्यकता सभी शाखाओं के लिए अनिवार्यतः एकसमान होगी, केवल उन एयरक्रू को छोड़कर जिनके लिए पैनी नज़र के पैरामीटर, एन्थ्रोपोमेट्री और कुछ अन्य शारीरिक मानक अधिक सख्त होते हैं। किसी अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से तब तक पूरी तरह फिट नहीं माना जाएगा जब तक कि पूरी तरह जांच करने के बाद यह पाया जाए कि वह विश्व के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के मौसम में लंबी अवधि तक कठोर शारीरिक और मानसिक तनाव सहन करने की शारीरिक और मानसिक क्षमता रखता हो।
3. निर्दिष्ट चिकित्सा मानक प्रारंभिक भर्ती से संबंधित चिकित्सा मानक हैं। कमीशन प्रदान करने से पहले प्रशिक्षण के दौरान मेडिकल फिटनेस के बने रहने की जांच ए एफ ए में होने वाली आवधिक चिकित्सा जांच द्वारा की जाती है। परंतु, यदि, प्रशिक्षण के दौरान किसी रोग अथवा अशक्तता का पता लगता है, जिसका असर फ्लाइट कैडेटों के बाद की शारीरिक फिटनेस और चिकित्सा श्रेणी पर पड़ेगा, तो इस प्रकार के मामलों की सूचना तुरंत डी जी एम एस (वायु)-चिकि-7 के कार्यालय को देते हुए आई ए एम (एयरक्रू के लिए)/एम एच के विशेषज्ञ (गैर-एयरक्रू के लिए) को भेजी जाएगी। यदि आई ए एम में उस रोग अथवा अशक्तता की स्थायी प्रकृति के होने का पता चलता है तो कैडेट के सर्विस/शाखा/स्टोम में बने रहने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। यदि डी जी एम एस (वायु) की विशिष्ट छूट का अनुरोध किया जाता है तो आई ए पी 4303 चौथे संस्करण (संशोधित) के संबंधित पैरा के अनुसार मामले का पूरा औचित्य भेजा जाएगा।

सामान्य चिकित्सा और सर्जिकल आकलन

4. प्रत्येक अभ्यर्थी को वायु सेना के लिए फिट होने के लिए आगे के पैराग्राफों में निर्धारित किए गए न्यूनतम मानकों के अनुरूप होना चाहिए। सामान्य कद-काठी अच्छी प्रकार से विकसित और आनुपातिक होनी चाहिए।
5. कार्यक्षमता की किसी भी प्रकार की सीमा के लिए फ्रैक्चर/पुरानी चोटों के बाद के प्रभावों का आकलन किया जाएगा। यदि उनका कार्य पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो तो अभ्यर्थी को फिट कहा जा सकता है। रीढ़ की हड्डी के पुराने फ्रैक्चर से संबंधित मामलों को अनफिट माना जाएगा। रीढ़ को हड्डी में बाद में हुई विकृति अथवा कशेरुका (वरटेब्रा) के दबने को अयोग्यता माना जाएगा। यदि बड़ी नसों के अगले हिस्से में जख्म हो, जिनसे कार्यक्षमता कम हो रही है अथवा ऐसे घाव हों जिनके कारण दर्द या ऐंठन हो, तो यह उड़ान ड्यूटी में नियुक्ति के लिए अयोग्यता को निर्दिष्ट करता है। बड़े-बड़े या कई केलोइड्स होने के कारण भी अयोग्य माना जाएगा।
6. मामूली निशान अथवा जन्म के निशान, जैसे तपेदिक ग्रंथियों को हटाने से बने निशान, उड़ान ड्यूटी में नियुक्ति के लिए अयोग्यता के कारण नहीं माने जाएंगे। यदि हाथ-पैरों या धड़ पर घाव के कई निशान हों जिनसे कार्य करने में बाधा हो अथवा वे भद्दे लग रहे हों तो उन्हें अयोग्यता का कारण माना जाएगा।

7. यदि अभ्यर्थी की सरवाइकल रिब के कारण उसके न्यूरोवसक्यूलर सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो तो उसे स्वीकार किया जाएगा। इसे चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।

8. यदि चेहरा और सिर टेढ़ा-मेढ़ा हो जिससे ऑक्सीजन मास्क और हैलमेट की उपयुक्त फिटिंग में रुकावट हो तो उसे उड़ान ड्यूटी के लिए अयोग्यता का कारण माना जाएगा।

9. यदि किसी अभ्यर्थी का साधारण अपेन्डिसेक्टॉमि के अतिरिक्त पेट का ऑपरेशन हुआ है जिसमें बड़ी सर्जरी की गई है अथवा उसमें किसी अंग को आंशिक या पूरी तरह से शरीर से निकाल दिया गया है, तो वह उड़ान ड्यूटी के लिए अयोग्य होगा। यदि खोपड़ी का ऑपरेशन (क्रेनियल वॉल्ट) (जैसे चीड़-फाड़) किया गया हो अथवा छाती का बड़ा ऑपरेशन किया गया हो तो अभ्यर्थी उड़ान के लिए अयोग्य माना जाएगा।

10. छाती का आकार पूरी तरह आनुपातिक और भली-भांति विकसित होना चाहिए जो कम से कम 5 सेमी तक फैल सकती हो।

11. कद, बैठते समय लंबाई, टांग की लंबाई और जांघ की लंबाई

(क) ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में भर्ती के लिए न्यूनतम कद 157.5 सेमी होना चाहिए। गोरखा और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों के व्यक्तियों का न्यूनतम स्वीकृत कद 5 सेमी कम (152.5 सेमी) होगा। यदि अभ्यर्थी लक्षद्वीप से हो तो न्यूनतम स्वीकृत कद 2 सेमी (155.5 सेमी) तक कम किया जा सकता है।

(ख) उड़ान शाखा के लिए न्यूनतम कद 162.5 सेमी होगा। इन एयरक्रू के लिए टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई और बैठते समय लंबाई का स्वीकृत माप इस प्रकार होगा :—

(प) बैठते समय लंबाई : न्यूनतम—81.5 सेमी अधिकतम—96.0 सेमी

(पप) टांग की लंबाई : न्यूनतम—99.0 सेमी अधिकतम—120.0 सेमी

(पपप) जांघ की लंबाई : अधिकतम—64.0 सेमी

12. प्रारूप नियमावली के परिशिष्ट क में दिया गया यू पी एस सी द्वारा निर्धारित वजन चार्ट लागू होगा। शरीर के मानक वजन से अधिकतम 10: की छूट दी जा सकती है। आधा किग्रा. से कम के अंतर को नोट नहीं किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का वजन मानक से 10: से ज्यादा कम है तो उसका पिछला पूरा विवरण पूछा जाएगा और सावधानीपूर्वक जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि इस कम वजन का कारण तपेदिक, हाइपरथॉयरोइड, डायबिटीज इत्यादि तो नहीं है। यदि किसी कारण का पता नहीं लगता तो अभ्यर्थी को फिट घोषित कर दिया जाएगा। यदि किसी कारण का पता लगता है तो अभ्यर्थी की फिटनेस उसके अनुसार निर्धारित की जाएगी।

13. हृदय वाहिका तंत्र (कार्डियोवस्कुलर)

(क) हृदय वाहिका तंत्र (कार्डियोवस्कुलर) का आकलन करते समय छाती में दर्द, सांस फूलने, घबराहट, बेहोशी के दौर, चक्कर आने, गठिये के बुखार, अपने-आप एंठन होने (कोरिया), बार-बार गले में खराश होने और टॉन्सिल की भली-भांति जांच की जाएगी।

(ख) सामान्य पल्स रेट 60—100 बी पी एम तक घटती बढ़ती रहती है। भावनात्मक कारकों के बाद दीर्घकालिक साइन टेचीकाडिया से अधिक (100 बी पी एम से अधिक) और बुखार को कारणों के रूप में छोड़ दिया जाता है, इसके साथ-साथ कार्मिक कारणों को दीर्घकालिक साइनस ब्रेडिकार्डिया (60 बी पी एम से कम) को विशेषज्ञ की राय के लिए भेज दिया जाएगा। साइनस अरिदेमिया और वेगोटोनिया को भी निकाल दिया जाएगा।

(ग) चिकित्सीय परीक्षा के तनाव के कारण अभ्यर्थियों में व्हाइट कोट हाईपरटेंशन उत्पन्न होने की प्रवृत्ति रहती है जो रक्तचाप में अल्पकालिक वृद्धि होती है। मूल परिस्थितियों के अंतर्गत बार-बार रिकॉर्ड करते हुए व्हाइट कोट प्रभाव को दूर करने का प्रयास किया जाए। जब सूचित किया जाए, रक्तचाप की संचारी रिकॉर्डिंग की जाए या अंतिम स्वस्थता प्रमाणित करने से पूर्व अभ्यर्थी के प्रेषण के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। लगातार एच जी के 140/90 से अधिक या इसके बराबर के रक्तचाप वाले व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(घ) कायिक हृदवाहिका रोग का प्रमाण अस्वीकार किए जाने का कारण होगा। डाइस्टोलिक मर्मर निरपवाद रूप से कायिक होते हैं। निष्कासन सिस्टोलिक प्रकृति के अल्पसिस्टोलिक मर्मर हं जो रोमांच से संबंधित नहीं होते हैं और खड़े रहने पर घटते हैं विशेषतः जब वे सामान्य ई सी जी और छाती के

रेडियोग्राफ से संबंधित होते हैं वे प्रायः काम करते हैं। तथापि एक इकोकार्डियोग्राम कायिक हृदय रोग को दूर करने के लिए किया जाएगा। संदेह की किसी भी स्थिति में मामले को हृदय रोग विशेषज्ञ की राय लेने के लिए भेजा जाएगा।

(च) इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चिकित्सीय विशेषज्ञ द्वारा उपयुक्त रूप से रिकॉर्ड की गई ई सी जी (रेस्टिंग—14 लीड) का मूल्यांकन किया जाएगा। तरंग पैटर्न विस्तार (आयाम), अंतराल और समय क संबंधों पर नोट लिए जाएंगे। ढांचागत हृदय रोग, के न होने पर अपूर्ण आर बी बी बी को छोड़कर जिसे अवश्य हटाया जाए प्रवेश के समय कोई भी असामान्यता स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में वरिष्ठ सलाहकार (चिकित्सा) या हृदय रोग विशेषज्ञ की राय ली जाएगी।

14. श्वसन तंत्र

(क) चेस्ट रेडियोग्राम पर किसी प्रमाण्य अपारदर्शिता के रूप में पल्मोनरी पैरेनकीमा या प्लेयूरा में कोई अवशिष्ट स्कारिंग का अस्वीकार किए जाने का आधार होगा। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के पूर्व में इलाज किए गए मामले जिनमें कोई महत्वपूर्ण अवशिष्ट अपसामान्यता नहीं होती उसे तब स्वीकार किया जा सकता है जब निदान और इलाज दो वर्ष से भी अधिक पहले स्वीकार किया जा चुका हो। इन मामलों में चिकित्सक के निर्णय के अनुसार यू एस जी, ई एस आर, पी सी आर, इम्यूनोलॉजिकल जांच और मैन्टॉक्स टेस्ट के साथ चेस्ट का एक सी टी स्कैन आर फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी ब्रॉन्कियल लेवेज सहित की जाएगी। यदि सभी जांच सामान्य आती है तो अभ्यर्थी को फिट माना जा सकता है। हालांकि इन मामलों में फिटनेस का निर्णय केवल अपील/पुनर्विचार चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(ख) एफ्यूजन सहित प्लीयूरीजी महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्लीयूरल स्थूलता का कोई भी साक्ष्य अस्वीकार किए जाने का कारण होगा।

(ग) खांसी/सांस लेने में घरघराहट/ब्रोंकाइटिस के बार-बार हुए रोगाक्रमण का इतिहास श्वसन पथ के दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस या अन्य दीर्घकालिक पैथॉलॉजी का परिणाम हो सकता है। ऐसे मामलों को अनफिट मूल्यांकित किया जाएगा। यदि उपलब्ध हो तो पल्मोनरी फंक्शन जांच की जाएगी।

(घ) ब्रोंकियल अस्थमा/सांस लेने में घरघराहट/एलर्जिक राइनिटिस के बार-बार हुए रोगाक्रमणों का इतिहास अस्वीकार कर दिए जाने का कारण होगा।

(च) चेस्ट का रेडियोग्राफ करना। फेफड़ों, मीडियास्टिनम और प्लूरा संबंधी रोगों के सुस्पष्ट रेडियोलॉजिकल साक्ष्य वायुसेना में नियोजन के लिए अनुपयुक्तता दर्शाते हैं। यदि अपेक्षित हो तो छाती के चिकित्सक के सुझाव के अंतर्गत उपर्युक्त पैरा 13 (क) में दिए अनुसार जांच की जाएगी।

15. जठरांत्र तंत्र

(क) मुंह, जीभ, मसूड़ों या गले के फोड़े या संक्रमण के किसी भी पिछले इतिहास के साथ किसी मुख्य दंत्य परिवर्तन को नोट किया जाएगा।

(ख) दंत्य संबंधी निम्नलिखित मानकों का अनुपालन किया जाएगा :—

(i) अभ्यर्थी के 14 दंत्य बिंदु अवश्य हों और ऊपरी जबड़े में मौजूद निम्नलिखित दांतों के साथ निचले जबड़े से संबंधित सामने के दांत अच्छी कार्य स्थिति में हों और स्वस्थ हों या मरम्मत योग्य हों :—

(कक) आगे के छह में से कोई चार

(कख) पीछे के दस में से कोई छह

(कग) ये दोनों ओर से संतुलित होने चाहिए। एक ओर से चबाने की अनुमति नहीं है।

(कघ) किसी निकालने वाली या तारों वाली कृत्रिम अंग (प्रोस्थेसिस) की अनुमति नहीं है।

(ii) जिस अभ्यर्थी के दंत्य मानक निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(iii) पायरिया, घोर अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस के अग्रवर्ती चरण में व्यापक जिंदा घाव के द्वारा प्रभावित दंत्य आर्च वाले अभ्यर्थी या जबड़ों की कुल अपसामान्यता या असंख्य दंतक्षयों या सेप्टिक दांतों वाले अभ्यर्थी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ग) गैस्ट्रो डुओडेनल अक्षमता। वे अभ्यर्थी जो सिद्ध पेटिक अल्सरेशन सहित पुराने अपचन के सांकेतिक लक्षणों से गुजर रहे हैं या पिछले दो वर्षों के दौरान इन लक्षणों से गुजर चुके हैं, उनको इन लक्षणों के दोबारा उभरने के अत्यंत उच्च जोखिम के कारण और अक्षमता की संभावना को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले हुई किसी शल्य क्रिया जिसमें किसी अंग (अवशेषांगों/पित्ताशय के अतिरिक्त) की आंशिक या कुल क्षति लोप होने से अस्वीकार कर दिए जाने का मामला बनेगा।

(घ) यदि यह पता लगता है कि अभ्यर्थी को पहले पीलिया हो चुका है या उसका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आकलन के लिए पूरी जांच की जाएगी। वायरल हेपेटाइटिस या किसी अन्य प्रकार के पीलिये से पीड़ित अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को कम से कम छह महीने की न्यूनतम अवधि पूरा होने के बाद इस शर्त पर फिट घोषित किया जाएगा कि वे चिकित्सीय दृष्टि से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। एच बी वी एवं एच बी सी दोनों निगेटिव हों एवं लिवर सामान्य सीमा में कार्य कर रहा है।

(च) यदि अभ्यर्थी का प्लीहा का ऑपरेशन (स्प्लेनेक्टॉमी) हुआ हो तो वह अनफिट माना जाएगा, चाहे ऑपरेशन का कारण कुछ भी हो। यदि प्लीहा किसी भी डिग्री तक बढ़ गया हो (स्प्लेनोमिगलि), तो अभ्यर्थी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(छ) यदि किसी अभ्यर्थी की सफल सर्जरी के बाद हर्निया पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसका केवल निशान है तो सर्जरी के छह महीने बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते कि उसे हर्निया फिर से होने की कोई संभावना न हो और पेट की दीवार की मांसपेशियां पुष्ट हों।

(ज) पेट की सर्जरी

(i) यदि अभ्यर्थी के पेट की सर्जरी के पूरी तरह ठीक होने का निशान हो तो उसे सफल सर्जरी के एक वर्ष बाद फिट माना जाएगा बशर्ते कि मूल बीमारी के फिर से होने की कोई संभावना न हो और पेट की दीवार की मांसपेशियां पुष्ट हों।

(ii) यदि अभ्यर्थी की लैपरोस्कोप से पित्ताशय की सर्जरी (कॉलेसिस्टेक्टॉमी) हुई है तो उसे उस सर्जरी के 08 हफ्ते बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते कि उसमें रोग का कोई चिह्न और लक्षण न बचा हो और उसका एल एफ टी और पेट का अल्ट्रासाउंड सामान्य आया हो और पूरा गॉल ब्लैडर न हो तथा इंट्रा-एब्डॉमिनल कलैक्शन न हो। पेट के अन्य लैपरोस्कोपिक प्रोसीजर को भी सर्जरी के 08 हफ्ते बाद फिट माना जाएगा बशर्ते कि व्यक्ति में रोग का कोई लक्षण न हो, वह पूरी तरह ठीक हो गया हो और रोग से संबंधित कोई भी परेशानी न हो अथवा रोग के फिर से होने का कोई लक्षण न हो।

(झ) अल्ट्रासोनोग्राफिक (यू एस जी) जांच से फैटी लिवर, छोटे सिस्ट, हीमेंजियोमा, सेप्टेट गॉल ब्लैडर आदि के पता लगने पर ऐसे मामलों का निपटान चिकित्सीय दृष्टि और कार्यक्षमता के आधार पर किया जाएगा। व्यवस्थित तरीके से की गई यू एस जी जांच के दौरान निम्नलिखित की ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी। आगामी पैराग्राफों में सूचीबद्ध जांच परिणाम एवं रिपोर्ट किए गए अन्य इंसिडेंटल यू एस जी जांच परिणामों का चिकित्सीय दृष्टि एवं कार्यक्षमता के आधार पर संबंधित विशेषज्ञ द्वारा आकलन किया जाएगा।

(ट) लिवर

(i) फिट

(कक) लिवर का सामान्य इकोएनॉटमी, सी बी डी, आई एच बी आर, पोर्टल एवं हेपेटिक वेन और मिड-क्लैविक्युलर लाइन में लिवर की चौड़ाई 15 सेमी. से ज्यादा न हो।

(कख) 2.5 सेमी व्यास की अकेली साधारण रसौली (थिन वाल, अनेकोइक)

(ii) अनफिट

- (कक) मिड-क्लैविकुलर लाइन में 15 सेमी से अधिक हेप्टोमीगेली।
- (कख) फ़ैटी लीवर।
- (कग) 2.5 से बड़ी अकेली रसौली।
- (कघ) थिक वाल, सेप्टेसन तथा डेब्रिस के साथ किसी भी आकार की अकेली रसौली।
- (कच) 03 मि. मी से बड़ी किसी भी आकार की कैल्सिफिकेशन।
- (कछ) तीन कैल्सिफिकेशन से अधिक चाहे प्रत्येक आकार में 03 मिमी से कम क्यों न हो।
- (कज) किसी भी आकार की कई हेप्टिक रसौली।
- (कझ) 2.5 सेमी से बड़ा हीमैंगिओमा।
- (कट) पोर्टल वेन थ्रॉबोसिस।
- (कठ) पोर्टल हाइपरटेंशन (13 मिमी से बड़ा पी वी, कोलेरल, जलोदर) के साक्ष्य।

(iii) अपील मेडिकल बोर्ड/समीक्षा मेडिकल बोर्ड के दौरान अनफिट अभ्यर्थियों की विशेष जांच तथा विस्तृत नैदानिक परीक्षण करायी जाएगी। विशेष स्थितियों के लिए फिटनेस का निर्णय निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (कक) सामान्य एल एफ टी, कोई मेटाबोलिक असमान्यता न हो तथा निगेटिव HBsAg तथा Anti-HCV सीरोलोजी वाले पतले व्यक्ति के फ़ैटी लीवर को फिट माना जा सकता है।
- (कख) 2.5-05 से.मी. तक वाली अकेल साधारण रसौली की पुनः एल एफ टी, सी ई सी टी, उदर तथा हाइड्राटिड सीरोलोजी से जांच की जाएगी। यदि एल एफ टी सामान्य, हाइड्रेटिड सीरोलोजी निगेटिव तथा सी ई सी टी से यू एस जी फाइंडिंग की पुष्टि होती है तो इसे फिट माना जाएगा।
- (कग) कोई भी लीवर कैल्सिफिकेशन चाहे उसका आकार तथा संख्या कुछ भी हो उसे फिट माना जाएगा बशर्त कि जांच के बाद इस बात पता चलता है कि संगत नैदानिक जांच तथा परीक्षण (एल एफ टी, हाइड्राटिड सीरोलोजी) के आधार पर इनमें से कोई भी सक्रिय बीमारी जैसे टीबी, सार्कोइडोसिस, हाइड्रेटिड बीमारी, मेटास्टैटिक ट्यूमर अथवा लीवर अबसेस के कोई साक्ष्य न हों।

(ठ) गॉल ब्लैडर

(i) फिट

- (कक) गॉल ब्लैडर की सामान्य इक्नोटोमी।
- (कख) लैपोरोस्पिक कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद। ऐसे अभ्यर्थी जिसका लैप-कोलेसिस्टेक्टोमी हुआ है उन्हें फिट माना जा सकता है यदि सर्जरी होने के 08 सप्ताह बीत गए हो तथा बिना इंट्रा-अब्डोमिनल कलेक्शन के गॉल ब्लैडर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। बिना चीरा हर्निया के घाव अच्छी तरह से ठीक हो गए हों।
- (कग) ओपेन कोलेसिस्टेक्टोमी। जिन अभ्यर्थी का ओपेन कोलेसिस्टेक्टोमी हुआ है को फिट माना जा सकता है यदि सर्जरी होने के बाद एक वर्ष पूरा बीत गया हो तथा बिना चीरा हर्निया के घाव ठीक हो गया हो तथा बिना इंट्रा-अब्डोमिनल कलेक्शन के गॉल ब्लैडर को पथरीली तरह से हटा दिया गया हो।

(ii) अनफिट

- (कक) कोलेलीथियासिस अथवा बायलियरी स्लज।
- (कख) कोलेडेकोलीथियासिस।

- (कग) किसी भी आकार या संख्या की पॉलिप।
- (कघ) कोलेडोकल सिस्ट।
- (कच) गॉल ब्लैडर मास।
- (कछ) 5 मिमी से अधिक मोटी मॉल ब्लैडर वाल।
- (कज) सेप्टेट गॉल ब्लैडर।
- (कझ) दोबारा यू एस जी करने पर संकुचित गॉल ब्लैडर का बना रहना।
- (कट) अपूर्ण कोलेसिस्टेक्टोमी।

(ड) अनुलंब अक्ष (अथवा यदि नैदानिक रूप से स्पृश्य हो) में 13 सेमी से अधिक बड़ा प्लीहा, जगह घेरने वाला घाव तथा प्लीहाभाव के होने पर अनफिट माना जाएगा।

(ढ) अग्न्याशय की किसी भी ढांचागत असामान्यता, जगह घेरने वाले घाव, बड़े घाव, दीर्घकालिक अग्न्याशय जलन के लक्षणों (कैल्सीभवन, वातमार्गिय असामान्यता, क्षीणता) को अनफिट माना जाएगा।

(त) उदरावरण गुहिका। जलोदर, 1 सेमी. से बड़े एकल आंत्रयोजनी अथवा पश्चपर्युदर्य लसीका पर्वों के होने को अनफिट माना जाएगा।

(थ) जननमूत्र तंत्र

(i) एक वृक्क (किडनी) से 2.5 सेमी. से छोटे आकार के एक साधारण अनवरोधी वृक्क रसौली को फिट माना जाएगा।

(ii) वृक्कों की निम्नलिखित जन्मजात ढांचागत असामान्यताओं को अनफिट घोषित किया जाएगा।

(कक) एकपाश्विक वृक्कीय विकास।

(कख) 08 सेमी. से छोटे आकार के एकपाश्विक अथवा द्विपाश्विक अविकसित/संकुचित वृक्क।

(कग) अपरिक्रमण।

(कघ) लालाकार वृक्क।

(कच) वर्त्मपातित वृक्क।

(कछ) तिर्यक संयुक्त/ अस्थानी वृक्क।

(iii) एक वृक्क से 2.5 सेमी. से बड़े आकार की साधारण एकल वृक्कीय रसौली।

(iv) दोनों वृक्क में किसी भी आकार की एकल रसौली अथवा एक वृक्क में अनेक रसौली।

(v) वृक्कीय/मूत्र वाहिनी संबंधी/मूत्राशय संबंधी संपुंज।

(vi) जल वृक्कता, जलगवीनी वृक्कता।

(vii) पथरी-वृक्कीय/मूत्रवाहिनी संबंधी/मूत्राशय संबंधी।

(viii) अपील मेडिकल बोर्ड/पुनर्विचार मेडिकल बोर्ड के दौरान अनफिट उम्मीदवारों की विशिष्ट जांच और विस्तृत नैदानिक परीक्षण कराया जाएगा। विशिष्ट अवस्थाओं के लिए नीचे दिए गए रूप में फिटनेस का निर्णय किया जाएगा।

(कक) ऐसे उम्मीदवार जिनके वृक्क के अंकोमा गठन की वियुक्त (अकेली) असामान्यता हो, को फिट माना जा सकता है यदि वृक्कीय प्रकार्य, डी पी टी ए स्कैन और सी ई सी टी वृक्क सामान्य हो।

(द) बड़ा उदरीय संवहन न्यास (महाधमनी/आई वी सी)। किसी भी ढांचागत असामान्यता, विकारस्थानिक विस्फार, ऐन्यूरिज्म और कैल्सीभवन को अनफिट माना जाएगा।

(ध) वृष्णकोश और वृषण

- (i) एकपार्श्विक अन्तरुदरीय वृष्ण होने को फिट घोषित किया जाएगा बशर्ते दूसरा वृष्ण पूरी तरह नीचे आया हुआ हो।
- (ii) द्विपार्श्विक नीचे न आए वृष्णों अथवा द्विपार्श्विक अपुष्ट वृष्ण होने को अनफिट घोषित किया जाएगा।
- (iii) एकपार्श्विक नीचे न आया वृष्ण यदि वंक्षण नलिका में पड़ता हो, बाह्य वलय पर हो अथवा उदरीय भित्ति में हो तो ऐसे में अनफिट घोषित किया जाएगा।
- (iv) स्फीतवृष्ण होना अनफिट होगा।

16. मूत्र प्रजनन तंत्र

(क) मूत्रण में किसी भी बदलाव जैसे कि मूत्रकृच्छ्र अथवा बारंबारता को नोट किया जाएगा। मूत्राशयशोथ, गोणिकावृक्काशोथ और रक्तमेह के पुनरावर्ती रोगाक्रमण को अवश्य छोड़ दिया जाए। वृक्कीय वृहदान्त्र के किसी भी इतिहास, घोर वृक्कशोथ के रोगाक्रमण, एक वृक्क के लोफ (क्षय), अश्व के पास होने अथवा मूत्रमार्गीय आस्राव सहित वृक्कीय पथ पर किसी भी शल्य क्रिया के बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। यदि असंयत मूत्रता का वर्तमान में अथवा विगत में कोई भी इतिहास हा पूरा ब्योरा अवश्य प्राप्त किया जाए।

(ख) मूत्र परीक्षण

- (i) प्रोटीनमेह यदि ऊर्ध्वस्थितिज सिद्ध न होता हो तो अस्वीकृति का एक कारण होगा।
- (ii) जब शर्करामेह का पता चले तो एक रक्त शर्करा परीक्षण (भूखा रहकर और 75 ग्रा. ग्लूकोज लेने के बाद) और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी और नतीजों के अनुसार फिटनेस का निर्णय किया जाएगा। वृक्कीय शर्करामेह अस्वीकार करने का एक कारण नहीं है।
- (iii) जब उम्मीदवार का मूत्रीण संक्रमण का इतिहास अथवा साक्ष्य हो तो ऐसे में वृक्क की पूरी जांच की जाएगी। मूत्रीय संक्रमण लगातार बने रहने के साक्ष्य से अस्वीकार करने का मामला बनेगा।
- (iv) रक्तमेह के इतिहास वाले उम्मीदवारों को संपूर्ण वृक्कीय जांच से गुजरना होगा।

(ग) सतवकवृक्क शोध

- (i) घोर स्थिति में विशेषकर शैशव अवस्था में स्वास्थ्यलाभ दर उच्च होती है। कोई अभ्यर्थी जिसमें पूर्ण रूप से स्वास्थ्यलाभ ले लिया है तथा जिसके प्रोटीनमेह नहीं है उसे पूर्ण स्वास्थ्यलाभ से कम से कम एक वर्ष उपरांत फिट घोषित किया जाए।
- (ii) चिरकालिक सतवकवृक्का शोध वाले अभ्यर्थी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(घ) वृक्कीय वृहदान्त्र तथा वृक्कीय पथरी। पूर्ण वृक्कीय तथा चयापचयी मूल्यांकन अपेक्षित है। वृक्कीय पथरी वाले अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(च) जिन अभ्यर्थियों में जन्म से एक ही वृक्क है अथवा जिनका एकपार्श्विक वृक्कछेदन हुआ है उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। लालाकार वृक्क होने पर भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। अकेला कामकर रहा वृक्क, रोगग्रस्त काम न कर रहे प्रतिपक्षी वृक्क के होने पर भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। तिरछी अस्थानता, ऊपर न आया हुआ अथवा गलत जगह परी वृक्क, एकपार्श्विक जन्मजात अल्पविकास अस्वीकार किए जाने के कारण होंगे।

(छ) नीचे न आए हुए दोनों वृष्ण/अपुष्ट वृष्ण अस्वीकार किए जाने का कारण है। नीचे न आया हुआ एक वृष्ण, जो पूर्ण रूप से पेट में है, स्वीकार्य है। यदि यह बाहरी घेरे के वंक्षण लाल अथवा उदरीय भित्ति में है तो ऐसे मामलों को या तो वृष्णोच्छेदन अथवा वृष्णस्थितिकरण शल्य क्रिया के उपरांत स्वीकार किया जाए। फिटनेस से जुड़े सभी संदेहास्पद मामलों में शल्यक राय अवश्य प्राप्त की जाए।

(ज) जलवृष्ण अथवा स्फीतिवृष्ण का विधिवत इलाज कराने के बाद ही फिटनेस पर विचार किया जाए। थोड़ा स्फीतिवृष्ण होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अस्वीकार न किया जाए।

(झ) यौन संचरित रोग तथा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वाइरस (एच आई वी) सेरोपॉजिटिव एच आई वी स्थिति तथा/या यौन संचरित रोग का साक्ष्य होने से अस्वीकार करने का मामला बनेगा।

17. अंतःस्रावी तंत्र

(क) साधारणतया अंतःस्रावी विकारों की तरफ सांकेतिक इतिहास अस्वीकार्यता के लिए एक कारण होगा।

(ख) थाइराइड ग्रंथि सूजने/फूलने के सभी मामले जिसमें असामान्य आयोडीन उद्ग्रहण तथा असामान्य थाइराइड हार्मोन स्तर शामिल हैं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कम से कम थाइराइड सूजने के साथ साधारण गलकंड के मामले, जो चिकित्सीय रूप से प्राकृत अवटु हैं तथा सामान्य आयोडीन उद्ग्रहण एवं सामान्य थाइराइड क्रिया के साथ स्वीकार किए जा सकते हैं।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी जिनमें मधुमेह मेलिटस पाया जाएगा, अस्वीकार कर दिए जाएंगे। वे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मधुमेह मेलिटस से संबंधित है, का रक्त शर्करा (भूखे रहने पर तथा ग्लूकोज ग्रहण करने के बाद) तथा ग्लाइकोसिलेटेड एच बी/एच बी ए 1 सी मूल्यांकन किया जाएगा, जो रिकॉर्ड किया जाएगा।

18. त्वचारोग संबंधी प्रणाली

(क) यदि त्वचा की स्थिति बहुत अच्छी न हो तो अभ्यर्थी को त्वचा विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। यदि अभ्यर्थी विगत में कमर्शियल सेक्स वर्कर (सी एस डब्ल्यू) के साथ यौन संबंध स्थापित कर चुका हो, अथवा इस बात का प्रमाण हो कि उसके लिंग पर घाव के ठीक होने का निशान बाकी है तो उसे स्थायी रूप से अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, यदि एस टी डी न होने का स्पष्ट प्रमाण हा क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों की ऐसे अविवेकपूर्ण आचरण में पुनः आसक्त होने की संभावना बनी रहती है।

(ख) जिन नॉन-एक्सेन्थिमेटस और नॉन-कम्प्यूनिकेबल बीमारियों में सामान्यतया थोड़े दिन इलाज किया जाता है, उन्हें अभ्यर्थी को अस्वीकृत करने का कारण नहीं माना जाएगा। साधारण बीमारियों और जिन बीमारियों से सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो अथवा जिनसे अक्षमता उत्पन्न हो, उन्हें अस्वीकृत करने का कारण नहीं माना जाएगा।

(ग) त्वचा की कुछ स्थितियां उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों में सक्रिय हो जाती हैं और अक्षमता उत्पन्न कर देती हैं। यदि किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से त्वचा की पुरानी या बार-बार होने वाली बीमारी है अथवा उसके लक्षण हैं तो वह सेना के लिए अनुपयुक्त होगा। ऐसी कुछ स्थितियों का नीचे वर्णन किया गया है :-

(i) कुछ मात्रा में पसीना अधिक आना शारीरिक क्रिया ह, जो चिकित्सा जांच के दौरान रंगरूट को आ सकता है, परंतु यदि उम्मीदवार को बहुत अधिक ही पसीना आता है तो उसे अनफिट माना जाएगा।

(ii) हल्के (ग्रेड १) एक्ने वल्गेरिस जिनमें केवल मुंह पर कुछ मससे अथवा फुंसियां हों तो वह स्वीकार्य है। परंतु मध्यम से बहुत अधिक डिग्री वाले एक्ने (ग्रांड की तरह के जिन पर पपड़ीदार निशान हो या नहीं हो) अथवा पीठ पर एक्ने हों तो अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।

(iii) हथेलियों, तलवों और एड़ियों की त्वचा कटी-फटी होने और हाइपरकेरेटोटिक के स्पष्ट लक्षण सहित किसी भी डिग्री का पाल्मोप्लांटर केरेटोडर्मा होने पर अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।

(iv) हाथ-पैरों में इक्थियोसिस वल्गेरिस जिसमें त्वचा स्पष्ट रूप से सूखी, पपड़ीदार, कटी-फटी हो, तो अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा। मामूली जेरोसिस (सूखी त्वचा) को फिट माना जा सकता है।

(v) किसी भी प्रकार के केलॉइड होने पर अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।

(vi) चिकित्सीय दृष्टि से अंगुली और पैर के नाखून में स्पष्ट रूप से ऑनकोमॉयकोसिस होने पर अनफिट घोषित किया जाएगा, विशेष रूप से यदि इसके

साथ नाखून के पूरी तरह विकसित न होने की समस्या भी हो। किसी एक नाखून पर हल्के-फुल्के घब्वे हों परंतु नाखून के अविकसित होने की समस्या न हो तो यह स्वीकृत होगा।

(vii) 10 सेमी से अधिक बड़े जाइंट कॉग्जेनितल मेलेनोसिटिक नेवि को अनफिट होने का कारण माना जाएगा, क्योंकि इतने बड़े आकार के नेवि के घातक होने की संभावना होती है।

(viii) उपचार के बाद छोटे आकार के किण (कैलोसिटी) घट्टा (कॉर्न) तथा मस्सा (वार्ट) स्वीकार्य माने जा सकते हैं। तथापि अनेक सामान्य मस्सा (वार्ट) या विकीर्ण पामोप्लांटर मोजेइक मस्सा (वार्ट) हथेलियों तथा तलवों के दबाव क्षेत्रों पर बड़े किण (कैलोसिटी) तथा अनेक घट्टे (कॉर्न) वाले उम्मीदवार अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(ix) सोरियासिस एक घिरकारी चर्म अवस्था है जो फिर से हो जाती है तथा/या लौट आती है तथा इससे ग्रस्त उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाएगा।

(x) ऐसे उम्मीदवार ने शरीर के ढके हुए हिस्सों पर अल्प मात्रा से शिवत्र (ल्यूकोडर्मा) से प्रभावित है, को स्वीकार किया जा सकता है विटिलिगो जो केवल मुण्ड (ग्लैन) तथा शिश्नमुंडच्छद (प्रीपयूस) तक सीमित है को उपयुक्त समझा जा सकता है। वे, जिनकी त्वचा का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें सम्मिलित है तथा विशिष्टता जब इसमें शरीर के उघड़े हिस्से भी प्रभावित हो, चाहे कम ही क्यों न हों, को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(घ) त्वचा संक्रमण के चिरकालिक या बार-बार होने वाले रोगाक्रमणों का इतिहास भी अस्वीकार्यता का कारण होगा। फोड़ों (बॉयल) का एक साधारण रोगाक्रमण या सायकोसिस जिससे को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो चुका है, को स्वीकार करने का विचार किया जा सकता है।

(च) ऐसे व्यक्ति जो त्वचा संबंधी रोगों के चिरकालिक या बार-बार होने वाले गंभीर या अक्षम प्रकृति के रोगों से ग्रस्त है उदाहरण के तौर पर एक्जिमा, को स्थायी रूप से अयोग्य समझा जाएगा तथा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(छ) कुष्ठ रोग का कोई भी चिह्न अस्वीकार्यता का कारण होगा।

(ज) नीवस विवर्णकता तथा बेकर्स नीवस को फिट समझा जा सकता है। अंतरत्वचा नीवस, वाहिका संबंधी नीवस को अयोग्य समझा जाए।

(झ) उपचार के बाद हल्के शल्क रोग वर्णशबल (माइल्ड पिटरियासिस वर्सिकलर) को फिट समझा जा सकता है, विस्तृत शल्क रोग वर्णशबल को अनफिट समझा जाए।

(ट) स्वास्थ्य लाभ के उपरांत टीनिया क्रूरिस तथा टीनिया कारपोरिस को फिट समझा जाए।

(ठ) स्वास्थ्य लाभ के उपरांत अंडकोष एक्जिमा को फिट समझा जाए।

(ड) कैनिटी (समय पूर्व घूसर डाग) को फिट समझा जा सकता है यदि हल्के किस्म की हो और इसका कोई नियमित संयोजन न दिखाई दे।

(ढ) स्वास्थ्य लाभ के उपरांत त्वग्गलिशोथ (इंटर ट्राइगो) को फिट समझा जा सकता है।

(त) जननांग फोड़ों सहित यौन संक्रमित रोग अनफिट समझे जाएंगे।

(थ) कच्छ (स्केबीज) को केवल स्वास्थ्य लाभ के उपरांत ही फिट समझा जाएगा।

19. पेशीय अस्थि-पंजर प्रणाली तथा शारीरिक क्षमता

(क) अभ्यर्थी की शारीरिक बनावट का आकलन सामान्य मानकों जैसे प्रत्यक्ष पेशीय विकास, आयु, कद, वजन और इनका अंतरसंबंध अर्थात् प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप शारीरिक बल हासिल करने की क्षमता को सावधानी पूर्वक ध्यान में रखकर किया जाएगा। अभ्यर्थी की शारीरिक क्षमता सामान्य शारीरिक विकास अथवा अन्य मूलभूत या रोगात्मक परिस्थितियों से प्रभावित होती है।

(ख) बीमारी का पिछला चिकित्सा संबंधी विवरण या सक्रोइलियाक जोड़ों या रीढ़ की जोड़ जो अदृश्य अथवा दिखाई देने वाले लक्षणों से युक्त हो, जिससे अभ्यर्थी शारीरिक रूप से सफलतापूर्वक सक्रिय जीवन नहीं मिला पा रहा हो, को कमीशन के लिए निरस्त किया जाएगा।

रीढ़ की हड्डी में फ्रेक्चर/पोलाप्सस इंटरवर्टिबरल डिस्क और इन परिस्थितियों के लिए शल्य चिकित्सा को अस्वीकार किए जाने के लिए आधार माना जाएगा।

(ग) ऐसी हल्की कुब्जता अथवा अग्रकुब्जता जहां विकृति मुश्किल से ही दिखाई है और इसमें किसी तरह का दर्द अथवा हरकत करने से बाधा न हो, को स्वीकार किया जा सकता है। जब पार्श्वकुब्जता दिखाई पड़े और रीढ़ के कोई रोगात्मक लक्षण पर संदेह हो, तो रीढ़ के इस हिस्से की रेडियोग्राफी जांच की जानी चाहिए।

(घ) उड़ान संबंधी ड्यूटियों के लिए सर्विकल, थोरासिक तथा लुंबोसकराल रीढ़ की रेडियोग्राफी (ए पी और पार्श्विक जांच) की जाएगी। ग्राउंड ड्यूटियों के लिए यदि जरूरी समझा जाए तो रीढ़ की रेडियोग्राफी की जा सकती है।

(च) रेडियोग्राफी में निम्नलिखित स्थितियों के होने पर अभ्यर्थी को वायु सेना सेवा के लिए अयोग्य माना जाएगा:—

(i) रीढ़ का ग्रेनुलोमेटस रोग।

(ii) आर्थराइटिस/स्पोण्डिलाइटिस।

(कक) रूमाटोइड आर्थराइटिस और संबंधित रोग।

(कख) अंकीलोसिस स्पोण्डिलाइटिस।

(कग) ऑस्टियो आर्थराइटिस, स्पोण्डिलाइटिस और डिजेनरेटिव जोड़ों से संबंधित रोग।

(कघ) नॉन आर्टिकुलर रूमाटिज्म (जैसे रोटटर कफ में जख्म, टेनिस एल्बो, रिकरेंट लुंबागों आदि)।

(कच) एस एल ई, पॉलीमयोसिटिस अंड वासकुलिटिस सहित विविध रोग।

(कछ) स्पोण्डिलोलिसथेसिस/स्पोण्डिलाइटिस।

(कज) रीढ़ के जोड़ पर दबाव से उत्पन्न फ्रेक्चर।

(कझ) शोयूरमेन रोग (किशोरावस्था की हल्की कुब्जता)।

(कट) सर्विकल लॉर्डोसिस की कमी जब चिकित्सीय कारणों से सर्विकल रीढ़ संबंधी हरकतें भी सीमित हों।

(कठ) प्रदर्शनीय तंत्रिका अथवा परिसंचारी कमी वाली एकतरफा/दोतरफा सर्विकल पसली।

(iii) विशेषज्ञ की राय के अनुसार अन्य कोई भी विकृति।

(च) ऊपर के पैरा में वर्णित विकृति/रोगों का होना भा वा से की सभी शाखाओं के लिए अस्वीकृत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उड़ान शाखाओं के अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित नियम भी लागू होंगे :—

(i) उड़ान ड्यूटियों के लिए स्वीकार्य रीढ़ संबंधी असंगतियां :—

(कक) एल वी 5 का दोतरफा पूर्ण सेक्रालाइजेशन तथा एस वी 1 का दोतरफा पूर्ण लंबराइजेशन।

(कख) सेक्रम तथा एल वी 5 में स्पाइना ब्राइफिडा यदि यह पूरी तरह सेक्रमी हो।

(कग) सर्विकल में पूर्णतः कलाक (फ्यूज्ड) बरटेब्रा और/अथवा एकल स्तर पर डोरसेल स्पाइन।

(ii) उड़ान ड्यूटियों के लिए रीढ़ की अस्वीकार्य स्थितियां

(कक) कॉब पद्धति के द्वारा मापने पर 15 डिग्री से ज्यादा का स्कॉलिओसिस। यह अनफिट माना जाएगा यदि रीढ़ के पूर्ण फ्लैक्शन के पश्चात भी विसंगति बनी रहती है और रीढ़ की हरकत भी सीमित हो अथवा यह किसी ऑर्गेनिक विसंगति का परीणाम हो।

(कख) डिजनरेटिव डिस्क रोग

(कग) एटलांटो-ओसिपिटल तथा एटलांटो-एक्सियल असंगतियां।

(कघ) सर्विकल, डोर्सल अथवा लुंबार रीढ़ के किसी भी स्तर पर हेमी बर्टेब्रा और/अथवा अपूर्ण ब्लाक (फ्यूज्ड) बर्टेब्रा तथा सर्विकल अथवा डोर्सल रीढ़ पर एक से ज्यादा स्तर पर पूरी तरह ब्लॉक (फ्यूज) बर्टेब्रा।

(कच) सभी स्तरों पर (पूर्ण अथवा अपूर्ण) एकतरफा सेक्रलाइजेशन अथवा लुंबराइजेशन तथा दोतरफा अपूर्ण सेक्रलाइजेशन अथवा लुंबराइजेशन। केस्टलवी के प्रकार α ए π एवं π लंबोसेकुरल ट्रांजिशनल बर्टेब्रा अयोग्य होंगे।

(ज) ऊपरी अंगों के आकलन को प्रभावित करने वाली स्थितियां

(i) अंग-विच्छेदन वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, दोनों तरफ की कनिष्ठिकों के टर्मिनल फ्लेक्स का विच्छेदन स्वीकार्य है।

(ii) ऊपरी अंगों अथवा इनके हिस्सों में विकृति रद्दीकरण का आधार होगा। कटे हुए पॉलिडैक्टिली के सिवाय सिन्डैक्टिली तथा पॉलिडैक्टिली का अयोग्य माना जाएगा।

(iii) कलाई की दर्दरहित सीमित हरकत की कठोरता की मात्रा के अनुसार श्रेणीकरण किया जाएगा। डोरसीफ्लेक्शन का क्षय पॉलमट फ्लेक्शन से ज्यादा गंभीर है।

(iv) कुहनी की थोड़ी-बहुत सीमित हरकत स्वीकृति में बाधक नहीं होगी बशर्ते कि कार्यात्मक क्षमता पर्याप्त हो। एंकीलोसिस को रद्दीकरण का आधार माना जाएगा जब कैरिंग एंगल (सीधे खड़े होने की भंगिमा की स्थिति में बांह और कोहिनी के बीच का कोण) बेहद ज्यादा हो, तो क्यूबिटस वाल्गस की उपस्थिति मानी जाती है। कार्यात्मक अक्षमता न होने पर और फ्रैक्चर सही से न जुड़ने, फिब्रोसिस अथवा ऐसी अन्य स्थिति में, जब 15 डिग्री तक कैरिंग कोण हो, स्वीकार्य होगा।

(v) कंधे के बार-बार खिसकने को अस्वीकार किए जाने का कारण माना जाएगा।

(vi) पुराने फ्रैक्चर क्लैविकल के सही से नहीं जुड़ने/जोड़ा ही नहीं जाने को अस्वीकार किए जाने का कारण माना जाएगा।

(झ) नीचे के अंगों के आकलन को प्रभावित करने वाली स्थितियां

(i) हैलुक्स वाल्गस के मामूली मामले (20 डिग्री से कम), एसिंटोमेटिक, असंबद्ध कॉर्न/कैलोसिटीज/बुनियन स्वीकार्य हैं। अन्य मामले अस्वीकृत होंगे। पहले मेटाटर्सल का छोटा होना भी अयोग्य माना जाएगा।

(ii) हेलक्स रिजिडस स्वीकार्य नहीं हैं।

(iii) बिना लक्षणों वाला अलग एकल लचीला हल्का हैमर टो स्वीकार्य है। कॉर्नस, कैलोसिटीस, मैलेट टो या मेटाटार्सोफैलंजियल जोड़ पर हाइपरएक्सटेंशन (पंजे की कुरूपता) से संबद्ध फिक्सड (रिजिड) कुरूपता अथवा हैमर टो को अस्वीकार किया जाएगा।

(iv) पंजे की किसी अंगुली का न होना अस्वीकृत करने का आधार होगा।

(अ) अतिरिक्त अंगुलियां अस्वीकृत करने का आधार होंगी यदि वह हड्डी के साथ की अंगुलियों को छू रही हो। सिनडैक्टिली अथवा पंजे/अंगुलियों के न होने के मामले रद्द कर दिए जाएंगे।

(vi) पैर देखने में सपाट हो सकते हैं। यदि पंजे पर खड़े होने पर पैरों की आर्क पुनः दिखने लगती हैं, यदि अभ्यर्थी पंजे पर उछल सकता हो और अच्छी तरह से भाग सकता हो, यदि पैर लचीले, गतिशील और दर्दरहित हों तो अभ्यर्थी स्वीकार्य है। पैर के हिलने-डुलने में बाधा होना अस्वीकृत करने का कारण होगा। पैर का आकार भले ही कैसा भी हो, पैरों की कठोरता अस्वीकृत करने का कारण होगी।

(vii) हल्की मात्रा का इडियोपाथिक पेस कवुस स्वीकार्य है। मंद और तीव्र मात्रा का पेस कवुस एवं आनुवांशिक बीमारी के पेस कवुस को अस्वीकार्य माना जाएगा। तालिपेस (क्लब फुट) के सारे मामले अस्वीकार्य होंगे।

(viii) टखने के जोड़ में पहले से हुए किसी चोट के कारण हरकत में होने वाली कोई भी परेशानी अस्वीकार्य है। तथापि, ऐसी पुनरावर्तक परेशानी जिसका कोई पूर्व विवरण न हो और कम से कम 20 डिग्री के प्लांटर एवं डोर्सिफ्लेक्सन हरकत के मामले ग्राउंड ड्यूटी के लिए उपयुक्त माने जाएंगे। एयरक्रू ड्यूटी के लिए उपयुक्तता क्रियागत मूल्यांकन पर आधारित होगी।

(ix) घुटने के जोड़ की आंतरिक अव्यवस्था से संबंधित पूर्ववर्ती या रोग विषयक संकेतों पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। ऐसे मामलों में स्वस्थता का आधार क्रियागत मूल्यांकन एवं रोगविज्ञान की दृष्टि से उपचार किए गए मामलों की संभावना/प्रगमन/पुनरावृत्ति पर निर्भर करेगा।

(x) अगर किसी अभ्यर्थी के आंतरिक मल्लेओली के बीच की दूरी 5 से. मी. से कम हो एवं उसमें कोई विकृति न हो तो उसे गेणु वेल्युम (क्नोक्क घुटना) की दृष्टि से उपयुक्त माना जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी के आंतरिक मल्लेओली के बीच की दूरी 5 से. मी. से अधिक हो तो उसे गेणु वेल्युम की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा।

(xi) यदि किसी अभ्यर्थी के फेमोरल कोन्ड्यलेस के बीच की दूरी 10 से. मी. के भीतर हो तो उसे गेणु वरुम (बाउ लेग्स) की दृष्टि से उपयुक्त माना जाएगा।

(xii) यदि किसी अभ्यर्थी के घुटने का अतिप्रसार 10 डिग्री के भीतर हो और इसके साथ कोई अन्य विकृति न हो तो उसे गेणु रेकुर्वटुम की दृष्टि से स्वीकार किया जाएगा।

(xiii) कमर के जोड़ की वास्तविक चोट को अस्वीकृत माना जाएगा।

20. केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली

(क) ऐसे अभ्यर्थी जिसने मानसिक बीमारी/मनोवैज्ञानिक रोग का पिछला इतिहास प्रस्तुत किया हो उनकी विस्तृत जांच की जाएगी और उन्हें मनोचिकित्सा की जांच के लिए नामांकित किया जाएगा। ऐसे मामलों को अस्वीकार किया जाएगा पारिवारिक विवरण एवं दवाई ग्रहण करने का पूर्व विवरण भी प्रासंगिक है।

(ख) अनिद्रारोग, दुःस्वप्न या रात में लगातार उठकर चलना या रात में पलंग पर ही पेशाब करना जैसे रोगों की पुरारावृत्ति या निरंतरता, अस्वीकृति के कारण होंगे।

(ग) प्रचंड स्पंदित सिर-दर्द और माइग्रेन। साधारण किस्म के बार-बार होने वाले सिर-दर्द जो पहले की सिर की चोट या माइग्रेन के कारण होते हों। दूसरे प्रकार के कभी-कभी होने वाले सिर-दर्द के संभाव्य कारण को ध्यान में रखा जाए। ऐसे अभ्यर्थी जिसे इतना ज्यादा माइग्रेन हुआ हो जिसके लिए उसने डॉक्टर से परामर्श लिया हो, वह अस्वीकृति का कारण होगा। माइग्रेन का साधारण-सा दौरा जिसमें दिखाई न दें या 'माइग्रेन से युक्त' मिर्गी हुई हो, को स्वीकृति के लिए बाधक माना जाएगा।

(घ) उम्मीदवार/अभ्यर्थी में एपीलेप्सी का इतिहास होना अस्वीकृति का एक कारण है। पांच वर्ष की आयु के बाद ऐंठन/दौरे भी अस्वीकृति का एक कारण हैं। शिशु अवस्था में ऐंठन बुरा नहीं है बशर्ते ऐसा लगता हो कि ऐंठन फेबराईल ऐंठन हो और किसी प्रत्यक्ष न्यूरोलोजिकल कमी से संबंध न रखती हो। एपीलेप्सी के कारणों में आनुवांशिक कारक, भयानक दिमागी चोट, दिल का दौरा, संक्रमण, डिमाईलिनेटिंग और डिनरेटिव रोग, जन्म संबंधी कमियां, नशे का सेवन, विथड्राल सिजेरस आदि शामिल हैं। सिजेरस 'बेहोशी' का रूप ले सकती हैं और इसलिए जिस बारंबारता और परिस्थितियों में 'बेहोशी' आती है उसको अवश्य विस्तार से देखना चाहिए। सिजेरस अटैक उड़ान के लिए असक्षमता दर्शाता है, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो।

(च) बार-बार हीट स्ट्रोक, हाइपरपाइरेक्सिया या गर्मी से थकान का इतिहास वायु सेना की ड्यूटी में भर्ती करने की मनाही करता है, क्योंकि यह एक दोषपूर्ण गर्मी नियमन मैकेनिज़्म का सबूत है। गर्मी के प्रभावों का एक गंभीर आक्रमण अपने आप में उम्मीदवार की अस्वीकृति का

कारण नहीं है बशर्ते गर्मी में काम करने का इतिहास गंभीर हो, और कोई स्थायी रोगोत्तर लक्षण न दिखते हों।

(छ) सिर में गंभीर चोट या कोनक्सेन का इतिहास अस्वीकृति का एक कारण है। गंभीरता के स्तर को पोस्ट ट्रौमेटिक अमनेशिया (पी टी ए) की अवधि के इतिहास से माप सकते हैं। सिर की चोट के दूसरे रोगोत्तर लक्षणों में पोस्ट कोनक्सेन सिंड्रोम आता है जिसमें व्यक्तिगत लक्षण जैसे सिर में दर्द, जी मिचलाना, नींद न आना, बैचेनी, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता न होना और ध्यान में कमी, फोकल न्यूरोलोजिकल कमी, पोस्ट ट्रौमेटिक एपीलेप्सी हैं। पोस्ट ट्रौमेटिक न्यूरोसाईकोलोजिकल रोग भी हो सकता है जिसमें ध्यान एकाग्रता में कमी, सूचना प्रोसेसिंग स्पीड, दिमागी लचीलापन, फ्रंटल लोब एक्जिक्यूटिव फंक्शन तथा साईकोसोशल फंक्शनिंग शामिल हैं। सिर के कपाल का टूटना अस्वीकृति का कारण नहीं होगा जब तक संबंधित इंटराक्रिनियल क्षति या डीप्रेसड फ्रक्चर या हड्डी के न होने से संबंध इतिहास रहा हो। जब गंभीर चोट या कोई संबंधित दौरे के अटैक का इतिहास रहा हो, तब इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम किया जाएगा जो आवश्यक रूप से सामान्य होना चाहिए। बुरे होल की उपस्थिति उद्भान सेवाओं के लिए अस्वीकृति का कारण होगी, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी के लिए नहीं। प्रत्येक मामले को व्यक्तिगत गुणों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। स्वीकृति से पूर्व न्यूरोसर्जन तथा मनोवैज्ञानिक की सलाह अवश्य प्राप्त करनी होगी।

(ज) जब पारिवारिक इतिहास में मनोवैज्ञानिक रोगों जैसे नर्वस ब्रेकडाउन, मानसिक बीमारी या नजदीकी रिश्तेदार की आत्महत्या का पता चलता है तो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत पूर्व इतिहास की सावधानीपूर्ण जांच प्राप्त की जानी चाहिए। हालांकि इस प्रकार का इतिहास वायु सेना में सेवा करने से नहीं रोकता है, फिर भी व्यक्तिगत इतिहास या वर्तमान स्थिति में थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का प्रमाण मिलने पर चयन से रोक दिया जाएगा।

(झ) यदि परिवार में एपीलेप्सी का इतिहास पाया जाता है, तो इसके प्रकार को निर्धारण करने का प्रयास करना चाहिए। जब य स्थिति किसी नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम स्तर) में मिलती है तो उम्मीदवार को स्वीकार किया जा सकता है, यदि उसमें संबंधित चेतना की परेशानी, न्यूरोलोजिकल कमी या उच्चतर मानसिक कार्य का इतिहास न हो और उसका इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम एकदम सामान्य हो।

(त) भावनात्मक स्थिरता के आकलन में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक इतिहास को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, इसमें तनाव के दौरान भावनात्मक अस्थिरता के लक्षण जो बचपन में व्याप्त असंगत भावनात्मकता के कारण प्रदर्शित होते हैं या फिर पूर्व की कोई नर्वस (तंत्रिका संबंधी) बीमारी या विकार शामिल हैं। हकलाना, टिक, नाखून चबाना, हाइपर-हाइडोसिस या परीक्षा के दौरान बेचैनी भावनात्मक अस्थिरता के लक्षण हैं।

(थ) मानसिक उन्माद से ग्रसित अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। किसी भी रूप में ड्रग पर निर्भरता भी अस्वीकृति का कारण होगी।

(द) मानसिक रूप से अस्थिर एवं विक्षिप्त व्यक्ति कमीशनिंग के लिए अयोग्य है। किशोर या वयस्क अपचार (अपराध), तंत्रिका संबंधी विकार (नर्वस ब्रेक-डाउन) या लंबी बीमारी का इतिहास भी अस्वीकृति का कारण बनेगा। नाखुश बचपन, अभावग्रस्त पारिवारिक पृष्ठभूमि, टांसी, किशोर या वयस्क अपचार (अपराध), रोजगार एवं सामाजिक अपसमायोजन के खराब रिकॉर्ड, नर्वस ब्रेक-डाउन या लंबी बीमारी का इतिहास आदि कारकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, विशेषतया यदि इन कारकों ने पूर्व में रोजगार में बाधा पहुंचाई हो तो।

(ध) किसी प्रकार का प्रत्यक्ष न्यूरोलोजिकल डेफिसिट भी अस्वीकृति का कारण बनेगी।

(न) ट्रेमर्स (कंपकंपी) पारस्परिक उत्तेजित पेशीय समूह (इनरवेटेड मसल ग्रुप) की लयात्मक दोलक गतिविधि (रिटमिक आसिलेटरी मूवमेंट) होते हैं। अत्यधिक डर, क्रोध, चिंता, अत्यधि शारीरिक थकान, मेटाबॉलिक परेशानी जिसमें हाइपर-थाइराइडिज्म शामिल हैं, शराब का प्रत्याहार और लीथियम के जहरीले प्रभाव, धूम्रपान (निकोटिन) एवं चाय, कॉफी का अत्यधिक उपभोग की अवस्था में टमर्स (कंपकंपी) होते हैं। कोअर्स ट्रेमर्स के अन्य कारक पार्किंसनिज्म, सेरेबलर (इंटेंशन) ट्रेमर, अपरिहार्य (पारिवारिक) ट्रेमर, न्यूरोपैथी के ट्रेमर्स एवं मुद्रा विषयक (पास्च्यूरल) या एक्शन टमर्स हैं।

(प) हकलाने वाले अभ्यर्थी वायु सेना ड्यूटीज में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संदेहास्पद मामलों में ई एन टी विशेषज्ञ, स्पीच थेरेपिस्ट, मनोविज्ञानी/मनोरोग विज्ञानी द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया मूल्यांकन प्राप्त किया जा सकता है।

(फ) केवल वे अभ्यर्थी जो एयर क्रू ड्यूटीज के लिए हैं, उनका बेसल इलेक्ट्रोइनसिफैलोग्राम (ई ई जी) परीक्षण कराया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के विश्राम अवस्था में किए गए ई ई जी या चुनौतीपूर्ण अवस्था में किए गए ई ई जी में असामान्यता पाई जाएगी, वे एयर क्रू ड्यूटीज के लिए अस्वीकार माने जाएंगे:—

(i) बैकग्राउंड एक्टिविटी, ऐम्प्लीट्यूड में बैकग्राउंड एक्टिविटी की तरफ बढ़ती स्लो वेक्स का फोकल रन एवं 2.3 μ /सामान्य से अधिक की फोकल, अत्यधिक एवं उच्च ऐम्प्लीट्यूड बीटी एक्टिविटी/हेमीस्फेरिकल एसेमेट्री।

(ii) हाइपरवेंटिलेशन, पैराकिजमल स्पाक्स एवं स्लो वेक्स/स्पाइक्स/फोकल स्पाइक्स पैटर्न।

(iii) फोटो उद्दीपन। बीलेटरेल्ली साइनेक्रोनस या फोकल पेरोक्जाइमल स्पाइक्स और पोस्ट फोटिक उद्दीपन अवधि/निरुद्ध में निरंतर धीमी गति से तरंगों का प्रवाह या हेमीस्फेयर क ऊपर तेज प्रतिक्रिया।

(ब) अविशिष्ट ई ई जी अपसामान्यता को न्यूरोसाइकेटरिस्ट/न्यूरोफीजिशियन से प्राप्त सुझाव के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। यदि ई ई जी को अपसामान्य पाया जाता है तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी को सी एच ए एफ (बी) में न्यूरोफीजिशियन के द्वारा व्यापक जांच के लिए रेफर किया जाएगा जिसकी समीक्षा आई ए एम भारतीय वायु सेना के बोर्ड द्वारा की जाएगी।

21. कान, नाक और गला

(क) नाक और पैरानेजल साइनस

(i) मार्कड सेप्टल डेविएशन के कारण उन्मुक्त रूप से श्वास लेने में आने वाली दिक्कत अस्वीकार करने का एक कारण है। पर्याप्त रूप से श्वास लेने के लिए शेष बचे हुए मध्यम विसामान्यता का ठीक करने वाली सर्जरी को स्वीकार किया जाएगा।

(ii) किसी भी प्रकार का सेप्टल परफोरेसन अस्वीकृति का कारण होगा।

(iii) एट्रोफीक राइनाइट्स अस्वीकृति का कारण होगा।

(iv) एलर्जिक राइनाइट्स संबंधी केस फ्लाइंग ड्यूटी पर जाने के लिए अस्वीकृति का कारण होगा।

(v) किसी भी प्रकार का पैरानेजल साइनस संक्रमण होने पर अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। ऐसे मामलों को प्राधिकृत चिकित्सा परिषद के द्वारा सफल इलाज के बाद ही स्वीकार किया जाएगा।

(vi) मल्टीपल पोलिपोजीज अस्वीकृति का एक कारण होगा।

(ख) ओरल केविटी और गला

(i) ऐसे अभ्यर्थी जिनमें टोनसिलेक्टोमि की आवश्यकता है, उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को प्राधिकृत चिकित्सा परिषद् द्वारा सफल सर्जरी के बाद ही स्वीकार किया जाएगा।

(ii) क्लेफ्ट पालेट का पाया जाना अस्वीकृति का एक कारण होगा।

(iii) आवाज़ में लगातार आ रहे फटेपन के साथ फैरिन्क्स या लैरिन्क्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए अस्वीकृत किया जाएगा।

(ग) यूस्टेशियन ट्यूब का कार्य न करना या उसमें किसी भी प्रकार की बाधा आना, अस्वीकृति का एक कारण होगा।

(घ) टिन्नीट्स का पाया जाना उसकी अवधि, स्थानीकरण, पृथक्ता और संभावित कारणों की जांच को आवश्यक बना देता है। स्थायी टिन्नीट्स अस्वीकृति का एक कारण है क्योंकि नाक के माध्यम

से परित्याग होने पर इसके और अधिक खराब होने की संभावना बन जाती है और यह पारंपरिक स्थिति से ओटोस्क्लेरोसिस और मेनियर बीमारी में बदल सकती है।

(च) किसी भी प्रकार के मोशन सिकनेस की संभावना पाए जाने पर विशिष्ट जांच कराई जाएगी। ऐसे मामलों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और मोशन सिकनेस की बीमारी का खतरा होने पर, उन्हें फ्लाइंग ड्यूटी करने के लिए अस्वीकृत किया जाएगा।

(छ) एक अभ्यर्थी जिसको चक्कर आने की बीमारी का इतिहास रहा है, उसकी पूरी तरह से जांच किया जाना अनिवार्य है।

(ज) हियरिंग लॉस

(i) फ्री फील्ड हियरिंग लॉस अस्वीकृति का एक कारण है।

(ii) 250 और 8000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति में ऑडियोमेट्रिक लॉस 20 डी बी से अधिक नहीं होना चाहिए। ई एन टी विशेषज्ञ की सिफारिश पर 30 डी बी तक पृथक यूनिटल हियरिंग लॉस को ई एन टी की परीक्षा देने से छूट दिया जाना सामान्य माना जाएगा।

(iii) आवाज़ में लगातार आ रहे फटेपन के साथ फैरिन्क्स या लैरिन्क्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए अस्वीकृत किया जाएगा।

(झ) जब हियरिंग को पूरी तरह एपीथेलियालाइज्ड और सही पाया गया है, ऐसी स्थिति में भी एक मूल/परिवर्तित रेडिकल मासटोइडेक्टोमी के लिए अस्वीकृत किया जाएगा। पूर्व में टाइमपैनिक मेमबन इन्टेक्ट, सामान्य हियरिंग और वर्तमान में किसी भी प्रकार की बीमारी न होने की स्थिति के साथ कोरटिकल मासटोइडेक्टोमी के मामलों को स्वीकार किया जा सकता है।

(ट) एगजोस्टोसेस या अनड्यूलि नैरो मिटी के साथ क्रोनिक ओटिटिस एक्सट्रेना के मामलों को अस्वीकृत किया जाएगा। कैनल के टोरट्यूसिटी का बढ़ना, टाइमपैनिक मेमब्रेन के अगले प्रकट रूप का अभिलोपन अस्वीकृति का कारण होगा।

(ठ) अल्टीट्यूड चेंबर में इयर क्लिरेन्स परीक्षण को सामान्य पाए जाने पर सर्जरी के 12 सप्ताह के बाद टाइमपेनोप्लास्टी टाइप ८ को स्वीकृत माना जाएगा। मध्य कान की निम्नलिखित स्थितियों के अंतर्गत अस्वीकृत माना जाएगा :-

(i) एटीक, सेंट्रल या मार्जिनल परफोरेशन।

(ii) चिन्हित प्रतिकर्षण के साथ टाइमपैनिक मेमब्रेन का दाग।

(iii) टाइमपेनोप्लास्टी टाइप ८ से किंतु टाइप ८ से नहीं।

(iv) कालकारीयस प्लाक्व्यूज (टाइमपैनास्क्लेरोसिस) यदि पार्स टेंसा के 1/3 हिस्से से अधिक जगह घेरता हो।

(v) मिडल इयर संक्रमण।

(vi) बाहरी ऑडिटरी नली में ग्रान्युलेसन या पॉल्येप

(vii) स्टापेडेक्टोमी ऑपरेशन

(त) कान की विविध स्थितियां अस्वीकृति के लिए कान की निम्नलिखित स्थितियां होंगी :-

(i) आटोस्क्लेरोसिस

(ii) मेनिरी रोग

(iii) ऑफ वेस्टिबूलर मूल का निस्टेग्मस सहित वेस्टिबूलर डिस्फंक्शन

(iv) बेल्स पाल्सी के पश्चात् कर्ण संक्रमण

22. नेत्र प्रणाली

(क) उड़ान ड्यूटियों के लिए अस्वीकृत होने का बड़ा कारण दृष्टि दोष और चिकित्सीय नेत्र दशाएं हैं।

(ख) व्यक्तिगत और पारिवारिक इतिहास और बाह्य परीक्षण।

(i) भेंगापन और अन्य कारणों से चश्मों की आवश्यकता प्रायः आनुवांशिक है और विकृति की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए पारिवारिक इतिहास (पृष्ठभूमि) महत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर सकता है। अभ्यर्थी जो चश्मा लगाए हैं अथवा जिनमें दृष्टिगत दोष पाया गया हो, उनका उचित निर्धारण किया जाएगा।

(ii) वतर्मपात जिसमें साथ ही दृष्टि या दृष्टिक्षेत्र में बाधा हो, अस्वीकृति का एक कारण है जब तक छह माह की अवधि के लिए सर्जरी उपचार सफल न हो। अनियंत्रित वतर्मशोथ वाले अभ्यर्थी विशेषकर जिनमें आइलैसेस की हानि है, सामान्यतः अनुपयुक्त हैं और इन्हें अस्वीकृत किया जाएगा। वतर्मशोथ और पुराने नेत्रश्लेष्मलाशोथ के गंभीर मामलों का निर्धारण तब तक अस्थायी रूप से अनफिट के रूप में किया जाएगा जब तक कि उपचार से रेस्पॉन्स का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो।

(iii) नासाश्रु अंतर्रोध जिससे ऐपिफोरा अथवा श्लेष्मपुटी के मामले अस्वीकृत होंगे जब तक सर्जरी द्वारा अधिकतम छह माह में राहत न मिले।

(iv) यूविआशोथ (रंजित पटल शोथ, रोमक पिण्ड शोथ, परितारिका शोथ) की अक्सर पुनरावृत्ति होती हो और अभ्यर्थी जिसके परिवार में से ये बीमारी चली आ रही हो अथवा अभ्यर्थी में ये लक्षण दिखाई देते हों, उनका निर्धारण सावधानीपूर्वक किया जाएगा। अभ्यर्थियों में जहां स्थायी विक्षति के साक्ष्य हों, ऐसे अभ्यर्थियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

(v) कार्नीयल स्कार्स आपेसिटी अस्वीकृति का कारण होंगे जब तक कि ये दृष्टि में बाधा न डालें। स्वीकृति से पूर्व ऐसे मामलों का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाएगा, चूंकि कई स्थितियों की पुनरावृत्ति होती है।

(vi) लेंटिकुलर ओपेसिटी के मामलों का निर्धारण सावधानीपूर्वक किया जाएगा। जैसा कि दिशानिर्देश है कोई भी ओपेसिटी जिसके कारण दृष्टिगत खराबी होती हो अथवा यह दृष्टि अक्ष में है अथवा प्यूपिल के परितः, 7 मिमी के क्षेत्र में मौजूद है जिससे चौंध लगती हो, को फिट नहीं माना जाएगा। फिटनेस का निर्धारण करते समय इस पर भी विचार किया जाएगा कि ओपेसिटी की प्रवणता संख्या अथवा आकार में न बढ़े हों।

(vii) माइग्रेनियस किस्म के सिरदर्द के साथ दृष्टि बाधाएं पूर्णतः (विक्षोभ) : नेत्र संबंधी समस्या नहीं है और इनका निर्धारण तदनुसार किया जाएगा। डिप्लोपिया की मौजूदगी अथवा नाइस्टागमस की पहचान के लिए उचित परीक्षण की आवश्यकता है। चूंकि ये मनोवैज्ञानिक कारणों से हो सकते हैं।

(viii) रतौंधी अधिकांशतः जन्मजात होती है परंतु आंख की कुछ बीमारियों में रतौंधी एक पूर्व लक्षण के रूप में प्रकट होती है, इसलिए अंतिम निर्धारण करने से पहले उचित जांच आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक मामले में इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा कि व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित नहीं है। प्रमाणपत्र ड्राफ्ट नियम परिशिष्ट ख के अनुसार होगा।

(ix) नेत्र गोलक का किसी भी दिशा में न घूमने और नेत्र गोलक के अनुचित दबाव/उभार के लिए उचित निर्धारण की आवश्यकता (प्रोमिनेंस) है।

(ग) दृष्टि तीक्ष्णता और कलर विजन की आवश्यकताओं का ब्योरा इस नियम के परिशिष्ट ग में दिया गया है। अभ्यर्थी जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा।

(घ) यदि परिवार में मायोपिया का इतिहास रहा है, विशेषकर यदि यह निर्धारित होता है कि दृष्टि दोष हाल ही में हुआ है, यदि इसके फिजीकल ग्रोथ की अभी भी संभावना है अथवा यदि फण्डस उपस्थिति प्रोग्रेसिव मायोपिया का संकेत हो, भले ही दृष्टि की प्रखरता (एक्विटी) निर्धारित सीमा में हो, अभ्यर्थी को अनफिट घोषित किया जाएगा।

(च) रिफ्रेक्टिव सर्जरियां अभ्यर्थी जिनका पी आर के (फोटो रिफ्रेक्टिव केराटोटोमी)/लासिक (केराटोमिलेयूसिस के स्थान पर लेजर) हुआ हो, उन्हें वायुसेना की सभी ब्रांचों में कमीशन प्रदान करने के लिए फिट माना जाएगा।

(छ) पी आर के/लासिक हुए अभ्यर्थियों का चयन होने से पूर्व उनमें निम्नलिखित मानदंड निर्धारित होने चाहिए :-

- (i) पी आर के/लासिक सर्जरी 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं होनी चाहिए।
- (ii) आई ओ एल मास्टर द्वारा मापी गई आंख की अक्षीय लंबाई 25.5 मिमी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iii) स्टेबल पी आर के/लासिक हुए न्यूनतम 12 माह की अवधि बिना किसी जटिलता के बीत चुकी हो और साथ ही किसी जटिलता का इतिहास अथवा साक्ष्य न हो।
- (iv) कोर्नियल पैकिमीटर द्वारा पी आर के/लासिक के बाद की मापी गई कोर्नियल मोटाई 450 माइक्रोन्स से कम नहीं होनी चाहिए।
- (v) पी आर के/लासिक से पूर्व उच्च रिफ्रेक्टिव कमियों (झ6 व) वाले व्यक्तियों को निकाल दिया जाएगा।
- (ज) वायु सेना की किसी भी ड्यूटी के लिए रिफ्रेक्टिव कमियों को ठीक करने के लिए रेडियल किरेटोटोमी (आर के) सर्जरी की अनुमति नहीं है। आई ओ एल इम्प्लांट सहित या इसके बिना कैटेरेक्ट सर्जरी करवाने वाले अभ्यर्थियों को भी अनफिट घोषित किया जाएगा।
- (झ) नेत्र मांसपेशी का संतुलन
- (प) भेंगापन दिखायी देने वाले व्यक्तियों को कमीशन प्रदान करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) वायुकर्मी दल के मामले में लेटेन्ट स्क्वंट या हीट्रोफोरिया का निर्धारण प्रमुखतः फ्यूजन क्षमता के मूल्यांकन पर आधारित होगा। फ्यूजन की एक मजबूत समझ, तनाव और थकान होने पर बाइनोक्यूलर विजन का अनुरक्षण सुनिश्चित करती है। इसलिए स्वीकार्यता के लिए यह मुख्य मानदंड है।

(कक) अभिसरण

(ककक) अभिदृश्यक अभिसरण। इसका औसत 6.5 से 8 सेमी तक है। यह 10 सेमी और उससे अधिक पर खराब होता है।

(ककख) सब्जेक्टिव अभिसरण (एस सी)। यह अभिसरण के तनाव के अधीन बाइनाकुलर विजन के ऐंड प्वाइंट (अंतिम छोर) को दर्शाता है। यदि सब्जेक्टिव अभिसरण ऑब्जेक्टिव अभिसरण की सीमा से परे 10 सेमी से अधिक है तो फ्यूजन क्षमता खराब होती है। यह विशेषकर तब होती है जब ऑब्जेक्टिव अभिसरण 10 सेमी और इससे अधिक होता है।

(कख) एकमोडेशन। मायोप्स (निकटदृष्टिक) के मामले में एकमोडेशन का करेक्टिव निर्धारण ग्लास को सही पॉजिशन में रखकर किया जाना चाहिए। विभिन्न आयु समूहों में एकमोडेशन के लिए स्वीकार्य मानक नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

आयु वर्ष में	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
एकमोडेशन (सेमी में)	10-11	11-12	12.5-13.5	14-16	16-18.5	18.5-27

(ठ) नेत्र मांसपेशी का संतुलन गतिज होता है और एकाग्रता, उत्तेजना, थकान, हाइपोक्सिया, ड्रग्स और शराब का सेवन करने से इसमें परिवर्तन होता है। अंतिम निर्धारण के लिए, उपर्युक्त जांचों पर एक साथ विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मैड्डोक्स रॉड जांच की अधिकतम सीमा से थोड़े अधिक वाले मामले, परन्तु जो अच्छी बाइनाकुलर, प्रतिक्रिया एक अच्छी ऑब्जेक्टिव अभिसरण जिसमें सब्जेक्टिव अभिसरण के मुकाबले बहुत कम अंतर होता है को दर्शाते हैं और कवर जांचों पर पूर्ण और तीव्र स्वास्थ्यलाभ देते हैं को स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी तरफ मैड्डोक्स रॉड जांच सीमाओं के भीतर के मामले परन्तु जो बहुत कम या शून्य फ्यूजन क्षमता दर्शाते हैं, कवर जांचों पर अपूर्ण या कोई स्वास्थ्यलाभ नहीं दर्शाते और खराब सब्जेक्टिव अभिसरण दर्शाते हैं, को अस्वीकार किया जाएगा। नेत्र मांसपेशी के संतुलन के मूल्यांकन के लिए मानक ड्राफ्ट नियमों के परिशिष्ट-ग में उल्लिखित हैं।

(ड) मीडिया (कोर्निया, लेंस, विट्रियस) या फंडस में कोई क्लिनिकल परिणाम जो कि पैथोलॉजिकल प्रकृति का है और जिसकी बढ़ने की संभावना है, अस्वीकृति का एक कारण होगा। यह जांच माइग्रियासिस के अंतर्गत स्लिट लैंप और ऑफ्थैल्मोस्कोपी द्वारा की जाएगी।

23. हीमोपॉइटिक प्रणाली

(क) सभी अभ्यर्थियों की पेल्लौर (एनीमिया), कुपोषण, पीलिया, पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी, पुरपुरा, पेटिकेई/एकिमोसिस और हिपेटोस्प्लिनोमिगेली की क्लिनिकल साक्ष्य के लिए जांच की जाएगी।

(ख) प्रयोगशाला द्वारा एनीमिया (पुरुषों में ≥ 13 ह्दकस) की पुष्टि होने की स्थिति में, एनीमिया के प्रकार और एटियोलॉजी का पता लगाने के लिए आगे जांच की जाएगी। इसमें संपूर्ण हीमोग्राम (पीसीवी एमसीवी, एम सी एच, एम सी एच सी, टी आर बी सी, टी डब्ल्यू बी सी, डी एल सी, प्लेटलेट की मात्रा, रेटिकुलोसाइट की मात्रा और ईएस आर शामिल होंगे) और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर शामिल होगा। इटियोलॉजी का निर्धारण करने के लिए अन्य सभी जांच यथावश्यक की जाएंगी। पित्त की थैली में पथरी के लिए पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी, ऊपरी जी आई एंडोस्कोपी/प्रैक्टोस्कोपी और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इत्यादि दर्शाए अनुसार की जाएंगी और अभ्यर्थी की फिटनेस का निर्धारण प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

(ग) प्रथम दृष्टया माइल्ड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक (लौह की कमी से होने वाला एनीमिया) या डाइमोर्फिक एनीमिया (पुरुषों में ≥ 11.5 ह्दकस) वाले अभ्यर्थियों को 04 से 06 सप्ताह की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अनफिट घोषित किया जाएगा जिसकी बाद में समीक्षा की जाएगी। इन अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है यदि पूर्ण हीमोग्राम और पी सी वी पेरिफेरल स्मीयर की जांच का परिणाम सामान्य रेंज के भीतर रहता है। मैक्रोसाइटिक/मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया वाले अभ्यर्थियों को अनफिट माना जाएगा।

(घ) आनुवंशिक हीमोलाइटिक एनीमिया (लाल रक्त कोषिका की मेंबरेंस में खराबी के कारण या लाल रक्त एन्जाइम की कमी के कारण) और हीमोग्लोबिनोपेथीज (सिकल सेल रोग, बीटा थेलेसीमिया : मेजर, इंटरमीडिया, माइनर, ट्रेट और अल्फा थेलेसीमिया इत्यादि) के लक्षण वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्विस (सेवा) के लिए अनफिट समझा जाएगा।

(च) त्वचा में किसी प्रकार के पुराने हीमोरेज जैसे एकीमोसिस/पेटिकेई, एपिस्टेक्सिस, मसूढ़ा और पोषण नली से रक्तस्राव, छोटे आघात या लेसरेशन/दांत निकलने के बाद लगातार रक्तस्राव और हीमोफीलिया या अन्य रक्तस्राव की बीमारियों का कोई पुराना पारिवारिक इतिहास होने पर संपूर्ण जांच की जाएगी। सर्विस (सेवा) में प्रवेश के लिए इन अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुरपुरा की क्लिनिकल पुष्टि या थ्रोम्बोसाइटोपीनिया के लक्षण वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्विस (सेवा) के लिए अनफिट माना जाएगा।

(छ) जांच के बाद पुरानी हीमोफीलिया, वॉन वाइलब्रांड रोग के लक्षण वाले अभ्यर्थियों को शुरुआती स्तर पर सर्विस (सेवा) के लिए अनफिट घोषित किया जाएगा।

परिशिष्ट 'क'

(पैरा 12 देखें)

सी डी एस ई में अभ्यर्थियों की भर्ती के समय विभिन्न आयु समूहों के पुरुषों की ऊंचाई एवं मानक निर्वस्त्र वजन (औसत के उच्च स्तर पर 10 प्रतिशत परिवर्तन स्वीकार्य)

ऊंचाई से. मी. में	एज रेंज (सालों में/वजन कि.ग्रा.)							
	15—17	18—22	23—27	28—32	33—37	38—42	43—47	48
152	46	47	50	54	54	54	55	54
153	47	47	51	55	55	54	56	54
154	47	48	51	56	55	55	57	55
155	48	49	52	56	56	56	57	56
156	48	49	53	57	57	56	58	56
157	49	50	54	58	58	57	58	57
158	49	50	54	58	58	58	59	58
159	50	51	55	59	59	59	60	58

160	51	52	56	59	60	59	60	59
161	51	52	56	60	60	60	61	60
162	52	53	57	61	61	61	62	60
163	52	54	58	61	62	61	62	61
164	53	54	59	62	63	62	63	62
165	53	55	59	63	63	63	64	62
166	54	56	60	63	64	64	64	63
167	54	56	61	64	65	64	65	64
168	55	57	61	65	65	65	65	65
169	55	57	62	65	66	66	66	65
170	56	58	63	66	67	67	67	66
171	56	59	64	66	68	67	67	67
172	57	59	64	67	68	68	68	67
173	58	60	65	68	69	69	69	68
174	58	61	66	68	70	69	69	69
175	59	61	66	69	71	70	70	69
176	59	62	67	70	71	71	71	70
177	60	62	68	70	72	72	71	71
178	60	63	69	71	73	72	72	71
179	61	64	69	72	73	73	73	72
180	61	64	70	72	74	74	73	73
181	62	65	71	73	75	75	74	73
182	62	66	72	74	76	75	74	74
183	63	66	72	74	76	76	75	75
184	64	67	73	75	77	77	76	75
185	64	68	74	75	78	77	76	76
186	65	68	74	76	78	78	77	77
187	65	69	75	77	79	79	78	77
188	66	69	76	77	80	80	78	78
189	66	70	77	78	81	80	79	79
190	67	71	77	79	81	81	80	79
191	67	71	78	79	82	82	80	80
192	68	72	79	80	83	82	81	81
193	68	73	79	81	83	83	81	82
एस डी	6.0	6.3	7.1	6.6	6.9	6.8	5.8	7.26

परिशिष्ट 'ख'

(पैरा 22(ख)(अपप) देखें)

रतौंधी के संबंध में प्रमाणपत्र

आद्यक्षर सहित नाम

बैंच संख्या

चेस्ट सं.

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार मेरे परिवार में रतौंधी का कोई मामला नहीं रहा है, और मैं इससे पीड़ित नहीं हूँ।

दिनांक

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(चिकित्सा अधिकारी का नाम)

परिशिष्ट 'ग'

(पैरा 22(ग) देखें)

भर्ती के समय सी डी एस ई अभ्यर्थियों के दृष्टिगत मानक

क्रम सं.	ब्रांच	अपवर्तक त्रुटि की अधिकतम सीमा	दृश्यता तीक्ष्णता त्रुटि	कलर विजन
1.	एफ (पी) डब्ल्यू एस ओ सहित	हायपरमेट्रोपिया 2.0 डी एस पी एच मेनीफेस्टमायोपिया : शून्य, रेटिनोस्कोपिक मायोपिया—0.5 किसी भी यामोत्तर परमिटिड एसटिगमेटिज्म में 0.75 डी क्लिनिकल (अधिकतम 2.0 डी की सीमा में)	एक आंख 6/6 एवं दूसरी 6/9 केवल हाइपरमेट्रोपिया के लिए 6/6 तक संशोधनीय	सी पी—C

विशेष —क्रम सं. 1 और 2 में आने वाले कार्मिकों का नेत्र मांसपेशी संतुलन नीचे दी गई सारणी के अनुरूप होना चाहिए :-

फ्लाइंग ड्यूटियों के लिए नेत्र मांसपेशी संतुलन

क्रम सं.	टेस्ट	फिट	अस्थायी रूप से अनफिट	स्थायी रूप से अनफिट
1.	6 मी. पर मेडोक्स रोड टेस्ट	एक्सो—6 प्रिज्म डी ईसो—6 प्रिज्म डी हायपर—1 प्रिज्म डी हायपो—1 प्रिज्म डी	एक्सो—6 प्रिज्म डी ईसो से ज्यादा—6 प्रिज्म डी हायपर से ज्यादा—1 प्रिज्म डी हायपो से ज्यादा—1 प्रिज्म डी से ज्यादा	यूनिओक्यूलर सपरेशन हायपर/हायपो 2 प्रिज्म डी से ज्यादा
2.	33 सेमी. पर मेडोक्स रोड टेस्ट	एक्सो—16 प्रिज्म डी ईसो—6 प्रिज्म डी हायपर—1 प्रिज्म डी हायपो—1 प्रिज्म डी	एक्सो—16 प्रिज्म डी ईसो से ज्यादा—6 प्रिज्म डी हायपर से ज्यादा—1 प्रिज्म डी हायपो से ज्यादा—1 प्रिज्म डी से ज्यादा	यूनिओक्यूलर सपरेशन हायपर/हायपो 2 प्रिज्म डी से ज्यादा
3.	हैंड हेल्ड स्टीरियोस्कोप	बी एस वी ग्रेड के सभी	पूअर फ्यूजनल रिजर्व	एस एम पी की अनुपस्थिति, फ्यूजन स्टीरियोसिस
4.	कनवर्जेंस	10 सेमी. तक	15 सेमी. तक प्रयास सहित	प्रयास करने पर 15 सेमी से अधिक
5.	नजदीक एवं दूर के लिए कवर टेस्ट	लेटेंट डायवर्जेंस/कनवर्जेंस रिकवरी रेपिड एवं कम्पलीट	कम्पनसेटिड हीटिरियो—फोरिया/ट्रोफिया जिसके उपचार के पश्चात सुधार की संभावना हो/सही उपचार के पश्चात भी बना रहता है।	कम्पनसेटिड हीटिरियो फोरिया

नोट 2—एन डी ए में एयर विंग कैडेट एवं ए एफ ए में एफ (पी) के फ्लाइंग कैडेट के दृश्यता मानक ए1 जी1 एफ (पी) मानक (क्रम सं. 1) के अनुरूप होने चाहिए।

नोट 3—उपरोक्त उल्लिखित एस पी एच संशोधन कारकों में निर्दिष्ट एस्टिमेटिक संशोधन कारक शामिल होंगे। विनिर्दिष्ट दृश्यता तीक्ष्णता तक जो न्यूनतम संशोधन कारक स्वीकार किए जा सकते हैं।

टिप्पणी II : केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी। कमांडेंट चयन केंद्र ऐसे मामलों के समाशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

परिशिष्ट – III

(सेवा का संक्षिप्त विवरण आदि)

सेना के अधिकारियों के वेतनमान और वायु सेना और नौसेना में बराबर रैंक

(i) वेतन

रैंक	लेवल	(वेतन, रुपये में)
लेफ्टिनेंट	लेवल 10	56,100 – 1,77,500
कप्तान	लेवल 10बी	61,300 - 1,93,900
मेजर	लेवल 11	69,400 – 2,07,200
लेफ्टिनेंट कर्नल	लेवल 12ए	1,21,200 – 2,12,400
कर्नल	लेवल 13	1,30,600 - 2,15,900
ब्रिगेडियर	लेवल 13ए	1,39,600 - 2,17,600
मेजर जनरल	लेवल 14	1,44,200 - 2,18,200
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल	लेवल 15	1,82,200 - 2,24,100
एचएजी + स्केल	लेवल 16	2,05,400 – 2,24,400
वाइस थलसेनाध्यक्ष / सेना कमांडर / लेफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी)	लेवल 17	2,25,000/- (नियत)
थलसेनाध्यक्ष	लेवल 18	2,50,000/- (नियत)

अधिकारी को देय सैन्य सेवा वेतन निम्नानुसार है

लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को देय सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी)	रु.15500 प्रतिमाह नियत
---	------------------------

कैडेट प्रशिक्षण के लिए नियत बर्जीफा: -

सेवा अकादमी यानी आईएमए और ओटीए में प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान पुरुष या महिला कैडेटों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान बर्जीफा	रु.56,100 प्रतिमाह (लेवल 10 में आरंभिक वेतन)
---	--

* सफलतापूर्वक कमीशन प्राप्ति पर, कमीशन प्राप्त अधिकारी का वेतन, वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 के प्रथम सेल में तय किया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा तथा प्रशिक्षण अवधि के लिए कैडेटों को यथाअनुमेय भत्तों के बकाया का भुगतान किया जाएगा।

(ii) योग्यता वेतन और अनुदान

(i) योग्यता अनुदान

इसे अलग से भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया गया है। पात्र कर्मचारियों के मामले में नया प्रस्तावित उच्चतर योग्यता प्रोत्साहन (एच क्यू आई) लागू होगा। एच क्यू आई के लिए आदेश रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी जारी किया जाना है।

(ii) फ्लाईंग भत्ता:-

आर्मी एविएशन कोर में सेवारत सेना विमानवाहक (पायलट्स) को उड़ान प्रदान करने के हकदार हैं:-

लेफ्टिनेंट और इससे ऊपर	लेवल 10 और इससे ऊपर	रु. 25,000/- प्रतिमाह नियत (जोखिम व कठिनाई मैट्रिक्स का आर1 एच1)
------------------------	---------------------	---

(iii) अन्य भत्ते:-

(a)	महंगाई भत्ता	समय समय पर असैनिक कर्मचारियों को यथाअनुमेय दरों तथा परिस्थितियों के समान
(b)	किट रखरखाव भत्ता	नव प्रस्तावित ट्रेस भत्ते में शामिल अर्थात् रु. 20,000/- प्रति वर्ष

रैंक और पोस्टिंग के क्षेत्र के आधार पर, फील्ड क्षेत्र में तैनात अधिकारी निम्न फील्ड एरिया भत्ते के लिए पात्र होंगे:-

रैंक	स्तर	एचएफए	फील्ड एरिया भत्ता	संशोधित फील्ड एरिया भत्ता
लेफ्टिनेंट और ऊपर	स्तर 10 और ऊपर	16900 आर1 एच2	10500 आर2 एच2	6300 आर2 एच2 का 60 प्रतिशत

(iv) हाई आल्टीट्यूड भत्ता

रैंक	स्तर	श्रेणी-I (प्रति माह)	श्रेणी -II (प्रति माह)	श्रेणी -III (प्रति माह)
लेफ्टिनेंट और ऊपर	स्तर 10 और ऊपर	3400 आर3 एच2	5300 आर3 एच1	25000 आर1 एच1

(v) सियाचिन भत्ता

सियाचिन भत्ता रु.42,500/- प्रति माह होगा।

(vi) वर्दी भत्ता

नव प्रस्तावित वर्दी भत्ते में शामिल अर्थात् रु.20,000/-प्रति वर्ष

(vii) मुफ्त आहार सामग्री

● शांति और फील्ड क्षेत्र में

(vii) परिवहन भत्ता(टीपीटीए)

वेतन लेवल	उच्च टीपीटीए शहर (रुपये प्रति माह)	अन्य स्थान (रुपये प्रति माह)
10 और ऊपर	रु.7200+ उस पर देय महंगाई भत्ता	रु.3600+ उस पर देय महंगाई भत्ता

नोट: -

(क) उच्चतर परिवहन भत्ता शहर (यू.ए.):-

हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बंगलुरु, कोच्चि, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता।

(ख) सरकारी परिवहन की सुविधा प्रदान किए गए सेवा कर्मियों के लिए भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) वेतनमान स्तर 14 और उससे अधिक के अधिकारी, जो आधिकारिक कार का उपयोग करने के हकदार हैं, को अधिकृत कार सुविधा का लाभ उठाने या रुपये 15,750 प्रति माह की दर से टीपीटीए + सहित आहरित करने का विकल्प होगा।

(घ) पूरे कैलेंडर माह (माहों) में छुट्टी पर रहने पर यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ङ) शारीरिक रूप से विकलांग सेवा कर्मियों को दोगुनी दर पर भुगतान करना जारी रखा जाएगा, जो न्यूनतम रु. 2250 + उस पर देय महंगाई भत्ता प्रति माह होगा।

(viii) **संतान शिक्षा भत्ता** केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए 2250/-रु प्रति बच्चा। यह संतान शिक्षा भत्ता नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए देय होगा।

(i) वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद वर्ष में प्रतिपूर्ति केवल एक बार किया जाना चाहिए (जो कि अधिकांश विद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष के साथ मेल खाता है)।

(ii) सरकारी कर्मचारी के बालक जहां अध्ययनरत हैं उस संस्थान के प्रमुख से इस उद्देश्य का प्रमाण पत्र पर्याप्त होना चाहिए। प्रमाण पत्र द्वारा यह पुष्टि होनी चाहिए कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान बच्चे विद्यालय में पढ़े थे।

रक्षा बलों के लिए विशिष्ट भत्तों के मामले में, प्रत्येक बार संशोधित वेतनबैंड पर देय महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाने पर इन भत्तों की दरें स्वतः 25% बढ़ जाएंगी (भारत सरकार ए-27012/02/2017-स्थापना (ए एल) दिनांक 16 अगस्त 2017।

(iii). कृपया नोट करें वेतन एवं भत्ते और तत्सम्बन्धी नियम / प्रावधान समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं

(क) भारतीय सैन्य; अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. भारतीय सैन्य अकादमी में भर्ती करने से पूर्व :

(क) इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से

जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है, या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र और किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापिस करनी होगी।

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन “जेंटलमेन कैडेट” के रूप में दर्ज किए जायेंगे। “जेंटलमेन कैडेट” पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए “भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के नियम और विनियम लागू होंगे।”

3. यद्यपि आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, तथापि यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना जेब खर्च खुद बर्दाश्त करेंगे। भारतीय सैनिक अकादमी में (उम्मीदवार का न्यूनतम मासिक व्यय 200.00 रु. से अधिक होने की संभावना नहीं है) यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप से बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और नौ सेना या वायु सेना में स्थापित सदृश प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे ऐसे पुरुष/महिला कैडेट, जिनके माता-पिता/अभिभावक की प्रति माह आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है वित्तीय सहायता लेने के हकदार हैं। जिन माता-पिता/अभिभावक की प्रति माह आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक लेकिन 2000/- रु. (संशोधन विचाराधीन) से अधिक नहीं है। यदि उनका एक लड़का/आश्रित उक्त एक या एक से अधिक संस्था में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके बच्चों/आश्रितों को भी वही वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि संस्थाएं एक ही सेवा के अधीन हैं या नहीं।

वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन पत्र देना चाहिए। जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

4. भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी।

(क) प्रतिमाह रु. 200.00 के हिसाब से 5 महीने का जेब खर्च	1000.00 रु.
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए	2750.00 रु.
योग	3750.00 रु.

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी।

@200.00 रु. प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने के जेब खर्च	1000.00 रुपए
---	--------------

5. भारतीय सैन्य अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्ति उपलब्ध हैं :

(क) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति: यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रुपए प्रति वर्ष है जो कैडेटों को भारतीय सैन्य अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे।

(ख) **कर्नल कैडिल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति:** इस छात्रवृत्ति की राशि 360/- रुपए प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता से अतिरिक्त होती है।

6. भारतीय सैन्य अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च होती वह :

(क) **कैडेट को कमीशन दे दिए जाने पर दे दी जाएगी।**

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापिस कर दी जाएगी।

कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी। किंतु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्याग पत्र देता है या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्याग पत्र देने वाले जेंटलमैन कैडेट को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल लिए जाएंगे। भारतीय सैन्य अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें व उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस जेंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाता उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण की लागत का भुगतान करने के बाद, सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सेना से आए उम्मीदवारों को उनकी यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा।

8. कमीशन, प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने पर ही दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेवा के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय पर लागू होंगी।

10. **प्रशिक्षण:** भारतीय सैन्य अकादमी में आर्मी कैडेट को 'जेन्टलमैन कैडेट' का नाम दिया जाता है। उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इंफैंट्री के उप-यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त जेन्टलमैन कैडेटों को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एसएचएपीई में शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

11. **सेना सामूहिक बीमा योजना.** जो लेडी/जेंटलमैन कैडेट वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे हों, उनका 75 लाख रु० के लिए बीमा किया जाता है। जिन लेडी/जेंटलमैन कैडेटों को अशक्तता निर्णायक चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता के कारण अकादमी से बाहर कर दिया जाता है और वे पेंशन के हकदार नहीं होते हैं, उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 25 लाख रु० का बीमा किया जाएगा। इसे 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 5 लाख रु० तक आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। लेकिन, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए 50,000/- रु० के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। शराब, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके साथ ही जिन लेडी/जेंटलमैन कैडेटों को अनुशासनिक आधार पर या अवांछित माने जाने के कारण बाहर निकाल दिया गया हो अथवा जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से अकादमी छोड़ दी हो, वे भी विकलांगता और अनुग्रह अनुदान के लिए हकदार नहीं होंगे। नियमित सेना अफसरों पर यथा लागू सेना सामूहिक बीमा योजना के तहत सदस्य बनने के लिए जेंटलमैन कैडेटों को मासिक आधार पर अंशदान के रूप में 5,000/- रु० की दर से अग्रिम भुगतान करना होगा। निर्वासन अवधि के लिए अंशदान को वसूली भी इसी दर से की जाएगी।

12. किसी कैडेट (स्वयं) की चिकित्सा आधार पर अशक्तता/सैन्य प्रशिक्षण के कारण हुई/बढ़ी किसी समस्या के कारण कैडेट की मृत्यु की स्थिति में कैडेट (स्वयं)/निकट संबंधियों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ देय होंगे :-

(क) **विकलांगता की स्थिति में**

(i) 9000/- रु प्रति माह की दर से मासिक अनुग्रह अनुदान।

(ii) विकलांगता की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए मिलने वाले अनुदान के

साथ ही 16200/— रु प्रति माह की दर से अनुग्रह विकलांगता अनुदान देय होगा जो विकलांगता 100 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में यथानुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। विकलांगता 20 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में कोई विकलांगता लाभ नहीं दिया जाएगा।

(iii) अशक्तता निर्णायक चिकित्सा बोर्ड (आई एम बी) की सिफारिश पर 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए 6750/— रु प्रति माह की दर से सतत परिचर भत्ता (सी ए ए) देय होगा।

(ख) मृत्यु के मामले में

(i) निकट संबंधी को 12.5 लाख रु की अनुग्रह अनुदान राशि।

(ii) निकट संबंधी को 9000/— रु प्रति माह की अनुग्रह अनुदान राशि।

(ग) कैडेटों (स्वयं)/निकट संबंधियों को अनुग्रह अनुदान देने की मंजूरी केवल अनुग्रह आधार पर की जाएगी और इसे किसी भी उद्देश्य से पेंशन नहीं माना जाएगा। फिर भी, लागू दरों पर मासिक अनुग्रह तथा अनुग्रह विकलांगता अनुदान पर भी महंगाई राहत प्रदान की जाएगी (प्राधिकार: भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17(02)/2016-डी (पेंशन/ नीति) दिनांक 04 सितंबर 2017 के पैरा 11 व 12 के तहत यथा संशोधित भारत सरकार का पत्र सं० 17(01)/2017(01)डी(पेंशन/नीति) दिनांक 04 सितंबर 2017)।

13. सेवा की शर्तें :

(क) तैनाती : थलसेना अधिकारी को भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

(ख) पदोन्नति

स्थायी पदोन्नति . उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं :

समयमान द्वारा:

लेफ्टिनेंट	(प्रशिक्षण पूर्ण होने पर)
कैप्टन	2 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर	6 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट कर्नल	13 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल (टीएस)	26 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
चयन द्वारा पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु अर्हक सेवा निम्नानुसार है :	
ब्रिगेडियर	23 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल	25 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट जनरल	28 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल	कोई प्रतिबंध नहीं

(ख) भारतीय नौसेना अकादमी, इझीमाला, केरल में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए

- (1) भारतीय नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति, स्नातक कैडेट विशेष प्रवेश योजना (जीएसईएस) कोर्स के अंतर्गत कैडेट के रूप में की जाएगी। कैडेटों का चयन, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) में उनके अर्हक होने के उपरांत एसएसबी साक्षात्कार तथा चिकित्सा जांच के आधार पर किया जाएगा। मेधावी उम्मीदवार जो चिकित्सकीय रूप में उपयुक्त हैं, को योग्यता सूची के क्रम में, 26 रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया जाएगा। इन 26 रिक्तियों में से 06 रिक्तियों एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत नौसेना एनसीसी

‘सी’ प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

- (2) **राष्ट्रीय कैडेट कोर में से उम्मीदवारों का चयन** एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता, आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यताएं, निम्नलिखित को छोड़कर वही होंगी, जो जी एस ई एस उम्मीदवारों के मामले में हैं:-

(क) एनसीसी कैडेट ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग के सीनियर डिवीजन में न्यूनतम **तीन** शैक्षणिक वर्षों के लिए सेवा अवश्य की हो और उसके पास प्रमाण पत्र ‘सी’ (नौसेना) अवश्य हो। वे उम्मीदवार भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिन्होंने प्रमाण पत्र ‘सी’ परीक्षा दी है, अथवा देने के इच्छुक हैं। परन्तु, ऐसे उम्मीदवारों का अंतिम चयन, कोर्स प्रारंभ होने से पहले उनके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर होगा।

(ख) एनसीसी कैडेट के पास उसके विश्वविद्यालय अथवा उसके कालेज के प्राचार्य द्वारा जारी उत्तम आचरण तथा चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(ग) एनसीसी कैडेट, राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग का सीनियर डिवीजन छोड़ने के बारह महीनों के उपरांत आवेदन करने के पात्र नहीं रहेंगे।

(घ) आवेदन करने के लिए कैडेट, अपने आवेदन पत्र अपने कमान अधिकारी, एनसीसी यूनिट, नौसेना विंग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कमान अधिकारी, इन आवेदन पत्रों को संबंधित सर्किल कमांडर के माध्यम से एनसीसी निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित करेंगे। एनसीसी निदेशालय, इन आवेदन पत्रों को नौसेना प्रमुख को अग्रेषित करेंगे। ये आवेदन, निर्धारित प्रपत्र में जमा किए जाएंगे। ये प्रपत्र सभी एनसीसी इकाइयों में उपलब्ध होंगे।

(ङ) प्रथम दृष्ट्या उपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार तथा अन्य परीक्षणों के लिए उपस्थित होना होगा।

(च) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड की प्रक्रिया में कम से कम न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे। इस शर्त तथा उम्मीदवारों के चिकित्सकीय रूप से फिट होने की शर्त के अधीन, सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। अंतिम चयन, योग्यता क्रम के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

- (3) अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैडेट्स के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। 35000/- रु. की राशि उनके द्वारा दी जाएगी और बैंक एकाउंट में जमा की जाएगी जिसे वे आने पर भारतीय स्टेट बैंक, इझीमाला शाखा में खुलवाएंगे। क्योंकि यह बड़ी राशि है, यह सलाह दी जाती है कि वे स्वयं का देय डिमांड ड्राफ्ट लाएं। जमा की गई राशि निम्नलिखित व्यय के लिए उपयोग में लाई जाएगी:

(क) पाकेट/निजी व्यय	5000/- रु. @ 1000 रु. प्रतिमाह की दर से
(ख) धुलाई, सिविलियन बियरर, सिनेमा, बाल कटाई और अन्य विविध सेवाएं	4,250/- रु. @ 850 रु. प्रतिमाह की दर से
(ग) अकादमी ब्लेजर, अकादमी टाई, अकादमी मुफ्ती, अकादमी खेल के कपड़े, जोगिंग शूज, जंगल बूट्स, स्विमिंग ट्रैक/सूट और बस्ता की स्टिचिंग/खरीद पर व्यय	20,000/- रु.
(घ) अवधि के अंत में वापसी यात्रा, नौ सेना ओरियंटेशन पाठ्यक्रम की समझौते पर अवकाश ड्यूटी स्टेशन/होम स्टेशन पर जाने के लिए यात्रा व्यय	2,000/- रु.

(ड) बीमा : जी एस ई एस कैडेटों को छह माह की अवधि के लिए रु. 20,00,000/ (बीस लाख रुपये केवल) के बीमा कवर के लिए रु. 2303/ की एक बारगी गैर-वापसी राशि अदा करनी होगी। यदि उन्हें निर्वासित किया जाता है तो उनकी विकलांगता कवर राशि और योगदान गैर-जी एस ई एस कैडेटों के बराबर होगा। (एन जीआई एफ पत्र संख्या बी ए/जीआई एस/215 दिनांक 06 नवंबर 2018)

(4) प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के बाद कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

आरंभिक प्रशिक्षण, जिसका विवरण निम्नानुसार है, पूरा होने तक उम्मीदवार, परिवीक्षाधीन रहेंगे:-

(क)	आईएनए, इन्जीमला का नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम	44 सप्ताह
(ख)	प्रशिक्षण पोत पर अधिकारी समुद्री प्रशिक्षण	06 माह
(ग)	सब-लेफ्टिनेंट एफ्लोट प्रशिक्षण	06 माह
(घ)	सब-लेफ्टिनेंट (तकनीकी पाठ्यक्रम) प्रदान किए जाने हेतु एफ्लोट अटैचमेंट	33 सप्ताह
(ड)	संपूर्ण नौसेना अभिरक्षा प्रमाण-पत्र	06-09 माह

(5) नियुक्ति तथा अन्य हितलाभ : लगभग 18 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत, कैडेटों, को सब-लेफ्टिनेंट के रैंक में नियुक्त किया जाएगा। कैरियर की संभावनाएं, अवकाश हितलाभ, अवकाश तथा यात्रा रियायत, पेंशन/सेवानिवृत्ति हितलाभ तथा नौसेना में अधिकारियों को प्रदत्त ऐसी समस्त अनुलब्धियां तथा विशेष सुविधाएं उसी प्रकार की होंगी, जो दो अन्य सेनाओं द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

(6) भारतीय नौसेना अकादमी के कैडेटों के आवास एवं संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन और चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, तब तक वे कैडेट रहते हैं, उनके पॉकेट तथा अन्य निजी खर्चों का भार उसके माता-पिता अथवा संरक्षक उठाएंगे। यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 1500 रु. से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिए 140 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने के इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट इस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ प्रधान निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110011 के पास भेज देगा।

टिप्पणी : यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो वह मानव संसाधन एवं भर्ती निदेशालय, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. एफ (पी) कोर्स में तीन प्रकार से प्रवेश लिया जा सकता है यानि सी डी एस ई/एन सी सी विशेष प्रविष्टि/ए एफ सी ए टी (AFCAT) जो उम्मीदवार एक से अधिक माध्यमों से वायु सेना के लिए आवेदन करते हैं उनकी प्रविष्टि की किस्म के अनुसार वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष उनकी परीक्षा/साक्षात्कार लिया जाएगा। कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सी पी एस एस) में फेल होने वाले समान उम्मीदवारों की भारतीय वायु सेना में उड़ान शाखा के लिए परीक्षा नहीं ली जा सकती।

2. प्रशिक्षण पर भेजना : वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने वाले उम्मीदवारों को वरीयता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। डाइरेक्ट एंट्री उम्मीदवारों की वरीयता सूची संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाती है और एनसीसी उम्मीदवारों की वरीयता सूची अलग से तैयार की जाती है। डाइरेक्ट एंट्री उड़ान (पायलट) उम्मीदवारों की वरीयता सूची सं.लो.से.आ. द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तियों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार

की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

3. प्रशिक्षण: वायु सेना अकादमी में उड़ानशाखा (पायलट) के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 74 सप्ताह होगी।

उड़ान प्रशिक्षण के दौरान बीमा सुरक्षा (दरें परिशोधन के अधीन हैं)

वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी दुर्घटना की स्थिति में उस फ्लाइट कैडेट के निकटतम संबंधी को रु. 800/- प्रतिमाह के मासिक अंशदान के लिए 1,00,000/- रुपए अनुग्रह राशि के रूप में अदा करेगी जो सिविल क्षेत्र से आया हो और उड़ान प्रशिक्षण पा रहा हो। उड़ान प्रशिक्षण पा रहा कोई फ्लाइट कैडेट यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से अक्षम हो जाता है और प्रशिक्षण मुक्त कर दिया जाता है तो उसे शत-प्रतिशत अक्षमता के लिए 20,000/- रुपए अनुग्रह राशि के रूप में अदा किए जायेंगे तथा यह राशि इस अनुपात में घटकर 20% रह जाती है।

प्रशिक्षण के दौरान कैडेट रु. 21,000/- प्रतिमाह (रु. 15600/- पे बैंड में और रु. 5400/- ग्रेड पे) की नियत वृत्तिका प्राप्त करने के अधिकारी हैं। "सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात दी जाने वाली वृत्तिका को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि, प्रशिक्षण की अवधि को कमीशंड सेवा नहीं माना जाएगा।"

सरकार द्वारा फ्लाइट कैडेट को एक बार वेतन तथा भत्ते स्वीकृत कर लिए जाने पर मृत्यु सुरक्षा 50,000/- रुपए होगी और शत-प्रतिशत अक्षमता सुरक्षा 25000/- रुपए होगी। वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी द्वारा एक सुरक्षा उड़ान प्रशिक्षण पा रहे प्रत्येक फ्लाइट कैडेट द्वारा 76/- रुपए के मासिक अप्रतिदेय अंशदान के भुगतान करने पर दी जाएगी जिसके लिए सदस्यता अनिवार्य होगी।

वित्तीय सहायता पर लागू होने वाली शर्तें :

(क) यद्यपि आवास, पुस्तक, वर्दी, ठहराने और चिकित्सा उपचार सहित, प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तो भी उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अपना जेब खर्च स्वयं वहन करें। वायु सेना अकादमी में प्रतिमास कम से कम 14,000/- रुपए (परिशोधन के अधीन) से अधिक खर्च होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के अभिभावक या संरक्षक उस खर्च को भी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वहन करने में असमर्थ हैं तो उसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। जिस कैडेट के अभिभावक या संरक्षक की मासिक आय 750/- रुपए या इससे अधिक है वह वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं है। वित्तीय सहायता के पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्ति तथा अन्य परिलब्धियां और सभी स्रोतों से होने वाली आय को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार के अभिभावक/संरक्षक को अपने पुत्र/बच्चे के वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुन लिए जाने के तुरंत बाद अपना आवेदन अपने जिले के जिलाधीश के माध्यम से प्रस्तुत कर देना चाहिए। जिलाधीश उस आवेदन को अपनी अनुशंसा सहित कमांडेंट, उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स, बेगमपेट को अग्रेषित कर देगा।

(ख) वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवार को आने पर निम्नलिखित रकम (परिशोधन अधीन) कमांडेंट के पास जमा करनी है।

(i)	140 रुपए प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए जेब भत्ता	840 रुपए
(ii)	वस्त्र और उपकरणों मर्दों के लिए	1500 रुपए
	योग	2340 रुपए

उपर्युक्त रकम में से निम्नलिखित रकम कैडेट को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्थिति में वापस देय है:-

140 रुपए प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए पॉकेट भत्ता	840 रुपए
---	----------

4. भविष्य में पदोन्नति की संभावनाएं :

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार फ्लाईंग अफसर के रैंक पर पास आउट होते हैं तथा रैंक के वेतनमान तथा भत्तों के हकदार हो जाते हैं। प्लाईट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर तथा ग्रुप कैप्टन के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति उड़ान (पाइलट) शाखा की क्रमशः 02 वर्ष, 06 वर्ष, 13 वर्ष तथा 26 वर्ष की सफलतापूर्वक सेवा पूरी करने पर दी जाती है। ग्रुप कैप्टन और उच्चतर पदों में पदोन्नति सिर्फ चयन के आधार पर की जाती है। उदयमान अधिकारियों के लिए एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल तथा एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के अच्छे अवसर होते हैं।

5. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत :

वार्षिक अवकाश वर्ष में 60 दिन

आकस्मिक अवकाश वर्ष में 20 दिन।

एक बार में अधिकारी पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल 60 दिन तक की यात्रा में होने वाले प्रासंगिक व्यय की पूर्ति हेतु अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के साथ 10 दिनों तक के वार्षिक अवकाश के लिए नकद भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है।

जब भी कोई अधिकारी अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में पहली बार वार्षिक/ आकस्मिक अवकाश लेता है, तो वह अपने कार्य करने के स्थान (यूनिट) से गृह नगर तक और वापस अपने कार्य करने के स्थान तक आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा चाहे उसके अवकाश की अवधि कुछ भी क्यों न हो, और तत्पश्चात प्रत्येक दूसरे वर्ष बिना किसी दूरी पर प्रतिबंध के गृह नगर के बदले में भारत में किसी भी स्थान के लिए या चयन किए गए निवास स्थान के लिए।

इसके अतिरिक्त उड़ान शाखा के अधिकारियों को, जो प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित उड़ान ड्यूटी पर तैनात होते हैं, अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर आने और जाने दोनों ओर की 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए रेल द्वारा उपर्युक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी।

जो अधिकारी छुट्टी लेकर अपने खर्च से यात्रा करने के इच्छुक हैं वे कैलेंडर वर्ष में 6 एक तरफा यात्रा फार्म 'डी' पर पत्नी तथा बच्चों के साथ पात्र श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी द्वारा यात्रा के किराए का 60 प्रतिशत भुगतान करके यात्रा करने के हकदार होंगे। इसमें दो उक्त फार्म 'डी' पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहन और नाबालिग भाई शामिल होंगे।

6. **अन्य सुविधाएं :** अधिकारी गण तथा उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती किराए पर आवास, ग्रुप बीमा योजना, ग्रुप-आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाएं आदि के हकदार हैं।

(घ) **अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:**

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई जायें:

(क) उसे उस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली-भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार से मुआवजा या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए ऑपरेशन या ऑपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने के पूर्व वापस जाना चाहे या यदि दिए जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो शिक्षा, खाना,

वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए हैं, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निश्चित करे, चुकाने के जिम्मेदार होंगे।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा। उन उम्मीदवारों को जेंटलमैन/महिला कैडेट के रूप में नामांकित किया जाएगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से जेंटलमैन कैडेट अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत रहेंगे।

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा, शामिल है सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा।

कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम रु. 200/- प्रतिमास से अधिक खर्च होने की संभावना नहीं है, किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, सैर-सपाटा इत्यादि का शौक रखता हो तो उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप से वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है। बशर्ते कि कैडेट और उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 1500/- रु. प्रतिमास से कम हो। जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन पत्र जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र को कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई को भेज देगा।

4. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने गए उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित धनराशि जमा करनी होगी:-

(क)	1000/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन महीने के लिए जेब खर्च भत्ता	3,000/- रु.
(ख)	वस्त्र तथा उपकरणों की मदों के लिए	5,000/- रु.
(ग)	2 माह के लिए समूह बीमा राशि (एजीआईएफ)	10,000/- रु.
	कुल	18,000/- रु.

यदि कैडेटों की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युक्त राशि में से (ख) के सामने दी गई राशि वापस कर दी जाएगी।

5. समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत परिधान भत्ता मिलेगा। कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी। यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग-पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं को सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

6. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले जेंटलमैन/महिला कैडेट का थल सेना मुख्यालय द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। प्रस्थान से पूर्व प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय का एक बांड भरना होगा।

7. अफसर प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेने के बाद, कैडेटों को प्रशिक्षण के केवल पहले सत्र में सिविल सेंट्रल जॉब साक्षात्कार/सेवा चयन बोर्ड के लिए आवेदन करने व जाने की अनुमति होगी। किन्तु, उन जेंटलमैन कैडेटों से, जो चयन हो जाने के बाद भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में अथवा नौ सेना और वायु सेना में सदृश कैडेट प्रशिक्षण संगठनों में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से त्याग पत्र देंगे, उनसे मेस क खर्च सहित प्रशिक्षण का कोई खर्च वसूल नहीं किया जाएगा।

8. जिस जेंटलमैन/महिला कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रशिक्षण अवधि की लागत अदा करने के बाद सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को उनकी रेजिमेंट कोर में वापस भेज दिया जाएगा।

9. **प्रशिक्षण :** चुने गए उम्मीदवारों को जेंटलमैन/महिला कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के उपरांत जेंटलमैन/महिला कैडेटों को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी कैडेटों को मद्रास विश्वविद्यालय रक्षा प्रबंधन और सामरिक अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान करेगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर वापस किए जाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

10. सेवा की शर्तें :

(क) **परिवीक्षा की अवधि:** कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अधिकारी 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है।

(ग) **तैनाती:** अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर समय-समय पर आई.एच.क्यू./एम.ओ.डी. द्वारा यथा निर्धारित चुनिंदा नियुक्ति पर उन्हें भारत या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है।

(x) नियुक्ति की अवधि:

अल्पकालिक सेवा कमीशन पुरुष एवं महिला को नियमित थल सेना में 14 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा अर्थात् प्रारंभ में 10 वर्ष जो 4 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। पुरुष एवं महिला अधिकारी जो 10 वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे, यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए तो समय-समय पर जारी संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के दसवें वर्ष में उनको स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जायेगा।

वे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी (पुरुष एवं महिला) जिनका स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए चयन नहीं हुआ है लेकिन वे अन्यथा योग्य एवं उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें 14 वर्षों की कुल अवधि के लिए (10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित) अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा। इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेवा निर्मुक्त किया जाएगा।

(घ) **सेवा का पांचवां वर्ष पूरा होने पर अल्पकालिक कमीशन प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान :** वे अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी जिन्होंने डिग्री इंजीनियरी कोर्स अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स नहीं किया हो अथवा न ही कर रहे हों, जो पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सेवा के 5वें वर्ष में सेना मुख्यालय को सेवा छोड़ने हेतु आवेदन करना होगा। तत्पश्चात् सेना मुख्यालय योग्यता के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और इस संबंध में सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा। अनुमोदन उपरांत इन अधिकारियों को सेवा के पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन वे अल्प सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी, जो डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसा ही कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स कर रहे हैं, वे 14 वर्ष की पूरी अवधि समाप्त होने के पहले तब तक कमीशन नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनसे ऐसे कोर्स करने की यथा निर्धारित लागत वसूल नहीं कर ली जाती। विमान चालकों के लिए प्रतिरोधक विमानन कोर्स अनिवार्य है, जो अल्पकालिक सेवा अधिकारियों के लिए विशेषज्ञ कोर्स है। उन्हें डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसे अन्य विशेषज्ञ कोर्सों के लिए नामांकित होने पर इस आशय का एक बॉण्ड भरना होगा। अनुदेशों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए लागू सभी अनुदेशों के अलावा, निम्नलिखित प्रतिबंध, अनिवार्य पाठ्यक्रम को छोड़कर, सभी पाठ्यक्रमों के लिए सभी एसएससी अधिकारियों पर लागू होंगे :-

(i) सेना विमानन कोर अधिकारियों को छोड़कर सभी एसएससी अधिकारियों (पुरुष और महिला) को 'विशिष्ट/अन्य श्रेणी' पाठ्यक्रम में, अध्ययन करने से पहले एक वचन देना होगा कि वे कोर्स समाप्ति के बाद न्यूनतम पांच वर्ष तक सेवा करने के लिए वचनबद्ध होंगे।

(ii) सेना विमानन कोर के सभी एसएससीओ (पुरुष और महिला) कोर्स शुरू करने से पहले एक वचन देंगे :-

(कक) वे पाठ्यक्रम की समाप्ति से परे न्यूनतम 12 वर्ष तक सेवा देने के लिए वचनबद्ध होंगे।

(कख) वे विशेष पाठ्यक्रम के लिए वचन देते समय च्च के साथ-साथ एक्सटेंशन लेने के लिए बाध्य होंगे।

(ड) **बढ़ाई गई अवधि के लिए विशेष प्रावधान :** बढ़ाई गई अवधि के दौरान उन्हें निम्नलिखित आधारों पर सेना से सेवामुक्त होने की अनुमति दी जाएगी :

- (i) सिविल पद प्राप्त करने पर
- (ii) उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर
- (iii) अपना व्यवसाय आरंभ करने पर/फैमिली व्यवसाय अपनाने पर

(च) **स्थायी पदोन्नति :** अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा इन नियमों के तहत अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी निम्न प्रकार से स्थायी पदोन्नति के पात्र होंगे:-

- (i) दो वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर कैप्टन के रैंक में।
- (ii) छः वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर मेजर के रैंक में।
- (iii) तेरह वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में।

(छ) **अनिवार्य शर्तें :** स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए निर्धारित उपर्युक्त वास्तविक रैंक प्रदान करने हेतु अनिवार्य शर्तें तथा साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यथा स्वीकार्य पदोन्नति परीक्षा भाग ख तथा घ हेतु पात्रता, समय सीमा और शास्तियां अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अधिकारियों तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिलाओं पर भी लागू होंगी।

(ज) **वरिष्ठता का समायोजन :** एस०एस०सी० पुरुष तथा महिला अधिकारियों और साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण को समायोजित करने के लिए एस०एस०सी० पुरुष व महिला अधिकारियों की वरिष्ठता के लिये, विचाराधीन एस०एस०सी० कोर्स तथा इसके समतुल्य स्थायी कमीशन कोर्स की प्रशिक्षण अवधि के बीच के अंतर की सदृश (कोरेसपोंडिंग) अवधि द्वारा कम कर दिया जाएगा। इस वरिष्ठता के समायोजन को कैप्टन का पहला वास्तविक रैंक प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा। संशोधित, वरिष्ठता क्रम से कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में दिए जाने वाले वेतन और भत्ते प्रभावित नहीं होंगे।

(झ) **गणना योग्य (रेकनेबल) कमीशन सेवा :** उपर्युक्त पैरा 10(ज) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अधीन, इस आदेश के प्रयोजनार्थ, गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि की गिनती, किसी अधिकारी को अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने की तिथि से की जाएगी। कोर्ट मार्शल अथवा सेना अधिनियम के अंतर्गत किसी दंड के कारण सेवाकाल में से घटाई गई अवधि और बिना अवकाश वाली अनुपस्थिति की अवधि, गणना योग्य नहीं होगी। फलों दर पर प्राप्त वेतन वाली अवधि और वह अवधि गणना योग्य होगी, जो युद्धबंदियों (पीओडब्ल्यू) के मामले में लागू वेतन दर पर युद्धबंदी के रूप में बिताई गई हो। वेतन रहित अवकाश प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी के मामले में सेवा अवधि घटा दिए जाने के कारण उसकी पदोन्नति के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवा अवधि के कम पड़ने की स्थिति में भी घटाई गई उक्त अवधि को गणना योग्य माना जाएगा। हालांकि, ऐसे अधिकारी, उक्त अवधि को गणना में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए मूल उच्चतर रैंक का वेतन और भत्ते पाने के हकदार उस तारीख से होंगे, जिस तारीख से उन्हें अर्हक सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई होती यदि उक्त अवधि को गणना में शामिल नहीं किया गया होता, न कि उस

तारीख से, जिस तारीख से उन्हें मूल रैंक प्रदान किया गया है।

(ज) **अवकाश:** समय-समय पर यथासंशोधित, सेवा अवकाश नियमावली खंड-1 सेना, के अनुसार अवकाश देय होंगे।

छुट्टी के संबंध में ये अधिकारी अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खंड-1 थल सेना के अध्याय चार में उल्लेखित हैं, वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के पासिंग आउट करने पर तथा झूटी ग्रहण करने से पूर्व नियम 69 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार शासित होंगे।

एस एस सी महिला अफसर भी निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी के लिए हकदार होंगी:—

(i) **मातृत्व अवकाश.** सेना की महिला अधिकारी पर सेना खंड-1 — सेना, चौथे संस्करण के अध्याय-4 के नियम 56 में दिए गए छुट्टी संबंधी नियम लागू होंगे।

(ii) **शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव).** सेना की महिला अफसरों पर छुट्टी संबंधी नियम खण्ड-1— सेना, संस्करण-4 के नियम 56ए, यथा संशोधित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. बी/33922/एजी/पी एस-2(बी)/3080/डी (एजी-2) दिनांक 19 नवंबर 2018 में दिए गए नियम (छुट्टी संबंधी नियम) लागू होंगे।

(iii) **शिशु गोद लेने के लिए अवकाश.** सेना की महिला अधिकारी पर सेना खंड-1 — सेना, चौथे संस्करण के अध्याय-4 के नियम 56 बी में दिए गए छुट्टी संबंधी नियम लागू होंगे।

(ट) **कमीशन की समाप्ति :** किसी भी अधिकारी के कमीशन को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कारण से किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है:-

- (i) कदाचार करने या संतोषजनक रूप से सेवा न करने पर, या
- (ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर, या
- (iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या
- (iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षा या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर।

तीन महीने के नोटिस देने पर किसी अफसर को करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु इसकी पूर्णतः निर्णायक भारत सरकार होगी। करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा।

(ठ) **सेवांत उपदान :** सिविल पक्ष से भर्ती किए गए एस०एस०सी०ओ० सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए ½ माह की परिलब्धियों की दर से सेवांत उपदान के हकदार होंगे।

(ड) **रिजर्व के रहने का दायित्व :** पांच/दस वर्ष की अल्पकालिक कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा (जैसा भी मामला हो) पूर्ण करने के बाद निर्मुक्त होने पर पांच वर्ष की अवधि तक अथवा पुरुष अधिकारियों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक तथा महिला अधिकारियों के मामले में 37 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, 5th August, 2020

RULES

S.R.O. 05(E).—A Combined Defence Services Examination (II), 2020 will be conducted by the Union Public Service Commission on 8th November 2020.

Name of the Course	Approximate No. of Vacancies
(a) Indian Military Academy, Dehradun—151 st (DE) Course Commencing in July, 2021	100 [including 13 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders].
(b) Indian Naval Academy, Ezhimala— Course Commencing July, 2021 Executive Branch (General Service)/Hydro.	26 [including 06 vacancies for NCC 'C' Certificate (Naval Wing) holders through NCC Special Entry].
(c) Air Force Academy, Hyderabad— (Pre-Flying) Training Course Commencing in July, 2021 i.e. 210 F(P) Course.	32 [including 03 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate (Air Wing) holders through NCC Special Entry].
(d) Officers' Training Academy, Chennai (Madras) 114 th SSC (Men) (NT) (UPSC) Course Commencing in October, 2021.	169
(e) Officers Training Academy, Chennai (Madras) 28 th SSC Women (NT) (UPSC) Course Commencing in October, 2021.	17.

NOTE (i): The date of holding the examination as mentioned above is liable to be changed at the discretion of the Commission.

NOTE (ii): The above number of vacancies is tentative and may be changed at any stage by Services H. Q.

N.B. (I) (a): A candidate is required to specify clearly in respective column of the Online Application the Services for which he/she wishes to be considered in the order of his/her preference. A male candidate is advised to indicate as many preferences as he wishes to, subject to the condition given at paras (b) and (c) below, so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointment.

Since women candidates are eligible for OTA only, they should give OTA as their first and only preference.

(b) (i) : If a male candidate is competing for Short Service Commission (Army) only, he should indicate OTA as the one and only choice. However, a male candidate competing for Short Service Commission Course at OTA as well as Permanent Commission course at IMA, Indian Naval Academy and Air Force Academy should indicate OTA as his last preference, otherwise OTA will be deemed to be the last choice even if it is given a higher preference by the candidate.

(b) (ii) : Women candidates are being considered only for Short Service Commission at OTA. They should indicate OTA as the only choice.

(c) Candidates who desire to join Air Force Academy must indicate AFA as first choice, as they have to be administered Computer Pilot Selection System (CPSS) and/or and AF Medicals at Central Establishment/Institute of Aviation Medicines. Choice exercised for AFA as second/third etc. will be treated as invalid.

(d) Candidates should note that, except as provided in N.B. (II) below, they will be considered for appointment to those courses only for which they exercise their preference and for no other course(s).

(e) No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission. No change of choice once exercised will be allowed. Second choice will come for consideration only when the first choice is not offered to the candidate by Services HQ. When first choice is offered and a candidate declines the same, his/her candidature will be cancelled for all other choices for regular Commission.

N.B. (II) The left-over candidates of IMA/Indian Naval Academy/Air Force Academy courses viz., those who have been recommended by the Union Public Service Commission for grant of Permanent Commission on the basis of the final results of this Examination, but who could not be inducted in these courses for any reason whatsoever may be considered for grant of SSC even if they have not indicated their choice for this course in their applications, if they are subsequently willing to be considered for this course subject to the following conditions :

- (i) There is a shortfall after detailing all the candidates who competed for the SSC Course; and
- (ii) The candidates who are detailed for training even though they have not expressed their preference for SSC will be placed in the order of Merit List after the last candidate who had opted for this Course, as these candidates will be getting admission to the Course to which they are not entitled according to the preference expressed by them.
- (iii) Candidates with Air Force as first and only choice cannot be considered as left-over for grant of SSC (OTA) if they fail in Computer Pilot Selection System (CPSS) and/or Pilot Aptitude Battery Test. Such candidates, if they desire to be considered for SSC (OTA) should exercise their option for OTA also.

NOTE 1 : NCC 'C' Certificate (Army Wing (Senior Division)/ Air Wing/ Naval Wing) holders may also compete for the vacancies in the Short Service Commission Course but since there is no reservation of vacancies for them in this course, they will be treated as general candidates for the purpose of filling up vacancies in this course. Candidates who have yet to pass NCC 'C' Certificate (Army Wing(Senior Division)/Air Wing/Naval Wing) examination, but are otherwise eligible to compete for the reserved vacancies, may also apply but they will be required to submit the proof of passing the NCC 'C' Certificate (Army Wing(Senior Division)/Air Wing/Naval Wing) examination to reach the IHQ of MoD (Army)/DteGen of Rtg(Rtg A) CDSE Entry for SSC male candidates and SSC women entry for female candidates West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and IHQ of MOD (Navy) DMPR, (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110 011 in case of Navy first choice candidates and PO 3 (A) Air Headquarters 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110 106 in case of Air Force first choice candidates by 13th May 2021. To be eligible to compete for reserved vacancies the candidates should have served for not less than 3 academic years in the Senior Division Army Wing/ Air Wing/Naval Wing of National Cadet Corps and should not have been discharged from the NCC for more than 24 months for IMA/Indian Naval Academy/Air Force Academy courses on the last date of receipt of Application in the Commission's Office.

NOTE 2 : In the event of sufficient number of qualified NCC 'C' Certificate (Army Wing(Senior Division)/Air Wing/Naval Wing) holders not becoming available on the results of the examination to fill all the vacancies reserved for them in the Indian Military Academy Course/ Air Force Academy Course/ Indian Naval Academy Course, the unfilled reserved vacancies shall be treated as unreserved and filled by general candidates. Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme, standard, syllabus of the examination, (b) Guidelines with regard to physical standards for admission to the Academy and (c) Brief particulars of services etc. for candidates joining the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

2. CONDITIONS OF ELIGIBILITY:

(a) **Nationality:** A candidate must be unmarried and must either be :-

(i) a Citizen of India, or

(ii) a subject of Nepal, or

(iii) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii) and (iii) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India:

Certificate of eligibility will, however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination provisionally subject to the necessary certificate being given to him/her by the Govt. before declaration of result by UPSC.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status:

(i) For IMA—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd July, 1997 and not later than 1st July, 2002 only are eligible.

(ii) For Indian Naval Academy—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd July, 1997 and not later than 1st July, 2002 only are eligible.

(iii) For Air Force Academy—

Age : 20 to 24 years as on 1st July, 2021 i.e. born not earlier than 2nd July, 1997 and not later than 1st July, 2001 (Upper age limit for candidates holding valid and current Commercial Pilot Licence issued by DGCA (India) is relaxable upto 26 yrs. i.e. born not earlier than 2nd July, 1995 and not later than 1st July, 2001) only are eligible.

Note : Candidate below 25 years of age must be unmarried. Marriage is not permitted during training. Married candidates above 25 years of age are eligible to apply but during training period they will neither be provided married accommodation nor can they live with family out of the premises.

(iv) For Officers' Training Academy—(SSC Course for men) Unmarried male candidate born not earlier than 2nd July, 1996 and not later than 1st July, 2002 only are eligible.

(v) For Officers' Training Academy—(SSC Women Non-Technical Course) Unmarried women, issueless widows who have not remarried and issueless divorcees (in possession of divorce documents) who have not remarried are eligible. They should have been born not earlier than 2nd July, 1996 and not later than 1st July, 2002.

NOTE: Male divorcee/widower candidates cannot be treated as unmarried male for the purpose of their admission in IMA/INA/AFA/OTA, Chennai courses and accordingly they are not eligible for these courses.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation/Secondary School Examination certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Matriculation/Secondary School Examination certificate or an equivalent examination certificate. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Secondary School Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Secondary School Examination Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the self attested/certified copy of Matriculation/Secondary School Examination Certificate a self attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the Institution

from where he/she passed the Matriculation/Secondary School Examination showing the date of his/her birth or exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

NOTE 1 : Candidates should note that only the Date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary School Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2 : Candidates should also note that once a Date of Birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at a subsequent examination on any ground whatsoever.

NOTE 3 : The candidates should exercise due care while entering their date of birth. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

(c) Educational Qualifications:

(i) For I.M.A. and Officers' Training Academy, Chennai— Degree of a recognised University or equivalent.

(ii) For Indian Naval Academy—Degree in Engineering from a recognised University/Institution.

(iii) For Air Force Academy—Degree of a recognised University (with Physics and Mathematics at 10+2 level) or Bachelor of Engineering.

Graduates with first choice as Army/Navy/Air Force are to submit proof of Graduation/ provisional certificates on the date of commencement of the SSB Interview at the SSB.

Candidates who are studying in the final year/semester Degree course and have yet to pass the final year degree examination can also apply provided candidate should not have any present backlog upto the last semester / year for which results have been declared upto the time of submission of application and they will be required to submit proof of passing the degree examination at the time of commencement of course to reach the IHQ of MoD (Army), Rtg 'A', CDSE Entry, West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates, Naval HQ 'DMPR' (OI & R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates and PO3(A)/Air Headquarters, 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110 106 in case of Air Force first choice candidates by the following dates failing which their candidature will stand cancelled :

(i) For admission to IMA on or before 1st July, 2021, Indian Naval Academy on or before 1st July, 2021 and Air Force Academy on or before 13th May, 2021.

(ii) For admission to Officers' Training Academy, Chennai on or before 1st October, 2021.

Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by government as equivalent to professional and technical degrees would also be eligible for admission to the examination.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he/she possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his/her admission to the examination.

NOTE I : Candidates, who have yet to pass their degree examination will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination. Those candidates who have yet to qualify in the final year Degree Examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the Degree Examination by the prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever. Candidates who are studying in the final year/semester degree course are required to submit at the time of SSB interview a bonafide certificate issued by University/College stating that they will be able to submit their proof of passing the graduation degree examination by the specified date, failing which their candidature will be cancelled.

NOTE II: Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE III: In the event of Air Force candidates being suspended from Flying training for failure to learn flying, they would be absorbed in the Navigation/Ground Duty (Non Tech) Branches of the IAF. This will be subject to availability of vacancies and fulfilling the laid down qualitative requirements.

(d) Physical Standards:

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to Combined Defence Services Examination (II), 2020 as per guidelines given in Appendix-II.

3. FEE :

Candidates (excepting Female/SC/ST candidates who are exempted from payment of fee) are required to pay a fee as prescribed in the Commission's Examination Notice.

4. All candidates whether already in Government Service including candidates serving in the Armed Forces, Government owned industrial undertakings or other similar organizations or in private employment should submit their applications online direct to the Commission.

N.B.I: Persons already in Government Service, whether in permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises are, however, required to inform their Head of Office/Department in writing that they have applied for the Examination.

N.B.II: Candidates serving in the Armed Forces are required to inform their Commanding Officer in writing that they have applied for this examination. They are also required to submit NOC in this regard at the time of SSB interview.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidatures will be liable to be cancelled.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission to the all the stages of the examination will be purely provisional subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after any stage of the examination, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions their candidature will be cancelled by the Commission.

Candidates are advised to keep ready the following documents in original alongwith their self attested copies soon after the declaration of the result of the written part of the examination which is likely to be declared in the month of December, 2020 for submission to the Army HQ/Naval HQ/Air HQ as the case may be:

(1) Matriculation/Secondary School Examination Certificate or its equivalent showing date of birth (2) Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet showing clearly having passed degree examination and eligible for award of degree.

In the first instance all qualified candidates eligible for SSB interview will carry their original Matriculation/Secondary School Examination Certificate as also their Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet with them while going to the Services Selection Centres for SSB interview. Candidates who have not yet qualified the final year Degree examination must carry with them a certificate in original from the Principal of the College/Institution stating that the candidate has appeared/is appearing at the final year Degree examination. Candidates who do not carry the above certificates with them while going to the Services Selection Centres shall not be allowed to appear for the SSB interview. No relaxation for production of the above certificates in original at the selection Centre is allowed, and candidates who do not carry with them any of these certificates in original will not be permitted to appear for their SSB test and interview and they will be sent back home at their own expense.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission for the examination.

7. If any of their claims is found to be incorrect/false/fraud/fabricated they may render themselves liable to disciplinary action by the Commission in terms of the following provisions:

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

- (i) Obtaining support for his candidature by the following means, namely :—
 - (a) offering illegal gratification to; or
 - (b) applying pressure on; or
 - (c) blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or
- (ii) impersonation; or
- (iii) procuring impersonation by any person; or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
- (v) uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature.
- (vi) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or
- (vii) resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely :—
 - (a) obtaining copy of question paper through improper means;
 - (b) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination;
 - (c) influencing the examiners; or
- (viii) being in possession of or using unfair means during the examination; or
- (ix) misbehaving in the examination hall including provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
- (x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or
- (xi) being in possession of or using any mobile phone, (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or
- (xii) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or
- (xiii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;
may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—
 - (a) to be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period :—
 - (i) by the Commission, from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
 - (c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules ;

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after:—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

8. The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per age and educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the Application Form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions.

Candidates must ensure that their e-mail IDs given in their applications are valid and active.

9. CORRESPONDENCE WITH THE ARMY/NAVAL/AIR HEAD QUARTERS.

All communications to the Army Headquarters should invariably contain the following particulars.

1. Name and year of the examination.
2. Registration ID (RID)
3. Roll Number (if received)
4. Name of candidate (in full and in block letters)
5. Complete Postal Address as given in the application with telephone number, if any.

N.B. (i) Communications not containing the above particulars may not be attended to.

N.B. (ii) If a letter/communication is received from a candidate after an examination has been held and it does not give his/her full name and Roll number, it will be ignored and no action will be taken thereon.

N.B. (iii) Candidates recommended by the Commission for interview by the Services Selection Board who have changed their addresses subsequent to the submission of their application for the examination should immediately after announcement of the result of the written part of the examination notify the changed address, along with an unstamped self addressed envelope, also to IHQ of MoD (Army)/Dte Gen of Rtg (Rtg A)CDSE Entry Section for males and SSC Women Entry Section for women candidates, West Block-III, Ground Floor, Wing 1, Ramakrishna Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and IHQ of MOD(Navy) DMPR (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates, and PO 3 (A) Air HQS. 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110 106 in case of Air Force first choice candidates. Failure to comply with this instruction will deprive the candidate of any claim to consideration in the event of his/her not receiving the summon letter for interview by the Services Selection Board. For all queries regarding allotment of centres, date of SSB interview, merit list, Joining Instructions, and any other relevant information regarding selection process, please visit website www.joinindianarmy.nic.in or contact Recruiting Directorate on Tele No.: (011)-26173215 and Fax No.: 011-26196205 between 1400hrs to 1700hrs on all working days in case of candidates having IMA or OTA as their first choice, IHQ of MOD (NAVY)DMPR (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in the case of candidates having Navy as first choice and PO3 (A)/Air Headquarters, 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110 106 in the case of candidates having Air Force as first choice.

Candidates are requested to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in very genuine circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army headquarters/Naval HQ /Air Headquarter will be the sole deciding authority. Such requests should be sent to Selection Centre/SSB from where the call for SSB interview has been received. Navy candidates can download their call letters from the naval website www.joinindiannavy.gov.in or send email at officer-navy@nic.in three weeks after publication of results.

N.B. In case a candidate does not get the interview call for SSB interview for IMA by 4th week of February, 2021 and by 4th week of May, 2021 for OTA, he/she should write to IHQ of MoD(Army)/Rtg. CDSE Entry/SSC Women Entry for Officers Training Academy, West Block-III, Ramakrishna Puram, New Delhi-110066 or contact on telephone No. 26173215 regarding non-receipt of the call-up letter. For similar query by the Navy/Air Force candidates, having first choice as given ibid, should write to Naval Hqrs. or Air Hqrs. as mentioned in N.B. III (in case of non-receipt of call by 4th week of February, 2021).

10. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES.

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Candidates who are declared successful in the written exam will be detailed for intelligence and personality test at the Service Selection Board based on their preference by the respective service HQ. CANDIDATES WHO QUALIFY IN THE WRITTEN EXAM AND GIVEN THEIR FIRST CHOICE AS ARMY (IMA/OTA) ARE REQUIRED TO REGISTER THEMSELVES ON THE RECRUITING DIRECTORATE WEBSITE WWW.JOININDIANARMY.NIC.IN IN ORDER TO ENABLE THEM TO RECEIVE CALL UP INFORMATION FOR SSB INTERVIEW. THOSE CANDIDATES WHO HAVE ALREADY REGISTERED ON THE RECRUITING DIRECTORATE WEBSITE ARE ADVISED NOT TO REGISTER AGAIN. The email ID registered with DG Recruiting website i.e. www.joinindianarmy.nic.in and that given to UPSC must be same and unique to the applicant. Results of the test conducted by Service Selection Board will hold good for all the courses [i.e. Indian Military Academy (DE) Course, Dehradun, Indian Naval Academy, Ezhimala Course, Air Force Academy (Pre-Flying) Course, Hyderabad and SSC (NT) Course at OTA, Chennai] for which the candidate has qualified in the written exam, irrespective of the service HQ conducting it. Two-stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and intelligence Test has been introduced at Service Selection Boards. All the candidates will be put to stage one test on first day of reporting at Selection Centres. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests and all those who fail to pass stage one, will be returned. Only those candidate who qualify at stage two will be required to submit photocopy each of:—(i) Matriculation pass certificate or equivalent in support of date of birth, (ii) Bachelors Degree/Provisional Degree alongwith mark sheets of all the years/semesters in support of educational qualification.

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the test there at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Candidates will be required to sign a certificate to this effect on the form appended to the application.

To be acceptable, candidates should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination and (ii) SSB test as fixed by the Commission and Service Selection Board respectively in their discretion. The candidates will be placed in the order of merit on the basis of the total marks secured by them in the written examination and in the SSB tests. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success at the examination confers no right of admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy or the Officers' Training Academy as the case may be. The final selection will be made in order of merit subject to medical fitness and suitability in all other respects and number of vacancies available.

NOTE: Every candidate for the Air Force and Naval Aviation is given Pilot Aptitude Test only once. The Grade secured by him at the first test (CPSS and/or PABT) will therefore hold good for every subsequent interview at the Air Force Selection Board. Those who have failed Indian Navy Selection Board/Computer Pilot Selection System (CPSS) and/or Pilot Aptitude Battery Test earlier and those who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force.

TEST/INTERVIEW AT AIR FORCE SELECTION BOARDS FOR THOSE CANDIDATES WHO APPLY FOR AIR FORCE THROUGH MORE THAN ONE SOURCE:—There are three modes of entry in

F (P) course viz. CDSE/NCC/Airmen. Candidates who apply for the Air Force through more than one source will be tested/interviewed at the Air Force Selection Boards only once for Air Force. Common candidates who fail in Computer Pilot Selection System (CPSS) and/ or Pilot Aptitude Battery tests as an NCC or Airmen candidate will be called again for OLQ testing for Army/Navy/OTS only if it is found that they have applied through CDS Exam. Candidates who qualify in the written examination for IMA (D.E.) Course and/or Navy (S.E.) Course and/or Air Force Academy course irrespective of whether they have also qualified for SSC Course or not will be detailed for SSB test in February- March, 2021 and candidates who qualify for SSC Course only will be detailed for SSB tests in April to June, 2021.

11. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE:

Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, Indian Military Academy, Air Force Academy, Indian Naval Academy, Officers' Training Academy, Chennai but were removed there from on disciplinary ground will not be considered for admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy or for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the Indian Military Academy for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

Candidates who were previously selected as Special Entry Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence Academy or from Naval Training Establishments for lack of Officer-like qualities will not be eligible for admission to the Indian Navy.

Candidates who were withdrawn from Indian Military Academy, Officers' Training Academy, NCC and Graduate course for lack of Officer-like qualities will not be considered for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the NCC and Graduates' course for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

12. RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE INDIAN NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY OR OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI:

Candidates for the Indian Military Academy Course or Naval Academy Course or Indian Air Force Academy Course or Officers' Training Academy, Chennai must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his/her application though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him/her by the Government.

Candidate must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application, though successful at the written examination or Service Selection Board interview of medical examination will not be eligible for training. A candidate, who marries during his period, shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

13. OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE INDIAN NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY:

After admission to the Indian Military Academy or the Indian Naval Academy or the Air Force Academy, candidates will not be considered for any other commission. They will also not be permitted to appear for any interview or examination after they have been finally selected for training in the Indian Military Academy or the Indian Naval Academy or the Air Force Academy.

[No. B/59111/IMA-151(DE)/Rtg'A'/CDSE/1720/16(2)/2020/DMA/(AG)]

MAJOR GENERAL K NARAYANAN, Jt. Secy.

APPENDIX-I

The scheme, standard and syllabus of the examination

A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The Competitive examination comprises:

- (a) Written examination as shown in para 2 below.
- (b) Interview for intelligence and personality test (vide Part 'B' of this Appendix) of such candidates as may be called for interview at one of the Services Selection Centres.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows:

(a) For Admission to Indian Military Academy, Indian Naval Academy and Air Force Academy:—

Subject	Duration	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100
3. Elementary Mathematics	2 Hours	100

(b) For Admission to Officers' Training Academy:—

Subject	Duration	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100

The maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be equal for each course i.e. the maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be 300, 300, 300 and 200 each for admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy respectively.

3. The papers in all the subjects will consist of objective type questions only. The question papers (Test Booklets) of General Knowledge and Elementary Mathematics will be set bilingually in Hindi as well as English.

4. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. The candidates are not permitted to use calculator for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall.

B. STANDARD AND SYLLABUS OF THE EXAMINATION**STANDARD**

The standard of the papers in Elementary Mathematics will be of Matriculation level. The standard of papers in other subjects will approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

SYLLABUS**ENGLISH (Code No. 01)**

The question paper will be designed to test the candidates' understanding of English and workmanlike use of words.

GENERAL KNOWLEDGE (Code No. 02)

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidate should be able to answer without special study.

ELEMENTARY MATHEMATICS (Code No. 03)

ARITHMETIC

Number System—Natural numbers, Integers, Rational and Real numbers. Fundamental operations, addition, subtraction, multiplication, division, Square roots, Decimal fractions. Unitary method, time and distance, time and work, percentages, applications to simple and compound interest, profit and loss, ratio and proportion, variation.

Elementary Number Theory—Division algorithm. Prime and composite numbers. Tests of divisibility by 2, 3, 4, 5, 9 and 11. Multiples and factors. Factorisation Theorem. H.C.F. and L.C.M. Euclidean algorithm. Logarithms to base 10, laws of logarithms, use of logarithmic tables.

ALGEBRA

Basic Operations, simple factors, Remainder Theorem, H.C.F., L.C.M., Theory of polynomials, solutions of quadratic equations, relation between its roots and coefficients (Only real roots to be considered). Simultaneous linear equations in two unknowns—analytical and graphical solutions. Simultaneous linear inequations in two variables and their solutions. Practical problems leading to two simultaneous linear equations or inequations in two variables or quadratic equations in one variable & their solutions. Set language and set notation, Rational expressions and conditional identities, Laws of indices.

TRIGONOMETRY

Sine $\times$, cosine $\times$, Tangent $\times$ when $0^\circ \leq \times \leq 90^\circ$ Values of $\sin \times$, $\cos \times$ and $\tan \times$, for $\times = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ and 90°

Simple trigonometric identities.

Use of trigonometric tables.

Simple cases of heights and distances.

GEOMETRY

Lines and angles, Plane and plane figures, Theorems on (i) Properties of angles at a point, (ii) Parallel lines, (iii) Sides and angles of a triangle, (iv) Congruency of triangles, (v) Similar triangles, (vi) Concurrence of medians and altitudes, (vii) Properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rectangle and square, (viii) Circles and its properties including tangents and normals, (ix) Loci.

MENSURATION

Areas of squares, rectangles, parallelograms, triangle and circle. Areas of figures which can be split up into these figures (Field Book), Surface area and volume of cuboids, lateral surface and volume of right circular cones and cylinders, surface area and volume of spheres.

STATISTICS

Collection and tabulation of statistical data, Graphical representation frequency polygons, histograms, bar charts, pie charts etc. Measures of central tendency.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

The SSB procedure consists of two stage Selection process - stage I and stage II. Only those candidates who clear the stage I are permitted to appear for stage II. The details are:-

(a) Stage I comprises of Officer Intelligence Rating (OIR) tests are Picture Perception * Description Test (PP&DT). The candidates will be shortlisted based on combination of performance in OIR Test and PP&DT.

(b) Stage II Comprises of Interview, Group Testing Officer Tasks, Psychology Tests and the Conference. These tests are conducted over 4 days. The details of these tests are given on the website www.joinindianarmy.nic.in.

The personality of a candidate is assessed by three different assessors viz. The Interviewing Officer (IO), Group Testing Officer (GTO) and the Psychologist. There are no separate **weightage** for each test. The marks are allotted by assessors only after taking into consideration the performance of the candidate holistically in all the test. In addition, marks for Conference are also allotted based on the initial performance of the Candidate in the three techniques and decision of the Board. All these have equal weightage.

The various tests of IO, GTO and Psych are designed to bring out the presence/absence of Officer Like Qualities and their trainability in a candidate. Accordingly candidates are Recommended or Not Recommended at the SSB.

APPENDIX-II

GUIDELINES WITH REGARD TO PHYSICAL STANDARDS FOR CANDIDATES FOR COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION

1. Please visit www.joinindianarmy.nic.in for Medical Standards and Procedure of Medical Examination of Officers' Entry into Army as applicable.
2. Please visit www.joinindiannavy.gov.in for Medical Standards and Procedure of Medical Examination of Officers' Entry into Navy as applicable.
3. Please visit www.careerindianairforce.cdac.in for Medical Standards and Procedure of Medical Examination of Officers' Entry into Air Force as applicable.

Annexure-I

MEDICAL STANDARDS AND PROCEDURE OF MEDICAL EXAMINATION FOR OFFICER ENTRIES INTO ARMY

1. **Aim:**
Aim of this literature is to familiarize the general population on medical standards for enrolment of candidates into Army through various types of entries. This literature also serves the purpose of placing information in public domain as per the policy of Information Commission under RTI Act - 2005
2. **Introduction:**
 - (a) The primary responsibility of the Armed Forces is defending territorial integrity of the nation. For this purpose Armed Forces should always be prepared for war. Armed Forces personnel undergo rigorous training in preparation for war. Armed Forces also assist civil authorities if required whenever the need arises like in the case of disasters. To carry out such tasks Armed Forces requires candidates with robust mental and physical health. Such candidates should also be capable of withstanding rigorous stress and strain of service conditions to perform their military duties in adverse terrain and uncongenial climate incl sea and air, in remote areas, in austere conditions with no medical facilities. A medically unfit individual due to disease/disability can not only drain precious resources but can also jeopardize lives of other members of the team during operations. Therefore only medically fit candidates are selected who emerge fit to be trained for war.
 - (b) The Armed Forces Medical Services are responsible for ensuring selection of '**Medically Fit**' individuals into the Armed Forces.
 - (c) All Armed Forces personnel regardless of occupational specialty, unit assignment, age or gender should have a basic level of general '**Medical fitness**' when inducted into service. This

basic level of fitness can then be used as a benchmark to train personnel for further physically demanding occupational specialties or unit assignments. This will enhance deployable combat readiness.

(d) Medical examinations are carried out meticulously by Armed Forces Medical Services Medical Officers. These Medical Officers are well oriented to specific working conditions of Armed Forces after undergoing basic military training. Medical examinations are finalized by the Board of Medical Officers. **The decision of the Medical Board is final. In case of any doubt about any disease/disability/injury/genetic disorder etc noticed during enrolment/commissioning, the benefit of doubt will be given to State.**

Medical Standards.

3. Medical standards described in the following paragraphs are general guidelines. They are not exhaustive in view of the vast knowledge of disease. These standards are subject to change with advancement in the scientific knowledge and change in working conditions of Armed Forces due to introduction of new eqpt/trades. Such changes will be promulgated from time to time by policy letters by competent authorities. Medical Officers, Spl Medical Officers and Medical Boards will take appropriate decisions based on following guidelines and principles.

4. **To be deemed 'Medically fit', a candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/syndrome/disability likely to interfere with the efficient performance of military duties in any terrain, climate, season incl sea and air, in remote areas, in austere conditions with no medical aid. Candidate also should be free of medical conditions which require frequent visit to medical facilities and use of any aid / drugs.**

(a) It will, however, be ensured that candidate is in good health. There should be no evidence of weak constitution, imperfect development of any system, any congenital deformities/diseases/syndrome or malformation.

(b) No swelling/s including tumours/cyst/swollen lymph node/s anywhere on the body. No sinus/es or fistula/e anywhere on the body.

(c) No hyper or hypo pigmentation or any other disease/syndrome/disability of the skin.

(d) No hernia anywhere on the body.

(e) No scars which can impair the functioning and cause significant disfigurement.

(f) No arterio-venous malformation anywhere in/on the body.

(g) No malformation of the head and face including asymmetry, deformity from fracture or depression of the bones of the skull; or scars indicating old operative interference and malformation like sinuses and fistulae etc.

(h) No impairment of vision including colour perception and field of vision.

(j) No hearing impairment, deformities/disabilities in ears vestibule-cochlear system.

(k) No impediment of speech due to any aetiology.

(l) No disease/disability/ congenital anomaly/syndrome of the bones or cartilages of the nose, or palate, nasal polyps or disease of the naso-Pharynx, uvula and accessory sinuses. There should be no nasal deformity and no features of chronic tonsillitis.

(m) No disease /syndrome/disability of the throat, palate tonsils or gums or any disease or injury affecting the normal function of either mandibular joint.

(n) No disease /syndrome/disability of the heart and blood vessels incl congenital, genetic, organic incl hypertension, and conduction disorders.

- (o) No evidence of pulmonary tuberculosis or previous history of this disease or any other disease /syndrome/disability chronic disease of the lungs and chest including allergies / immunological conditions, connective tissue disorders, musculoskeletal deformities of chest.
 - (p) No disease of the digestive system including any abnormality of the liver, pancreas incl endocrinal, congenital, hereditary or genetic diseases /syndromes and disabilities.
 - (q) No diseases/syndrome/disability of any endocrinal system, reticuloendothelial system.
 - (r) No diseases/syndrome/disability of genito-urinary system including malformations, atrophy/hypertrophy of any organ or gland.
 - (s) No active, latent or congenital venereal disease.
 - (t) No history or evidence of mental disease, epilepsy, incontinence of urine or enuresis.
 - (u) No disease/deformity/syndrome of musculo-skeletal system and joints incl skull, spine and limbs.
 - (v) There is no congenital or hereditary disease/ syndrome/disability.
5. Psychological examinations will be carried out during SSB selection procedure. However, any abnormal traits noticed during medical examination will be a cause for rejection.
6. Based on the above mentioned guidelines usual medical conditions which lead to rejection are:-
- (a) Musculo-skeletal deformities of spine, chest and pelvis, limbs e.g. scoliosis, torticollis, kyphosis, deformities of vertebrae, ribs, sternum, clavicle, other bones of skeleton, mal-united fractures, deformed limbs, fingers, toes and congenital deformities of spine.
 - (b) Deformities of Limbs: Deformed limbs, toes and fingers, deformed joints like cubitus valgus, cubitus varus, knock knees, bow legs, hyper mobile joints, amputated toes or fingers and shortened limbs.
 - (c) Vision and eye: Myopia, hypermetropia, astigmatism, lesions of cornea, lens, retina, squint and ptosis.
 - (d) Hearing, ears, nose and throat: Sub standard hearing capability, lesions of pinna, tympanic membranes, middle ear, deviated nasal septum, and congenital abnormalities of lips, palate, peri-auricular sinuses and lymphadenitis/adenopathy of neck. Hearing capacity should be 610 cm for Conversational Voice and Forced Whispering for each ear.
 - (e) Dental conditions:-
 - (i) Incipient pathological conditions of the jaws, which are known to be progressive or recurrent.
 - (ii) Significant jaw discrepancies between upper and lower jaw which may hamper efficient mastication and/or speech will be a cause for rejection.
 - (iii) Symptomatic Temporo-Mandibular Joint clicking and tenderness. A mouth opening of less than 30 mm measured at the incisal edges, Dislocation of the TMJ on wide opening.
 - (iv) All potentially cancerous conditions.
 - (v) Clinical diagnosis for sub mucous fibrosis with or without restriction of mouth opening.
 - (vi) Poor oral health status in the form of gross visible calculus, periodontal pockets and/or bleeding from gums.
 - (vii) Loose teeth: More than two mobile teeth will render the candidate unfit.

(viii) Cosmetic or post-traumatic maxillofacial surgery/trauma will be UNFIT for at least 24 weeks from the date of surgery/injury whichever is later.

(ix) If malocclusion of teeth is hampering efficient mastication, maintenance of oral hygiene or general nutrition or performance of duties efficiently.

(f) Chest: Tuberculosis, or evidence of tuberculosis, lesions of lungs, heart , musculo skeletal lesions of chest wall.

(g) Abdomen and genitor-urinary system: Hernia, un-descended testis, varicocele, organomegaly, solitary kidney, horseshoe kidney & cysts in the kidney/liver, Gall bladder stones, renal and ureteric stones, lesions/deformities of urogenital organs, piles, sinuses and lymphadenitis/pathy.

(h) Nervous system: Tremors, speech impediment and imbalance.

(j) Skin: Vitiligo, haemangiomas, warts, corns, dermatitis, skin infections growths and hyperhydrosis.

7. **Height and Weight:** Height requirement varies as per the stream of entry. Weight should be proportionate to height as per the chart given below:-

Age (yrs)	Minimum weight for all ages	Age: 17 to 20 yrs	Age: 20+01 day - 30 yrs	Age: 30 + 01 day - 40 yrs	Age: Above 40 yrs
Height (cm)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)
140	35.3	43.1	45.1	47.0	49.0
141	35.8	43.7	45.7	47.7	49.7
142	36.3	44.4	46.4	48.4	50.4
143	36.8	45.0	47.0	49.1	51.1
144	37.3	45.6	47.7	49.8	51.8
145	37.8	46.3	48.4	50.5	52.6
146	38.4	46.9	49.0	51.2	53.3
147	38.9	47.5	49.7	51.9	54.0
148	39.4	48.2	50.4	52.6	54.8
149	40.0	48.8	51.1	53.3	55.5
150	40.5	49.5	51.8	54.0	56.3
151	41.0	50.2	52.4	54.7	57.0
152	41.6	50.8	53.1	55.4	57.8
153	42.1	51.5	53.8	56.2	58.5
154	42.7	52.2	54.5	56.9	59.3
155	43.2	52.9	55.3	57.7	60.1
156	43.8	53.5	56.0	58.4	60.8
157	44.4	54.2	56.7	59.2	61.6
158	44.9	54.9	57.4	59.9	62.4

Age (yrs)	Minimum weight for all ages	Age: 17 to 20 yrs	Age: 20+01 day - 30 yrs	Age: 30 + 01 day - 40 yrs	Age: Above 40 yrs
Height (cm)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)
159	45.5	55.6	58.1	60.7	63.2
160	46.1	56.3	58.9	61.4	64.0
161	46.7	57.0	59.6	62.2	64.8
162	47.2	57.7	60.4	63.0	65.6
163	47.8	58.5	61.1	63.8	66.4
164	48.4	59.2	61.9	64.6	67.2
165	49.0	59.9	62.6	65.3	68.1
166	49.6	60.6	63.4	66.1	68.9
167	50.2	61.4	64.1	66.9	69.7
168	50.8	62.1	64.9	67.7	70.6
169	51.4	62.8	65.7	68.5	71.4
170	52.0	63.6	66.5	69.4	72.3
171	52.6	64.3	67.3	70.2	73.1
172	53.3	65.1	68.0	71.0	74.0
173	53.9	65.8	68.8	71.8	74.8
174	54.5	66.6	69.6	72.7	75.7
175	55.1	67.4	70.4	73.5	76.6
176	55.8	68.1	71.2	74.3	77.4
177	56.4	68.9	72.1	75.2	78.3
178	57.0	69.7	72.9	76.0	79.2
179	57.7	70.5	73.7	76.9	80.1
180	58.3	71.3	74.5	77.8	81.0
181	59.0	72.1	75.4	78.6	81.9
182	59.6	72.9	76.2	79.5	82.8
183	60.3	73.7	77.0	80.4	83.7
184	60.9	74.5	77.9	81.3	84.6
185	61.6	75.3	78.7	82.1	85.6
186	62.3	76.1	79.6	83.0	86.5
187	62.9	76.9	80.4	83.9	87.4
188	63.6	77.8	81.3	84.8	88.4
189	64.3	78.6	82.2	85.7	89.3
190	65.0	79.4	83.0	86.6	90.3
191	65.7	80.3	83.9	87.6	91.2

Age (yrs)	Minimum weight for all ages	Age: 17 to 20 yrs	Age: 20+01 day - 30 yrs	Age: 30 + 01 day - 40 yrs	Age: Above 40 yrs
Height (cm)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)
192	66.4	81.1	84.8	88.5	92.2
193	67.0	81.9	85.7	89.4	93.1
194	67.7	82.8	86.6	90.3	94.1
195	68.4	83.7	87.5	91.3	95.1
196	69.1	84.5	88.4	92.2	96.0
197	69.9	85.4	89.3	93.1	97.0
198	70.6	86.2	90.2	94.1	98.0
199	71.3	87.1	91.1	95.0	99.0
200	72.0	88.0	92.0	96.0	100.0
201	72.7	88.9	92.9	97.0	101.0
202	73.4	89.8	93.8	97.9	102.0
203	74.2	90.7	94.8	98.9	103.0
204	74.9	91.6	95.7	99.9	104.0
205	75.6	92.5	96.7	100.9	105.1
206	76.4	93.4	97.6	101.8	106.1
207	77.1	94.3	98.6	102.8	107.1
208	77.9	95.2	99.5	103.8	108.2
209	78.6	96.1	100.5	104.8	109.2
210	79.4	97.0	101.4	105.8	110.3

(a) Weight for height charts given above is for all categories of personnel. This chart is prepared based on the BMI. The chart specifies the minimum acceptable weight that candidates of a particular height must have. Weights below the minimum specified will not be acceptable in any case. The maximum acceptable weight of height has been specified in age wise categories. Weights higher than the acceptable limit will be acceptable only in the case of candidates with documented evidence of body building, wrestling, and boxing at the National level. In such cases the following criteria will have to be met.

- (i) Body Mass Index should be below 25.
- (ii) Waist Hip ratio should be below 0.9 for males and 0.8 for females.
- (iii) Waist Circumference should be less than 90 cm for males and 80 cm for females.
- (vi) All biochemical metabolic parameters should be within normal limits.

Note: The height and weight for candidates below 17 yrs will be followed as per guidelines by 'Indian Academy of Paediatrics growth charts for height, weight and BMI for 05 yrs to 16 yrs old children'.

8. Following investigations will be carried out for all officer entries and for pre-commission training academies. However examining medical officer/ medical board may ask for any other investigation deemed fit.

- (a) Complete haemogram
- (b) Urine RE
- (c) Chest X-ray
- (d) USG abdomen and Pelvis.

9. Certain standards vary depending on age and type entry viz stds for vision as follows:-

Parameter	Standards : 10+2 entries, NDA(Army), TES and equivalent	Graduate & equivalent entries: CDSE, IMA, OTA, UES, NCC, TGC & equivalent	Post graduate & equivalent entries: JAG, AEC, APS, RVC, TA, AMC, ADC, SL & equivalent
Uncorrected vision(max allowed)	6/36 & 6/36	6/60 & 6/60	3/60 & 3/60
BCVA	Rt 6/6 & Lt 6/6	Rt 6/6 & Lt 6/6	Rt 6/6 & Lt 6/6
Myopia	≤ -2.5 D Sph (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)	≤ -3.50 D Sph (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)	≤ -5.50 D Sph (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)
Hypermetropia	$\leq +2.5$ D Sph, (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)	$\leq +3.50$ D Sph (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)	$\leq +3.50$ D Sph (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)
Lasik/equivalent surgery	Not permitted	Permitted *	Permitted*
Colour perception	CP-II	CP-II	CP-II

***LASIK or Equivalent kerato-refractive procedure**

(a) Any candidate who has undergone any kerato-refractive procedure will have a certificate/operative notes from the medical centre where he/she has undergone the procedure, specifying the date and type of surgery.

Note: Absence of such a certificate will necessitate the Ophthalmologist to make a decision to reject the candidate with specific endorsement of “Unfit due to undocumented Visual Acuity corrective procedure”.

(b) In order to be made FIT, the following criteria will have to be met:

- (i) Age more than 20 yrs at the time of surgery
- (ii) Minimum 12 months post LASIK
- (iii) Central corneal thickness equal to or more than 450 μ
- (iv) Axial length by IOL Master equal to or less than 26 mm

- (v) Residual refraction of less than or equal to ± 1.0 D incl cylinder, (provided acceptable in the category applied for).
- (vi) Normal healthy retina.
- (vii) Corneal topography and ectasia markers can also be included as addl criteria.

Candidates who have undergone radial keratotomy are permanently unfit

10. Form to be used for med board proceedings is AFMSF-2A.
11. Procedure of Medical Examination Board: Medical Examination Board for selection for officers and pre-commissioning training academies are convened at designated Armed Forces Medical Services Hospitals near Service Selection Boards (SSB). These Medical Boards are termed as 'Special Medical Board' (SMB). Candidates who clear SSB interview are referred to Armed Forces Medical Services Hospital with identification documents. Staff Surgeon of Hospital will identify the candidate, guide the candidate to fill the relevant portions of the AFMSF-2, organize investigations and examination by Medical, Surgical, Eye, ENT, Dental specialists. Female candidates are examined by Gynaecology Specialist also. After examination by Specialists, the candidate is brought before Medical Board. Medical Board once satisfied with findings of Specialists will declare fitness of candidate. If any candidate is declared 'Unfit' by SMB, such candidates can request for 'Appeal Medical Board' (AMB). Detailed procedure for AMB will be provided by President SMB.
12. Miscellaneous aspects:
 - (a) Clinical methods of examinations are laid down by O/O DGAFMS.
 - (b) Female candidates will be examined by female medical officers and specialists. In case of non availability they will be examined by Medical Officer in the presence of female attendant.
 - (c) Fitness following surgery: Candidates may be declared fit after surgery. However, there should not be any complication; scar should be healthy, well healed and attained required tensile strength. The candidate shall be considered fit after 01 year of open/laparoscopic surgeries for hernia and twelve weeks of laparoscopic abdominal surgery for cholecystectomy. For any other surgery, fitness shall be considered only after 12 weeks of the laparoscopic surgery and 12 months after an open surgery. Candidate shall be unfit for any surgeries for injuries, ligament tear, and meniscus tear of any joint, irrespective of duration of surgery.

Annexure-II

MEDICAL STANDARDS AND PROCEDURE OF MEDICAL EXAMINATION
FOR OFFICER ENTRIES INTO NAVY

1. **Introduction:**

- (a) The primary responsibility of the Armed Forces is defending territorial integrity of the nation. For this purpose Armed Forces should always be prepared for war. Armed Forces personnel undergo rigorous training in preparation for war. Armed Forces also assist civil authorities if required whenever the need arises like in the case of disasters. To carry out such tasks Armed Forces requires candidates with robust mental and physical health. Such candidates should also be capable of withstanding rigorous stress and strain of service conditions to perform their military duties in adverse terrain and uncongenial climate including sea and air, in remote areas, in austere conditions with no medical facilities. A medically unfit individual due to disease/disability can not only drain precious resources but can also jeopardize lives of other members of the team during operations. Therefore only medically fit candidates are selected who emerge fit to be trained for war.
- (b) The Armed Forces Medical Services are responsible for ensuring selection of '**Medically Fit**' individuals into the Armed Forces.
- (c) All Armed Forces personnel regardless of occupational specialty, unit assignment, age or gender should have a basic level of general '**Medical fitness**' when inducted into service. This basic level of fitness can then be used as a

benchmark to train personnel for further physically demanding occupational specialties or unit assignments. This will enhance deployable combat readiness.

(d) Medical examinations are carried out meticulously by Armed Forces Medical Services Medical Officers. These Medical Officers are well oriented to specific working conditions of Armed Forces after undergoing basic military training. Medical examinations are finalized by the Board of Medical Officers. **The decision of the Medical Board is final. In case of any doubt about any disease/disability/injury/genetic disorder etc noticed during enrolment/commissioning, the benefit of doubt will be given to State.**

Medical Standards.

2. Medical standards described in the following paragraphs are general guidelines. They are not exhaustive in view of the vast knowledge of disease. These standards are subject to change with advancement in the scientific knowledge and change in working conditions of Armed Forces due to introduction of new eqpt/trades. Such changes will be promulgated from time to time by policy letters by competent authorities. Medical Officers, Spl Medical Officers and Medical Boards will take appropriate decisions based on following guidelines and principles.

3. **To be deemed ‘Medically fit’, a candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/syndrome/disability likely to interfere with the efficient performance of military duties in any terrain, climate, season including sea and air, in remote areas, in austere conditions with no medical aid. Candidate also should be free of medical conditions which require frequent visit to medical facilities and use of any aid/drugs.**

- (a) It will, however, be ensured that candidate is in good health. There should be no evidence of weak constitution, imperfect development of any system, any congenital deformities/diseases/syndrome or malformation.
- (b) No swelling/s including tumours/cyst/swollen lymph node/s anywhere on the body. No sinus/es or fistula/e anywhere on the body.
- (c) No hyper or hypo pigmentation or any other disease/syndrome/disability of the skin.
- (d) No hernia anywhere on the body.
- (e) No scars which can impair the functioning and cause significant disfigurement.
- (f) No arteriovenous malformation anywhere in/on the body.
- (g) No malformation of the head and face including asymmetry, deformity from fracture or depression of the bones of the skull; or scars indicating old operative interference and malformation like sinuses and fistulae etc.
- (h) No impairment of vision including colour perception and field of vision.
- (j) No hearing impairment, deformities/disabilities in ears vestibule-cochlear system.
- (k) No impediment of speech due to any aetiology.
- (l) No disease/disability/congenital anomaly/syndrome of the bones or cartilages of the nose, or palate, nasal polyps or disease of the naso-Pharynx, uvula and accessory sinuses. There should be no nasal deformity and no features of chronic tonsillitis.

- (m) No disease/syndrome/disability of the throat, palate tonsils or gums or any disease or injury affecting the normal function of either mandibular joint.
 - (n) No disease/syndrome/disability of the heart and blood vessels incl congenital, genetic, organic incl hypertension, and conduction disorders.
 - (o) No evidence of pulmonary tuberculosis or previous history of this disease or any other disease/syndrome/disability chronic disease of the lungs and chest including allergies/immunological conditions, connective tissue disorders, musculoskeletal deformities of chest.
 - (p) No disease of the digestive system including any abnormality of the liver, pancreas incl endocrinal, congenital, hereditary or genetic diseases/syndromes and disabilities.
 - (q) No diseases/syndrome/disability of any endocrinal system, reticuloendothelial system.
 - (r) No diseases/syndrome/disability of genitourinary system including malformations, atrophy/ hypertrophy of any organ or gland.
 - (s) No active, latent or congenital venereal disease.
 - (t) No history or evidence of mental disease, epilepsy, incontinence of urine or enuresis.
 - (u) No disease/deformity/syndrome of musculo-skeletal system and joints incl skull, spine and limbs.
 - (v) There is no congenital or hereditary disease/syndrome/disability.
4. Psychological examinations will be carried out during SSB selection procedure. However, any abnormal traits noticed during medical examination will be a cause for rejection.
5. Based on the above mentioned guidelines usual medical conditions which lead to rejection are:-
- (a) Musculo-skeletal deformities of spine, chest and pelvis, limbs e.g. scoliosis, torticollis, kyphosis, deformities of vertebrae, ribs, sternum, clavicle, other bones of skeleton, mal-united fractures, deformed limbs, fingers, toes and congenital deformities of spine.
 - (b) Deformities of Limbs: Deformed limbs, toes and fingers, deformed joints like cubitus valgus, cubitus varus, knock knees, bow legs, hyper mobile joints, amputated toes or fingers and shortened limbs.
 - (c) Vision and eye: Myopia, hypermetropia, astigmatism, lesions of cornea, lens, retina, squint and ptosis.
 - (d) Hearing, ears, nose and throat: Sub standard hearing capability, lesions of pinna, tympanic membranes, middle ear, deviated nasal septum, and congenital abnormalities of lips, palate, peri-auricular sinuses and lymphadenitis/adenopathy of neck. Hearing capacity should be 610 cm for Conversational Voice and Forced Whispering for each ear.
 - (e) Dental conditions:-
 - (i) Incipient pathological conditions of the jaws, which are known to be progressive or recurrent.
 - (ii) Significant jaw discrepancies between upper and lower jaw which may hamper efficient mastication and/or speech will be a cause for rejection.
 - (iii) Symptomatic Temporo-Mandibular Joint clicking and tenderness. A mouth opening of less than 30 mm measured at the incisal edges, Dislocation of the TMJ on wide opening.

- (iv) All potentially cancerous conditions.
- (v) Clinical diagnosis for sub mucous fibrosis with or without restriction of mouth opening.
- (vi) Poor oral health status in the form of gross visible calculus, periodontal pockets and/or bleeding from gums.
- (vii) Loose teeth: More than two mobile teeth will render the candidate unfit.
- (viii) Cosmetic or post-traumatic maxillofacial surgery/trauma will be UNFIT for at least 24 weeks from the date of surgery/injury whichever is later.
- (ix) If malocclusion of teeth is hampering efficient mastication, maintenance of oral hygiene or general nutrition or performance of duties efficiently.
- (f) Chest: Tuberculosis, or evidence of tuberculosis, lesions of lungs, heart, musculo skeletal lesions of chest wall.
- (g) Abdomen and genitor-urinary system: Hernia, un-descended testis, varicocele, organomegaly, solitary kidney, horseshoe kidney & cysts in the kidney/liver, Gall bladder stones, renal and ureteric stones, lesions/deformities of urogenital organs, piles, sinuses and lymphadenitis/pathy.
- (h) Nervous system: Tremors, speech impediment and imbalance.
- (j) Skin: Vitiligo, haemangiomas, warts, corns, dermatitis, skin infections growths and hyperhydrosis.

6. Height and Weight standards are given below. Interpolation for weights against height not mentioned may be done.

Height and Weight Standards (Males)

Height in Centimetres	Weight in Kgs.			
(Without shoes)	18 Years	20 years	22 years	24 Years
152	45	46	47	48
155	46	47	49	50
157	47	49	50	51
160	48	50	51	52
162	50	52	53	54
165	52	53	55	56
168	53	55	57	58
170	55	57	58	59
173	57	59	60	61
175	59	61	62	62
178	61	62	63	64
180	63	64	65	66
183	65	67	67	68
185	67	69	70	71
188	70	71	72	74

190	72	73	74	76
193	74	76	77	78
95	77	78	79	81

A $\pm$ 10% (for Navy) departure from the average weight given in the Table above is to be considered within normal limit. However, in individuals with heavy bones and broad built as well as individuals with thin built but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

7. Following investigations will be carried out for all officer entries and for pre-commission training academies. However examining medical officer/medical board may ask for any other investigation deemed fit.

- (a) Complete haemogram
- (b) Urine RE
- (c) Chest X-ray
- (d) USG abdomen and Pelvis.

8. Vision Standards:-

Uncorrected without glasses	6/12, 6/12
Corrected with glasses	6/6, 6/6
Limits of Myopia	1.5D Sph
Limits of Hypermetropia	:+1.5D Cyl
Astigmatism (within limits of Myopia and hypermetropia)	+ 0.75D Sph/Cyl
Binocular Vision	III
Limits of Colour Perception	I
LASIK/equivalent surgery	Permitted
Radial Keratotomy	Not permitted

Kerato Refractive Surgery:- Candidates who have undergone any Refractory Surgery (PRK/LASIK/SMILE) can be considered fit in the entry subject to the following conditions:-

- (a) Surgery should not have been carried out before 20 years of age.
- (b) Uncomplicated surgery at least 12 months before examination (certificate mentioning the type of refractive surgery, date of surgery and pre-operative refractive error from concerned eye centre is to be produced by the candidate at the time of recruitment medical examination).
- (c) Axial length less than or equal to 26 mm by IOL Master or A Scan.
- (d) Residual corneal thickness measured by Pachymeter should not be less than 450 microns.
- (e) Residual refraction less than or equal to $\pm$ 1.0 D Sph or Cyl, provided within the permissible limit for the category applied for.
- (f) Pre-operative refractive error not more than $\pm$ 6.0D
- (g) Normal retinal examination.
- (h) However, candidates who have undergone Kerato –Refractory Surgery (PRK, LASIK,

SMILE) will not be inducted in special cadres such as submarine, diving and MARCO.

(i) Candidates who have undergone Radial Keratotomy are permanently unfit.

Note: In your own interest you are advised to undergo a preliminary medical check up for wax in ears, refractory error of eyes, fungal infection of skin etc. before reporting for the SSB

9. Form to be used for med board proceedings is AFMSF-2A.

10. Procedure of Medical Examination Board: Medical Examination Board for selection for officers and pre-commissioning training academies are convened at designated Armed Forces Medical Services Hospitals near Service Selection Boards (SSB). These Medical Boards are termed as 'Special Medical Board' (SMB). Candidates who clear SSB interview are referred to Armed Forces Medical Services Hospital with identification documents. Staff Surgeon of Hospital will identify the candidate, guide the candidate to fill the relevant portions of the AFMSF-2, organize investigations and examination by Medical, Surgical, Eye, ENT, Dental specialists. Female candidates are examined by Gynaecology Specialist also. After examination by Specialists, the candidate is brought before Medical Board. Medical Board once satisfied with findings of Specialists will declare fitness of candidate. If any candidate is declared 'Unfit' by SMB, such candidates can request for 'Appeal Medical Board' (AMB). Detailed procedure for AMB will be provided by President SMB.

11. Miscellaneous aspects:

(a) Clinical methods of examinations are laid down by O/O DGAFMS.

(b) Female candidates will be examined by female medical officers and specialists. In case of non availability they will be examined by Medical Officer in the presence of female attendant.

(c) Fitness following surgery: Candidates may be declared fit after surgery. However, there should not be any complication; scar should be healthy, well healed and attained required tensile strength. The candidate shall be considered fit after 01 year of open/laparoscopic surgeries for hernia and twelve weeks of laparoscopic abdominal surgery for cholecystectomy. For any other surgery, fitness shall be considered only after 12 weeks of the laparoscopic surgery and 12 months after an open surgery. Candidate shall be unfit for any surgeries for injuries, ligament tear, and meniscus tear of any joint, irrespective of duration of surgery.

Note-II: Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/back (dorsal) side of hand. Permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred from further selection. Tribes with tattoo marks on the face or body as per their existing custom and traditions will be permitted on a case to case basis. Commandant Selection Centre will be competent authority for clearing such cases.

12. A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the Academy who are declared fit by the Medical Board. However, the candidates declared unfit will be intimated by the President of the Medical Board and procedure for request for an Appeal Medical Board (AMB) will also be intimated to the candidate.

13. Candidates who are unfit may apply for Appeal Medical Board (AMB) to be completed within 42 days of SMB and may request for Review Medical Board (RMB) within one day of completion of Appeal Medical Board. Candidates declared unfit by AMB will be intimated by the President AMB about procedure of challenging the findings of AMB. The candidates will also be intimated that holding Review Medical Board (RMB) will be granted at the discretion of DGAFMS based on the merit of the case and that RMB is not a matter of right. The candidate should address the request for RMB if he/she so desires to DMPR/IHQ-MoD(Navy) and a copy of the same is handed over to the President of AMB. The O/o the DGAFMS will inform the date and place (Delhi and Pune only) where the candidate will appear for a RMB. The candidate must be physically fit according to the prescribed physical standards which are summarized below:

- (a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of duties.
- (b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or underweight. The candidate should not be overweight or obese.
- (c) The minimum acceptable height for male candidates is 157 cms. For Gorkhas and individuals belonging to hills of North-Eastern region of India, Garhwali and Kumaon, the Minimum acceptable height will be 5 cms less. In case of candidates from Lakshadweep, the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms. However, minimum height for all entries is 148 cm after all types of waivers/dispensations. Otherwise the candidate shall be considered a dwarf.
- (d) Chest should be well developed. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest. Routine X-ray Spine is not carried out for Navy Candidates.
- (e) There should be no mal-development or impairment of function of the bones or joint.
- (f) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.
- (g) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat. There is no impediment of speech.
- (h) There should be no signs of functional or organic disease of the heart and blood vessels, Blood pressure should be normal.
- (j) There should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.
- (k) Un-operated hernias will make a candidate unfit. In case of Hernia which has been operated, a minimum of six months must have passed prior to final medical examination.
- (l) There should be no hydrocele, varicocele or piles.
- (m) Urine examination will be done and any abnormality if detected will be a cause for rejection.
- (p) Any disease of skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.
- (q) USG abdomen examination will be carried out and any congenital structural anomaly or disease of the abdominal organs will be a cause for rejection.
- (r) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoea.

14 All candidates who are selected will be undergoing tough military training and will be deployed to perform military duties in any terrain, weather and austere conditions. In such conditions ill health of any member of the team can jeopardize the military operations or endanger life of the entire team, therefore medical examinations are carried to select candidates who are “Medically fit to perform military duties in any terrain, weather and austere conditions” candidate should be:-

- (a) Medically capable of undergoing training and withstand physical and mental demands of performing Military duties of Armed Forces.
- (b) Medically fit to adapt to the military environment without the necessity of geographical area limitations and capable of performing military tasks without access to specialized medical care.
- (c) Free of medical conditions or physical defects that would entail excessive loss of time from duty for treatment and hospitalization.

(d) Free of contagious diseases that might endanger the health of other personnel.

15. All candidates will be examined by Board of Medical Officers who have undergone basic military training and are well oriented to working conditions of military deployment and working conditions. Medical Boards are held at designated Military Hospitals based on the principles described above and latest knowledge in the medical and military sciences. The entire body is examined thoroughly to the extent feasible to screen out common congenital deformities and other easily detectable disabilities. The medical examination is not intended to be diagnostic in nature, hence only limited investigations are carried out for the purpose of screening wherever indicated. The standards for medical fitness indicated herein are only an outline, and are intended only for general guidance of candidates. The Board of Medical Officers refers to the more comprehensive Medical Standards for recruitment/Commission into the Armed forces as Applicable.

16. The following investigations are carried out mandatorily during Special Medical Board, however, Medical Officer/Medical Board examining a candidate may ask for any other investigation as required or indicated :-

- (i) Complete Haemogram
- (ii) Urine RE/ME
- (iii) X Ray chest PA view
- (iv) USG abdomen & pelvis

17. The following are usual causes for rejection, the list is not exhaustive and Medical Board is the final authority on fitness.

- (a) Sinus, fistulae and hernia, cyst, hyper/hypo pigmented patches, swelling, naevus, vascular malformations scars anywhere on the body.
- (b) Head and neck: Musculo-skeletal deformities which can interfere in using safety gear, cervical rib.
- (c) Chest. Musculoskeletal deformities viz pectus excavatum, pigeon chest, rickety rosary, pleural effusion, parenchymal lesions of lungs, active or residual lesions of tuberculosis.
- (d) Abdomen and reproductive system: Hernia, organomegaly, vascular deformities. Renal deformities, gall stones, renal tones etc. Deformities of reproductive system.
- (e) Upper limbs, lower limbs and spine: Hyper flexible or restricted movements of joints, Cubitus valgus, Cubitus varus, genu recurvatum ,deformities of hands and feet, kyphosis, scoliosis, congenital deformities, like spina bifida etc.
- (f) Skin: Vitiligo, scars, vascular malformations chronic skin diseases.
- (g) The following ocular diseases will make a candidate unfit :
 - (aa) Ptosis.
 - (ab) Corneal Opacity.
 - (ac) Pterygium.
 - (ad) Lenticularocity.
 - (ae) Uveitis.
 - (af) Nystagmus.
 - (ag) Entropion/Ectropion
 - (ah) Squint.
 - (ai) Night blindness.
 - (aj) Retinal lesions.
 - (ak) Naso-Lacrimal occlusion.

- (j) Ears and Hearing standards:
 - (i) Causes for rejection:-
 - (aa) Auricle and Mastoid Region. The pinna will be assessed for gross deformity which will hamper wearing of uniform/personal kit/protective equipment, or which adversely impacts military bearing.
 - (ab) External Auditory Meatus. Presence of wax, foreign body, exostosis, growth, otomycosis or discharge.
 - (ac) Tympanic Membrane. Perforations, scars, tympanosclerotic plaques or retraction of membrane. And immobile or partially mobile tympanic membrane.
 - (ad) Hearing Stds. Candidate should be able to hear forced whispering and conversational voice from 610 cms in each ear separately standing with his back to examiner.

18. The following conditions detected on X-ray examination will be disqualifying for entry to Navy:

- (a) Granulomatous disease of spine.
- (b) Arthritis – Rheumatoid arthritis & allied disorders and ankylosing spondylitis
- (c) Scoliosis more than 10° degree as measured by Cobb's Method.
- (d) More than mild Kyphosis/Lordosis.
- (e) Spondylolisthesis/Spondylosis/Spondylolysis.
- (f) Herniated nucleus pulposes.
- (g) Compression fracture of Vertebra.
- (h) Sacralisation Disease.
- (i) Cervical ribs with demonstrable neurological or Circulatory deficit.
- (j) Presence of Schmorl's node at more than one level.
- (k) Atlanto-occipital and atlanto-axial anomalies.
- (l) Incomplete Sacralisation Unilateral or Bilateral.
- (m) Spinabifida other than SV 1 and LV 5.
- (n) Any other abnormality, if so considered by specialist.

19. Detection of any disability in the course of a special test carried out prescribed for one service, may render the candidate unfit for any other service(s), if so considered as disqualifying by Medical Board.

20. Physical Conditioning: Prospective candidates are advised to keep themselves in good physical condition by following the under mentioned routine :-

- (a) Running : 2 to 4 Km. in 15 minutes
- (b) Skipping
- (c) Push ups & Sit-ups : Minimum 20 each
- (d) Chin ups : Minimum 08
- (e) Rope Climbing : 3 to 4 metres.

Annexure-III**MEDICAL STANDARDS AND PROCEDURE OF MEDICAL EXAMINATION**
FOR OFFICER ENTRIES INTO AIR FORCE**General Instructions**

1. In this section the assessment of candidates for commissioning through CDSE into flying branch in the IAF is considered.
2. The basic requirements of medical fitness are essentially the same for all branches, except for aircrew in whom the parameters for visual acuity, anthropometry and certain other physical standards are more stringent. A candidate will not be assessed physically fit unless the examination as a whole shows that he is physically and mentally capable of withstanding severe physical and mental strain for prolonged periods in any climate in any part of the world.
3. The medical standards spelt out pertain to initial entry medical standards. Continuation of medical fitness during training will be assessed during the periodic medical examinations held at AFA prior to commissioning. If, however, any disease or disability is detected during the training phase, which will have a bearing on the flight cadets subsequent physical fitness and medical category; such cases will be referred expeditiously to IAM (for aircrew)/specialists of MH (for non-aircrew) under intimation to the office of DGMS (Air)-Med-7. At IAM, if the disease or disability is considered of a permanent nature, an early decision for the cadet to continue in the service/ branch/ stream is to be taken. Specific waivers of DGMS (Air), if asked for, must carry full justification in accordance with relevant Para of IAP 4303 4th edition (revised).

General Medical and Surgical Assessment

4. Every candidate to be fit for the Air Force must conform to the minimum standards laid down in the succeeding paragraphs. The general build should be well developed and proportionate.
5. The residual effects of fractures/old injuries are to be assessed for any functional limitation. If there is no effect on function, the candidate can be assessed fit. Cases of old fractures of spine are unfit. Any residual deformity of spine or compression of a vertebra will be cause for rejection. Injuries involving the trunks of the larger nerves, resulting in loss of function, or scarring, which cause pain or cramps, indicate unsuitability for employment in flying duties. The presence of large or multiple keloids will be a cause for rejection.
6. Minor scars and Birth Marks for e.g. as resulting from the removal of tuberculous glands do not, per se, indicate unsuitability for employment on flying duties. Extensive scarring of a limb or torso that may cause functional limitation or unsightly appearance should be considered unfit.
7. Cervical rib without any neurovascular compromise will be accepted. This will be recorded in the medical board proceedings.
8. Asymmetry of the face and head, which will interfere with proper fitting of oxygen mask and helmet, will be a cause for rejection for flying duties.
9. A candidate who has undergone an abdominal operation, other than a simple appendicectomy, involving extensive surgical intervention or partial or total excision of any organ is unsuitable for flying duties. Operation involving the cranial vault (e.g. trephining), or extensive thoracic operations make the candidate unfit for flying.
10. The chest should be well proportioned and well developed with the minimum range of expansion of 5 cm.
11. Height, Sitting Height, Leg Length and Thigh Length
 - (a) The minimum height for entry into ground duty branches will be 157.5 cm. Gorkhas and individuals belonging to North Eastern regions of India and hilly regions of Uttarakhand, the minimum acceptable height will be 5 cm less (152.5 cm). In case of candidates from Lakshadweep, the minimum acceptable height can be reduced by 2 cm (155.5 cm).

(b) Minimum height for Flying Branch will be 162.5 cm. Acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height for such aircrew will be as under: -

(i) Sitting height:	Minimum- 81.5 cm	Maximum- 96.0 cm
(ii) Leg Length:	Minimum- 99.0 cm	Maximum- 120.0 cm
(iii) Thigh Length:	Maximum- 64.0 cm	

12. The weight chart prescribed by U.P.S.C. placed at **Appendix A** to the draft rules will be applicable. The maximum permissible variation from the ideal body weight is 10%. Fraction of less than half a kg will not be noted. If a candidate is underweight by more than 10% below the ideal, a detailed history and careful examination to rule out possible cause like tuberculosis, hyperthyroidism, diabetes etc. will be carried out. If no cause is detected the candidate will be declared fit. If any cause is detected the fitness of the candidate will be decided accordingly.

13. Cardiovascular System

(a) History of chest pain, breathlessness, palpitation, fainting attacks, giddiness, rheumatic fever, chorea, frequent sore throats and tonsillitis will be given due consideration in assessment of the cardiovascular system.

(b) The normal pulse rate varies from 60-100 bpm. Persistent sinus tachycardia (> 100 bpm), after emotional factors and fever are excluded as causes, as well as persistent sinus bradycardia (< 60 bpm), will be referred for specialist opinion to exclude organic causes. Sinus arrhythmia and vagotonia will also be excluded.

(c) Candidates are quite prone to develop White Coat Hypertension, which is a transient rise of BP, due to the stress of medical examination. Every effort must be made to eliminate the White Coat effect by repeated recordings under basal conditions. When indicated, ambulatory BP recording must be carried out or the candidate be admitted to hospital for observation before final fitness is certified. An individual with BP consistently greater than or equal to 140/90 mm of Hg will be rejected.

(d) Evidence of organic cardiovascular disease will be cause for rejection. Diastolic murmurs are invariably organic. Short systolic murmurs of ejection systolic nature and not associated with thrill and which diminish on standing, especially if associated with a normal ECG and chest radiograph, are most often functional. However, an echocardiogram will be done to exclude organic heart disease. In case of any doubt the case will be referred to cardiologist for opinion.

(e) Electrocardiogram. Assessment of a properly recorded ECG (resting – 14 lead) will be carried out by a medical specialist. Note will be taken of wave patterns, the amplitude, duration and time relationship. At initial entry no abnormalities are acceptable except incomplete RBBB in the absence of structural heart disease, which must be excluded. In such cases, opinion of Senior Adviser (Medicine) or Cardiologist will be obtained.

14. Respiratory System

(a) Any residual scarring in pulmonary parenchyma or pleura, as evidenced by a demonstrable opacity on chest radiogram will be a ground for rejection. Old treated cases of Pulmonary Tuberculosis with no significant residual abnormality can be accepted if the diagnosis and treatment was completed more than two year earlier. In these cases, a CT scan chest and fiberoptic bronchoscopy with bronchial lavage will be done alongwith USG, ESR, PCR, Immunological tests and Mantoux test as decided by the Physician. If all the tests are normal the candidate may be considered fit. However, in such cases fitness will only be decided at Appeal/ Review Medical Board.

(b) Pleurisy with Effusion. Any evidence of significant residual pleural thickening will be a cause for rejection.

(c) History of repeated attacks of cough/wheezing/bronchitis may be manifestations of chronic bronchitis or other chronic pathology of the respiratory tract. Such cases will be assessed unfit. Pulmonary Function Tests will be carried out, if available.

(d) History of repeated attacks of bronchial asthma/wheezing/allergic rhinitis will be a cause for rejection.

(e) Radiographs of the Chest. Definite radiological evidence of disease of the lungs, mediastinum and pleurae indicates unsuitability for employment in Air Force. If required, investigations as outlined in Para 13 (a) above will be carried out under the advice of a Chest Physician.

15. Gastrointestinal System

(a) Any past history of ulceration or infection of the mouth, tongue, gums or throat will be taken note of including any major dental alteration.

(b) The following dental standards will be followed:-

(i) Candidate must have 14 dental points and the following teeth must be present in the upper jaw in good functional opposition with the corresponding teeth in the lower jaw, and these must be sound or repairable:-

(aa) Any four of the six anteriors

(ab) Any six of the ten posteriors

(ac) They should be balancing on both sides. Unilateral mastication is not allowed.

(ad) Any removable or wired prosthesis are not permitted.

(ii) Candidate whose dental standard does not conform to the laid down standard will be rejected.

(iii) Candidate with dental arches affected by advanced stage of generalised active lesions of pyorrhoea, acute ulcerative gingivitis, and gross abnormality of the teeth or jaws or with numerous caries or septic teeth will be rejected.

(c) Gastro-Duodenal Disabilities. Candidates who are suffering or have suffered, during the previous two years, from symptoms suggestive of chronic indigestion, including proven peptic ulceration, are not to be accepted, in view of the exceedingly high risk of recurrence of symptoms and potential for incapacitation. Any past surgical procedure involving partial or total loss of an organ (other than vestigial organs/gall bladder) will entail rejection.

(d) If past history of jaundice is noted or any abnormality of the liver function is suspected, full investigation is required for assessment. Candidates suffering from viral hepatitis or any other form of jaundice will be rejected. Such candidates can be declared fit after a minimum period of 6 months has elapsed provided there is full clinical recovery; HBV and HCV status are both negative and liver functions are within normal limits.

(e) Candidates who have undergone splenectomy are unfit, irrespective of the cause for operation. Splenomegaly of any degree is a cause for rejection.

(f) A candidate with a well-healed hernia scar, after successful surgery, will be considered fit six months after surgery, provided there is no potential for any recurrence and the abdominal wall musculature is good.

(g) Abdominal Surgery

(i) A candidate with well-healed scar after conventional abdominal surgery will be considered fit after one year of successful surgery provided there is no potential for any recurrence of the underlying pathology and the abdominal wall musculature is good.

(ii) A candidate after laparoscopic cholecystectomy will be considered fit if 08 weeks have passed since surgery provided they are free from signs and symptoms and their evaluation including LFT and USG abdomen are normal and there is total absence of gall bladder with no intra-abdominal collection. Other abdominal laproscopic procedures can also be considered fit after 08 weeks of surgery provided the individual is asymptomatic, recovery is complete and there is no residual complication or evidence of recurrence.

(h) Disposal of cases with incidental ultrasonographic (USG) findings like fatty liver, small cysts, haemangiomas, septate gall bladder etc., will be based on clinical significance and functional limitation. A methodically conducted USG examination should look for the following areas during the examination. The findings as listed in the succeeding paragraphs and other incidental USG findings reported will be evaluated on clinical significance and functional capacity by the concerned specialist.

(j) Liver

(i) Fit

(aa) Normal echoanatomy of the liver, CBD, IHBR, portal and hepatic veins with liver span not exceeding 15 cm in the mid-clavicular line.

(ab) Solitary simple cyst (thin wall, anechoic) upto 2.5 cm diameter.

(ii) Unfit

(aa) Hepatomegaly more than 15 cm in mid-clavicular line.

(ab) Fatty liver

(ac) Solitary cyst > 2.5 cm

(ad) Solitary cyst of any size with thick walls, septations and debris

(ae) Any calcifications more than 03 mm in size.

(af) More than three calcifications even if each is less than 03 mm in size.

(ag) Multiple hepatic cysts of any size.

(ah) Hemangioma > 02cm.

(aj) Portal vein thrombosis.

(ak) Evidence of portal hypertension (PV >13 mm, collaterals, ascites).

(iii) During Appeal Medical Board/Review Medical Board unfit candidates will be subjected to specific investigations and detailed clinical examination. Fitness for specific conditions will be decided as given below:-

(aa) Fatty Liver may be considered fit in non-obese individual with normal LFT, no metabolic abnormality and negative HBsAg and Anti-HCV serology.

(ab) Solitary simple cyst 2.5 - 05 cm will be further evaluated with LFT, CECT abdomen, and hydatid serology. Will be considered fit if LFT is normal, hydatid serology is negative and CECT confirms USG findings.

(ac) Any liver calcifications, irrespective of size and number be considered fit provided after due investigations it is revealed that there is no evidence of active disease like tuberculosis, sarcoidosis, hydatid disease, metastatic tumour or liver abscess based on relevant clinical examination and investigations (LFT, hydatid serology, etc.).

(k) Gall Bladder

(i) Fit

(aa) Normal echoanatomy of the gall bladder.

(ab) Post laparoscopic Cholecystectomy. Candidates having undergone lap-cholecystectomy may be considered fit if 08 weeks have passed since surgery and there is total absence of gall bladder with no intra-abdominal collection. Wound should have healed well without incisional hernia.

(ac) Open Cholecystectomy. Candidates having undergone open Cholecystectomy may be considered fit if one year has passed since surgery, the scar is healthy with

no incisional hernia and there is total absence of gall bladder with no intra-abdominal collection.

(ii) Unfit.

- (aa) Cholelithiasis or biliary sludge.
- (ab) Choledocolithiasis.
- (ac) Polyp of any size and number.
- (ad) Choledochal cyst.
- (ae) Gall bladder mass.
- (af) Gall bladder wall thickness > 05 mm.
- (ag) Septate gall bladder.
- (ah) Persistently contracted gall bladder on repeat USG.
- (aj) Incomplete Cholecystectomy.

(l) Spleen more than 13 cm in longitudinal axis (or if clinically palpable), any Space Occupying Lesion and Asplenia will be considered Unfit.

(m) Any structural abnormality of the Pancreas, Space Occupying Lesion/ Mass Lesion, Features of chronic pancreatitis (calcification, ductular abnormality, atrophy) will be considered Unfit.

(n) Peritoneal Cavity. Ascites, Solitary mesenteric or retroperitoneal lymph node >1 cm and Two or more lymph nodes of any size will be considered Unfit.

(o) Urogenital System.

(i) A simple non obstructive renal cyst of less than 2.5 cm size in one kidney will be considered fit.

(ii) The following congenital structural abnormalities of kidneys will be declared unfit.

- (aa) Unilateral renal agenesis.
- (ab) Unilateral or bilateral hypoplastic/ contracted kidney of size less than 08 cm.
- (ac) Malrotation.
- (ad) Horseshoe kidney.
- (ae) Ptosed kidney.
- (af) Crossed fused/ ectopic kidney.

(iii) Simple single renal cyst of more than 2.5 cm size in one kidney.

(iv) Single cyst of any size in both kidneys or multiple cysts in one kidney.

(v) Renal/ ureteric/ vesical mass.

(vi) Hydronephrosis, Hydroureteronephrosis.

(vii) Calculi - Renal/ Ureteric/ Vesical.

(viii) During Appeal Medical Board/ Review Medical Board, unfit candidates will be subjected to specific investigations and detailed clinical examination. Fitness for specific conditions will be decided as given below:-

(aa) Candidates having isolated abnormality of echo texture of Kidney may be considered fit if Renal Function, DTPA scan and CECT kidney is normal.

(p) Major Abdominal Vasculature (Aorta/ IVC). Any structural abnormality, focal ectasia, aneurysm and calcification will be considered Unfit.

(q) Scrotum and Testis

- (i) Unilateral intra-abdominal testes, provided the other testes is completely descended will be declared fit.
- (ii) Bilateral undescended testes or bilateral atrophied testis will be declared unfit.
- (iii) Unilateral undescended testis if it lies in the inguinal canal, at the external ring or in the abdominal wall will be declared unfit.
- (iv) Varicocele will be unfit.

16. **Urogenital System**

(a) Any alteration in micturition, e.g. dysuria or frequency will be noted. Recurrent attacks of cystitis; pyelonephritis and haematuria must be excluded. Any history of renal colic, attacks of acute nephritis, any operation on the renal tract including loss of a kidney, passing of stones or urethral discharges will be enquired in detail. If there is any history of enuresis, past or present, full details must be obtained.

(b) Urine Examination

- (i) Proteinuria will be a cause for rejection, unless it proves to be orthostatic.
- (ii) When glycosuria is detected, a blood sugar examination (fasting and after 75 g glucose) and glycosylated Hb is to be carried out, and fitness decided as per results. Renal glycosuria is not a cause for rejection.
- (iii) When the candidate has history or evidence of urinary infection it will entail full renal investigation. Persistent evidence of urinary infection will entail rejection.
- (iv) Candidates with history of haematuria will be subjected to full renal investigation.

(c) Glomerulonephritis

- (i) There is a high rate of recovery in the acute phase, particularly in childhood. A candidate who has made a complete recovery and has no proteinuria may be assessed fit, after a minimum period of one year after full recovery.
- (ii) Candidate with chronic glomerulonephritis will be rejected.

(d) Renal Colic and Renal Calculi. Complete renal and metabolic evaluation is required. Candidates with renal calculi will be rejected.

(e) All candidates found to have congenital absence of one kidney or who have undergone unilateral nephrectomy will be rejected. Presence of horseshoe kidney will entail rejection. Solitary functioning kidney with diseased, non-functional contralateral kidney will entail rejection. Crossed ectopia, unascended or malrotated kidney(s), unilateral congenital hypoplasia will be a cause for rejection.

(f) Bilateral undescended testis /atrophied testis will be a cause for rejection. Unilateral undescended testis, if entirely retained in the abdomen, is acceptable. If it lies in the inguinal canal, at the external ring or in the abdominal wall, such cases may be accepted after either orchidectomy or orchipexy operation. In all doubtful cases, surgical opinion must be obtained regarding fitness.

(g) Hydrocele or Varicocele should be properly treated before fitness is considered. Minor degree of varicocele will not entail rejection.

(h) Sexual Transmitted Diseases and Human Immuno Deficiency Virus (HIV). Seropositive HIV status and/ or evidence of STD will entail rejection.

17. **Endocrine System**

(a) Generally any history suggestive of endocrine disorders will be a cause for rejection.

(b) All cases of thyroid swelling having abnormal iodine uptake and abnormal thyroid hormone levels will be rejected. Cases of simple goitre with minimal thyroid swelling, who are clinically euthyroid and have normal iodine uptake and normal thyroid functions may be accepted.

(c) Candidates detected to have diabetes mellitus will be rejected. A candidate with a family history of diabetes mellitus will be subjected to blood sugar (fasting and after glucose load) and Glycosylated Hb/ HbA1c evaluation, which will be recorded.

18. **Dermatological System**

(a) Borderline skin conditions will be referred to a dermatologist. Candidates who give history of sexual exposure to a Commercial Sex Worker (CSW), or have evidence of healed penile sore in the form of a scar will be declared permanently unfit, even in absence of an overt STD, as these candidates are likely 'repeaters' with similar indulgent promiscuous behavior.

(b) Acute non-exanthematous and non-communicable diseases, which ordinarily run a temporary course, need not be a cause of rejection. Diseases of a trivial nature, and those, which do not interfere with general health or cause incapacity, do not entail rejection.

(c) Certain skin conditions are apt to become active and incapacitating under tropical conditions. An individual is unsuitable for service if he has a definite history or signs of chronic or recurrent skin disease. Some such conditions are described below:-

(i) Some amount of Palmoplantar Hyperhydrosis is physiological, considering the situation that recruits face during medical examination. However, candidates with significant Palmoplantar Hyperhydrosis will be considered unfit.

(ii) Mild (Grade I) Acne Vulgaris consisting of few comedones or papules, localized only to the face may be acceptable. However, moderate to severe degree of acne (nodulocystic type with or without keloidal scarring) or involving the back will be considered unfit.

(iii) Any degree of Palmoplantar Keratoderma manifesting with hyperkeratotic and fissured skin over the palms, soles and heels will be considered unfit.

(iv) Ichthyosis Vulgaris involving the upper and lower limbs, with evident dry, scaly, fissured skin will be considered unfit. Mild xerosis (dry skin) may be considered fit.

(v) Candidates having any keloids will be considered unfit.

(vi) Clinically evident onychomycosis of finger and toe-nails should be declared unfit, especially if associated with nail dystrophy. Mild degree of distal discolouration involving single nail without any dystrophy may be acceptable.

(vii) Giant congenital melanocytic naevi, greater than 10 cm will be considered unfit, as there is a malignant potential in such large sized naevi.

(viii) Small sized callosities, corns and warts may be considered acceptable after treatment. However candidates with multiple common warts or diffuse palmoplantar mosaic warts, large callosities on pressure areas of palms and soles and multiple corns will be rejected.

(ix) Psoriasis is a chronic skin condition known to relapse and/or recur and hence will be considered unfit.

(x) Candidates suffering from minor degree of Leukoderma affecting the covered parts may be accepted. Vitiligo limited only to glans and prepuce may be considered fit. Those having extensive degree of skin involvement and especially, when the exposed parts are affected, even to a minor degree, will not be accepted.

(d) A history of chronic or recurrent attacks of skin infections will be cause for rejection. A simple attack of boils or sycosis from which there has been complete recovery may be considered for acceptance.

- (e) Individuals who have chronic or frequently recurring attacks of a skin disease of a serious or incapacitating nature e.g. eczema will be assessed as permanently unfit and rejected.
- (f) Any sign of Leprosy will be a cause for rejection.
- (g) Naevus depigmentosus and Becker's naevus may be considered fit. Intradermal naevus, vascular naevi may be considered unfit.
- (h) Mild Pityriasis Versicolor may be considered fit after treatment. Extensive Pityriasis Versicolor may be considered unfit.
- (j) Tinea Cruris and Tinea Corporis may be considered fit on recovery.
- (k) Scrotal Eczema may be considered fit on recovery.
- (l) Canities (premature graying stain) may be considered fit if mild in nature and no systemic association is seen.
- (m) Intertrigo may be considered fit on recovery.
- (n) Sexually Transmitted Diseases including Genital Ulcers will be considered unfit.
- (o) Scabies may be considered fit only on recovery.

19. **Musculoskeletal System and Physical Capacity**

- (a) Assessment of the candidate's physique is to be based upon careful observation of such general parameters as apparent muscular development, age, height, weight and the correlation of this i.e. potential ability to acquire physical stamina with training. The candidate's physical capacity is affected by general physical development or by any constitutional or pathological condition.
- (b) Past medical history of disease or injury of the spine or sacroiliac joints, either with or without objective signs, which has prevented the candidate from successfully following a physically active life, is a cause for rejection for commissioning. History of spinal fracture/prolapsed intervertebral disc and surgical treatment for these conditions will entail rejection.
- (c) Mild kyphosis or lordosis where deformity is barely noticeable and not associated with pain or restriction of movement may be accepted. When scoliosis is noticeable or any pathological condition of the spine is suspected, radiographic examination of the appropriate part of the spine needs to be carried out.
- (d) For flying duties, radiograph (AP and lateral views) of cervical, thoracic and lumbosacral spine is to be carried out. For ground duties, radiographic examination of spine may be carried out, if deemed necessary.
- (e) The following conditions detected radiologically will disqualify a candidate for Air Force Service:-
 - (i) Granulomatous disease of spine
 - (ii) Arthritis/Spondylosis
 - (aa) Rheumatoid arthritis and allied disorders.
 - (ab) Ankylosing Spondylitis.
 - (ac) Osteoarthritis, spondylosis and degenerative joint disease.
 - (ad) Non-articular rheumatism (e.g. lesions of the rotator cuff, tennis elbow, recurrent lumbago etc.).
 - (ae) Misc disorders including SLE, Polymyositis, and Vasculitis.
 - (af) Spondylolisthesis/ Spondylolysis.
 - (ag) Compression fracture of vertebra.
 - (ah) Scheuerman's Disease (Adolescent Kyphosis).

- (aj) Loss of cervical lordosis when associated with clinically restricted movements of cervical spine.
- (ak) Unilateral/Bilateral cervical ribs with demonstrable neurological or circulatory deficit.
- (iii) Any other abnormality as so considered by the specialist.
- (f) The deformities/ diseases contained in the above para will be cause for rejection for all branches in IAF. In addition for candidates for flying branches, the under mentioned rules will also apply:-
 - (i) Spinal Anomalies acceptable for Flying Duties.
 - (aa) Bilateral complete sacralisation of LV5 and bilateral complete lumbarisation of SV1.
 - (ab) Spina bifida in sacrum and in LV5, if completely sacralised.
 - (ac) Complete block (fused) vertebrae in cervical and/or dorsal spine at a single level.
 - (ii) Spinal Conditions not acceptable for Flying Duties.
 - (aa) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's method. Scoliosis is unfit if the deformity persists on full flexion of the spine with restriction of range of movements or due to organic defect causing structural deformity.
 - (ab) Degenerative Disc Disease.
 - (ac) Atlanto - occipital and atlanto-axial anomalies
 - (ad) Hemi vertebra and/or incomplete block (fused) vertebra at any level in cervical, dorsal or lumbar spine and complete block (fused) vertebra at more than one level in cervical or dorsal spine.
 - (ae) Unilateral sacralisation or lumbarisation (complete or incomplete) at all levels and bilateral incomplete sacralisation or lumbarisation. Lumbo-sacral transitional vertebrae is unfit if Castellvi Type II, IIIa and IV.
- (g) Conditions Affecting the Assessment of Upper Limbs
 - (i) Candidate with an amputation of a limb will not be accepted for entry. Amputation of terminal phalanx of little finger on both sides is, however, acceptable.
 - (ii) Deformities of the upper limbs or their parts will be cause for rejection. Syndactyly and polydactyly will be assessed as unfit except when polydactyly is excised.
 - (iii) Painless limitation of movement of the wrist will be graded according to the degree of stiffness. Loss of dorsi-flexion is more serious than loss of palmar flexion.
 - (iv) Slight limitation of movement of the elbow does not bar acceptance provided functional capacity is adequate. Ankylosis will entail rejection. Cubitus Valgus is said to be present when the carrying angle (angle between arm and forearm in anatomical posture) is exaggerated. In absence of functional disability and obvious cause like a fracture malunion, fibrosis or the like, a carrying angle of upto 15° will be acceptable.
 - (v) History of recurrent dislocation of shoulder will entail rejection.
 - (vi) Malunion/non-union of an old fracture clavicle will entail rejection.
- (h) Conditions affecting the Assessment of Lower Limbs
 - (i) Mild cases of Hallux Valgus (less than 20 degrees), asymptomatic, without any associated corn /callosities/ bunion are acceptable. Other cases will entail rejection. Shortening of first metatarsal is also considered unfit.
 - (ii) Hallux Rigidus is not acceptable.

- (iii) Isolated single flexible mild hammer toe without symptoms may be accepted. Fixed (rigid) deformity or hammer toe associated with corns, callosities, mallet toes or hyperextension at metatarsophalangeal joint (claw toe deformity) will be rejected.
- (iv) Loss of any digit of the toes entails rejection.
- (v) Extra digits will entail rejection if there is bony continuity with adjacent digits. Cases of syndactyly or loss of toes/fingers will be rejected.
- (vi) Feet may look apparent flat. If the arches of the feet reappear on standing on toes, if the candidate can skip and run well on the toes and if the feet are supple, mobile and painless, the candidate is acceptable. Restriction of the movements of the foot will also be a cause for rejection. Rigidity of the foot, whatever may be the shape of the foot, is a cause for rejection.
- (vii) Mild degree of idiopathic pes cavus is acceptable. Moderate and severe pes cavus and pes cavus due to organic disease will entail rejection. All cases of Talipes (Club Foot) will be rejected.
- (viii) Any significant limitation of movement of the ankle joints following previous injuries will not be accepted. However, cases with no history of recurrent trouble and having plantar and dorsiflexion movement of at least 20 degree may be assessed fit for ground duties. Fitness for aircrew duties will be based on functional evaluation.
- (ix) History or clinical signs suggestive of internal derangement of knee joint will need careful consideration. Fitness in such cases will be based on functional evaluation and possibility/progression/recurrence of the treated pathology.
- (x) If the distance between the internal malleoli is less than 5 cm, without any other deformity, the candidate will be considered fit for Genu Valgum (Knock Knee). If the distance between the two internal malleoli is more than 5 cm, candidate will be declared unfit.
- (xi) If the distance between the femoral condyles is within 10 cm the candidate will be considered fit for Genu Varum (Bow Legs).
- (xii) If the hyperextension of the knee is within 10 degrees and is unaccompanied by any other deformity, the candidate will be accepted as fit for Genu Recurvatum.
- (xiii) True lesions of the hip joint will entail rejection.

20. Central Nervous System

- (a) A candidate giving a history of mental illness/ psychological afflictions requires detailed investigation and psychiatric referral. Such cases will be rejected. Family history and prior history of using medication is also relevant.
- (b) History of insomnia, nightmares or frequent sleepwalking or bed-wetting, when recurrent or persistent, will be a cause for rejection.
- (c) Severe or 'throbbing' Headache and Migraine. Common types of recurrent headaches are those due to former head injury or migraine. Other forms of occasional headache must be considered in relation to their probable cause. A candidate with migraine, which was severe enough to make him consult a doctor, will be a cause for rejection. Even a single attack of migraine with visual disturbance or 'Migrainous epilepsy' is a bar to acceptance.
- (d) History of epilepsy in a candidate is a cause for rejection. Convulsions/ fits after the age of five are also a cause for rejection. Convulsions in infancy may not be of ominous nature provided it appears that the convulsions were febrile convulsions and were not associated with any overt neurological deficit. Causes of epilepsy include genetic factors, traumatic brain injury, stroke, infection, demyelinating and degenerative disorders, birth defects, substance abuse and withdrawal seizures. Seizures may masquerade as "faints" and therefore the frequency and the conditions under which "faints" took place must be elicited. Seizure attacks indicate unsuitability for flying, whatever their apparent nature.

(e) History of repeated attacks of heat stroke, hyperpyrexia or heat exhaustion bars employment for Air Force duties, as it is an evidence of a faulty heat regulating mechanism. A single severe attack of heat effects, provided the history of exposure was severe, and no permanent sequelae were evident is, by itself, not a reason for rejecting the candidate.

(f) A history of severe head injury or Concussion is a cause for rejection. The degree of severity may be gauged from the history of duration of Post Traumatic Amnesia (PTA). Other sequelae of head injury are post concussion syndrome which has subjective symptoms of headache, giddiness, insomnia, restlessness, irritability, poor concentration and attention deficits; focal neurological deficit, and post traumatic epilepsy. Post traumatic neuropsychological impairment can also occur which includes deficits in attention concentration, information processing speeds, mental flexibility and frontal lobe executive functions and psychosocial functioning. Fracture of the skull will not be a cause for rejection unless there is a history of associated intracranial damage or of depressed fracture or loss of bone. When there is a history of severe injury or an associated convulsive attack, an electroencephalogram will be carried out which must be normal. Presence of burr holes will be cause for rejection for flying duties, but not for ground duties. Each case is to be judged on individual merits. Opinion of Neurosurgeon and Psychiatrist must be obtained before acceptance.

(g) When a family history of Psychological Disorders like nervous breakdown, mental disease, or suicide of a near relative is obtained, a careful investigation of the personal past history from a psychological point of view is to be obtained. While such a history per se is not a bar to Air Force duties, any evidence of even the slightest psychological instability in the personal history or present condition, will entail rejection.

(h) If a family history of epilepsy is admitted an attempt should be made to determine its type. When the condition has occurred in a near (first degree) relative, the candidate may be accepted, if he has no history of associated disturbance of consciousness, neurological deficit or higher mental functions and his electroencephalogram is completely normal.

(j) The assessment of emotional stability must include family and personal history, any indication of emotional instability under stress as evidenced by the occurrence of undue emotionalism as a child or of any previous nervous illness or breakdown. The presence of stammering, tic, nail biting, excessive hyperhydrosis or restlessness during examination is indicative of emotional instability.

(k) Candidates who are suffering from psychosis will be rejected. Drug dependence in any form will also be a cause for rejection.

(l) Mentally unstable and neurotic individuals are unfit for commissioning. Juvenile and adult delinquency, history of nervous breakdown or chronic ill health will be causes for rejection. Particular attention will be paid to such factors as unhappy childhood, poor family background, truancy, juvenile and adult delinquency, poor employment and social maladjustment records, history of nervous breakdown or chronic ill-health, particularly if these have interfered with employment in the past.

(m) Any evident neurological deficit (Organic Nervous Conditions) will call for rejection.

(n) Tremors are rhythmic oscillatory movements of reciprocally innervated muscle groups. Tremors occur in cases of excessive fright, anger, anxiety, intense physical exertion, metabolic disturbances including hyperthyroidism, alcohol withdrawal and toxic effects of lithium, smoking (nicotine) and excessive tea, coffee. Other causes of coarse tremor are Parkinsonism, cerebellar (intention) tremor, essential (familial) tremor, tremors of neuropathy and postural or action tremors.

(o) Candidates with stammering will not be accepted for Air Force duties. Careful assessment by ENT Specialist, Speech therapist, psychologist/ psychiatrist may be obtained in doubtful cases.

(p) Only those candidates for aircrew duties will be subjected to Basal Electroencephalogram EEG examination. Those with following EEG abnormalities in resting EEG or EEG under provocative techniques will be rejected for aircrew duties:-

- (i) Background Activity. Focal, excessive and high amplitude beta activity/hemispherical asymmetry of more than 2.3 Hz/generalized and focal runs of slow waves approaching background activity in amplitude.
- (ii) Hyperventilation. Paroxysmal spikes and slow waves/spikes/focal spike pattern.
- (iii) Photo Stimulation. Bilaterally synchronous or focal paroxysmal spikes and slow waves persisting in post-photoc stimulation period/suppression or driving response over one hemisphere.
- (q) Non specific EEG abnormality will be acceptable provided opinion of Neuropsychiatrist/Neurophysician is obtained. In case an EEG is reported as abnormal, the candidate would be referred to CHAF (B) for a comprehensive evaluation by neurophysician followed by review by a Board at IAM IAF.

21. Ear, Nose and Throat

- (a) Nose and Paranasal Sinuses
 - (i) Obstruction to free breathing as a result of a marked septal deviation is a cause for rejection. Post correction surgery with residual mild deviation with adequate airway will be acceptable.
 - (ii) Any septal perforation will entail rejection.
 - (iii) Atrophic rhinitis will entail rejection.
 - (iv) Cases of allergic rhinitis will entail rejection for flying duties.
 - (v) Any infection of paranasal sinuses will be declared unfit. Such cases will be accepted following successful treatment during Appeal Medical Board.
 - (vi) Multiple polyposis will be a cause for rejection.
- (b) Oral Cavity and Throat
 - (i) Candidates where tonsillectomy is indicated will be rejected. Such candidates will be accepted after successful surgery during Appeal Medical Board.
 - (ii) The presence of a cleft palate will be a cause for rejection.
 - (iii) Any disabling condition of the pharynx or larynx including persistent hoarseness of voice will entail rejection.
- (c) Obstruction or insufficiency of eustachian tube function will be a cause for rejection.
- (d) The presence of tinnitus necessitates investigation of its duration, localization, severity and possible causation. Persistent tinnitus is a cause for rejection, as it is liable to become worse through exposure to noise and may be a precursor to Otosclerosis and Meniere's disease.
- (e) Specific enquiry will be made for any susceptibility to motion sickness. Such cases will be fully evaluated and, if found susceptible to motion sickness, they will be rejected for flying duties.
- (f) A candidate with a history of dizziness needs to be investigated thoroughly.
- (g) Hearing loss
 - (i) Free field hearing loss is a cause for rejection.
 - (ii) Audiometric loss should not be greater than 20 db, in frequencies between 250 and 8000 Hz. On the recommendation of an ENT Specialist, an isolated unilateral hearing loss up to 30 db may be condoned provided ENT examination is otherwise normal.
- (h) A radical/modified radical mastoidectomy entails rejection even if completely epithelialised and good hearing is preserved. Cases of cortical mastoidectomy in the past with the tympanic membrane intact, normal hearing and presenting no evidence of disease may be accepted.

(j) Cases of chronic otitis externa accompanied by exostoses or unduly narrow meatus will be rejected. Exaggerated tortuosity of the canal, obliterating the anterior view of the tympanic membrane will be a cause for rejection.

(k) Tympanoplasty Type I is acceptable twelve weeks after surgery, provided ear clearance test in altitude chamber is normal. The following middle ear conditions will entail rejection:-

- (i) Attic, central or marginal perforation.
- (ii) Tympanic membrane scar with marked retraction.
- (iii) Tympanoplasty Type II onward but not Type I.
- (iv) Calcareous plaques (tympanosclerosis) if occupying more than 1/3 of pars tensa.
- (v) Middle ear infections.
- (vi) Granulation or polyp in external auditory canal.
- (vii) Stapedectomy operation.

(l) Miscellaneous Ear Conditions. The following ear conditions will entail rejection:-

- (i) Otosclerosis.
- (ii) Meniere's disease.
- (iii) Vestibular dysfunction including nystagmus of vestibular origin.
- (iv) Bell's palsy following ear infection.

22. **Ophthalmic System**

(a) Visual defects and medical ophthalmic conditions are amongst the major causes of rejection for flying duties.

(b) Personal and Family History and External Examination.

(i) Squint and the need for spectacles for other reasons are frequently hereditary and a family history may give valuable information on the degree of deterioration to be anticipated. Candidates, who are wearing spectacles or found to have defective vision, will be properly assessed.

(ii) Ptosis interfering with vision or visual field is a cause for rejection till surgical correction remains successful for a period of six months. Candidates with uncontrollable blepharitis, particularly with loss of eyelashes, are generally unsuitable and will be rejected. Severe cases of blepharitis and chronic conjunctivitis will be assessed as temporarily unfit until the response to treatment can be assessed.

(iii) Naso-lacrymal occlusion producing epiphora or a mucocele entails rejection, unless surgery produces relief lasting for a minimum of six months.

(iv) Uveitis (iritis, cyclitis, and choroiditis) is frequently recurrent, and candidates giving a history of or exhibiting this condition will be carefully assessed. When there is evidence of permanent lesions such candidates will be rejected.

(v) Corneal scars, opacities will be cause for rejection unless it does not interfere with vision. Such cases will be carefully assessed before acceptance, as many conditions are recurrent.

(vi) Cases with Lenticular opacities will be assessed carefully. As a guideline any opacity causing visual deterioration, or is in the visual axis or is present in an area of 7 mm around the pupil, which may cause glare phenomena, will not be considered fit. The propensity of the opacities not

to increase in number or size will also be a consideration when deciding fitness.

(vii) Visual disturbances associated with headaches of a migrainous type are not a strictly ocular problem, and will be assessed accordingly. Presence of diplopia or detection of nystagmus requires proper examination, as they can be due to physiological reasons.

(viii) Night blindness is largely congenital but certain diseases of the eye exhibit night blindness as an early symptom and hence, proper investigations are necessary before final assessment. As tests for night blindness are not routinely performed, a certificate to this

effect that the individual does not suffer from night blindness will be obtained in every case. Certificate will be as per **Appendix- B** to the draft rules.

(ix) Restriction of movements of the eyeball in any direction and undue depression/prominence of the eyeball requires proper assessment.

(c) The visual acuity and colour vision requirements are detailed in **Appendix- C** to this rule. Those who do not meet these requirements will be rejected.

(d) If there is a strong family history of Myopia, particularly if it is established that the visual defect is recent, if physical growth is still expected, or if the fundus appearance is suggestive of progressive myopia, even if the visual acuity is within the limit prescribed, the candidate will be declared unfit.

(e) Refractive Surgeries. Candidates who have undergone PRK (Photo Refractive Keratotomy)/ LASIK (LASER In Situ Keratomileusis) may be considered fit for commissioning in the Air Force all branches.

(f) The following criteria must be satisfied prior to selecting post PRK/ LASIK candidates:-

(i) PRK/ LASIK surgery should not have been carried out before the age of 20 years.

(ii) The axial length of the eye should not be more than 25.5 mm as measured by IOL master.

(iii) Atleast 12 months should have elapsed post uncomplicated stable PRK/ LASIK with no history or evidence of any complication.

(iv) The post PRK/ LASIK corneal thickness as measured by a corneal pachymeter should not be less than 450 microns.

(v) Individuals with high refractive errors (>6D) prior to PRK/ LASIK are to be excluded.

(g) Radial Keratotomy (RK) surgery for correction of refractive errors is not permitted for any Air Force duties. Candidates having undergone cataract surgery with or without IOL implants will also be declared unfit.

(h) Ocular Muscle Balance

(i) Individuals with manifest squint are not acceptable for commissioning.

(ii) The assessment of latent squint or heterophoria in the case of aircrew will be mainly based on the assessment of the fusion capacity. A strong fusion sense ensures the maintenance of binocular vision in the face of stress and fatigue. Hence, it is the main criterion for acceptability.

(aa) Convergence.

(aaa) Objective Convergence. Average is from 6.5 to 8 cm. It is poor at 10 cm and above.

(aab) Subjective Convergence (SC). This indicates the end point of binocular vision under the stress of convergence. If the subjective convergence is more than 10 cm beyond the limit of objective convergence, the fusion capacity is poor. This is specially so when the objective convergence is 10 cm and above.

(ab) Accommodation. In the case of myopes, accommodation should be assessed with corrective glasses in position. The acceptable values for accommodation in various age groups are given in table below:-

Age in Yrs	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
Accommodation (in cm)	10-11	11-12	12.5-13.5	14-16	16-18.5	18.5-27

(j) Ocular muscle balance is dynamic and varies with concentration, anxiety, fatigue, hypoxia, drugs and alcohol. The above tests will be considered together for the final assessment. For example, cases just beyond the maximum limits of the Maddox Rod test, but who show a good binocular response, a good objective convergence with little difference from subjective convergence, and full and rapid recovery on the cover tests may be accepted. On the other hand, cases well within Maddox Rod test limits, but who show little or no fusion capacity, incomplete or no recovery on the cover tests, and poor subjective convergence will be rejected. Standards for assessment of Ocular Muscle Balance are mentioned in **Appendix- C** to the draft rules.

(k) Any clinical findings in the media (cornea, lens, vitreous) or fundus, which is of pathological nature and likely to progress will be a cause for rejection. This examination will be done by slit lamp and ophthalmoscopy under mydriasis.

23. **Haemopoietic System**

(a) All candidates will be examined for clinical evidence of pallor (anaemia), malnutrition, icterus, peripheral lymphadenopathy, purpura, petechiae/ ecchymoses and hepatosplenomegaly.

(b) In the event of laboratory confirmation of anaemia (<13g/dl in males), further evaluation to ascertain type of anaemia and aetiology will be carried out. This will include a complete haemogram (to include the PCV MCV, MCH, MCHC, TRBC, TWBC, DLC, Platelet count, reticulocyte count and ESR) and a peripheral blood smear. All the other tests to establish the aetiology will be carried out, as required. Ultrasonography of abdomen for gallstones, upper GI Endoscopy/ proctoscopy and hemoglobin electrophoresis etc. will be done, as indicated, and the fitness of the candidate, decided on the merit of each case.

(c) Candidates with mild microcytic hypochromic (Iron deficiency anaemia) or dimorphic anaemia (Hb < 11.5g/dl in males), in the first instance, will be made temporarily unfit for a period of 04 to 06 weeks followed by review thereafter. These candidates can be accepted, if the complete haemogram and PCV, peripheral smear results are within the normal range. Candidates with macrocytic/ megaloblastic anaemia will be assessed unfit.

(d) All candidates with evidence of hereditary haemolytic anaemias (due to red cell membrane defect or due to red cell enzyme deficiencies) and haemoglobinopathies (Sickle cell disease, Beta Thalassaemia: Major, Intermedia, Minor, Trait and Alpha Thalassaemia etc.) will be considered unfit for service.

(e) In the presence of history of haemorrhage into the skin like ecchymosis / petechiae, epistaxis, bleeding from gums and alimentary tract, persistent bleeding after minor trauma or lacerations / tooth extraction and any family history of haemophilia or other bleeding disorders a full evaluation will be carried out. These cases will not be acceptable for entry to service. All candidates with clinical evidence of purpura or evidence of thrombocytopenia will be considered unfit for service.

(f) Candidates with history of haemophilia, von Willebrand's disease, on evaluation, will be declared unfit for service at entry level.

Appendix- A [Refers to Para 12]

Ideal Weights in Kg for Different Age Groups and Heights of Male Individuals

(10% variation on higher side of average acceptable)

Height (in cm)	Age Range (in Years) / Weight (in Kgs)							
	15-17	18-22	23-27	28-32	33-37	38-42	43-47	>48
152	46	47	50	54	54	54	55	54
153	47	47	51	55	55	54	56	54
154	47	48	51	56	55	55	57	55

155	48	49	52	56	56	56	57	56
156	48	49	53	57	57	56	58	56
157	49	50	54	58	58	57	58	57
158	49	50	54	58	58	58	59	58
159	50	51	55	59	59	59	60	58
160	51	52	56	59	60	59	60	59
161	51	52	56	60	60	60	61	60
162	52	53	57	61	61	61	62	60
163	52	54	58	61	62	61	62	61
164	53	54	59	62	63	62	63	62
165	53	55	59	63	63	63	64	62
166	54	56	60	63	64	64	64	63
167	54	56	61	64	65	64	65	64
168	55	57	61	65	65	65	65	65
169	55	57	62	65	66	66	66	65
170	56	58	63	66	67	67	67	66
171	56	59	64	66	68	67	67	67
172	57	59	64	67	68	68	68	67
173	58	60	65	68	69	69	69	68
174	58	61	66	68	70	69	69	69
175	59	61	66	69	71	70	70	69
176	59	62	67	70	71	71	71	70
177	60	62	68	70	72	72	71	71
178	60	63	69	71	73	72	72	71
179	61	64	69	72	73	73	73	72
180	61	64	70	72	74	74	73	73
181	62	65	71	73	75	75	74	73
182	62	66	72	74	76	75	74	74
183	63	66	72	74	76	76	75	75
184	64	67	73	75	77	77	76	75
185	64	68	74	75	78	77	76	76
186	65	68	74	76	78	78	77	77
187	65	69	75	77	79	79	78	77
188	66	69	76	77	80	80	78	78
189	66	70	77	78	81	80	79	79
190	67	71	77	79	81	81	80	79
191	67	71	78	79	82	82	80	80

192	68	72	79	80	83	82	81	81
193	68	73	79	81	83	83	81	82
SD±	6.0	6.3	7.1	6.6	6.9	6.8	5.8	7.26

Appendix B

[Refers to para 22 (b) (viii)]

Certificate Regarding Night Blindness

Name _____ with Initials _____
 Batch No. _____ Chest No. _____

I hereby certify that to the best of my knowledge, there has not been any case of night blindness in our family, and I do not suffer from it.

Date: (Signature of the candidate)

Countersigned by
 (Name of Medical Officer)

Appendix C

[Refers to Para 22 (c)]

Visual Standards for CDSE (Flying) Candidates on Entry

Sl No	Branch	Maximum Limits of Refractive Error	Visual Acuity Errors	Colour Vision
1	F(P) including WSOs	Hypermetropia: + 2.0D Sph Manifest Myopia: Nil Retinoscopic myopia: - 0.5 in any meridian permitted Astigmatism: + 0.75D Cyl (within + 2.0D Max)	6/6 in one eye and 6/9 in other, correctable to 6/6 only for Hypermetropia	CP-I

Notes:

Note 1. Ocular muscle balance for personnel covered in Sl. Nos. 1 and 2 should conform to the table given below:-

Standard of Ocular Muscle Balance for Flying Duties

Sl No	Test	Fit	Temporary Unfit	Permanently Unfit
1	Maddox Rod Test at 6 meters	Exo- 6 Prism D Eso- 6 Prism D Hyper- 1 Prism D Hypo- 1 Prism D	Exo- Greater than 6 prism D Eso- Greater than 6 prism D Hyper- Greater than 1 prism D Hypo- Greater than 1 prism D	Uniocular suppression Hyper/Hypo more than 2 prism D
2	Maddox Rod Test at 33 cm	Exo-16 Prism D Eso- 6 Prism D Hyper- 1 Prism D Hypo- 1 Prism D	Exo- Greater than 16 prism D Eso- Greater than 6 prism D Hyper- Greater than 1 prism D Hypo- Greater than 1 prism D	Uniocular suppression Hyper/Hypo more than 2 prism D
3	Hand held	All of BSV grades	Poor Fusional reserves	Absence of SMP,

	Stereoscope			fusion Stereopsis
4	Convergence	Up to 10 cm	Up to 15 cm with effort	Greater than 15 cm with effort
5	Cover Test for Distance and Near	Latent divergence /convergence recovery rapid and complete	Compensated heterophoria/ trophia likely to improve with treatment /persisting even after treatment	Compensated heterophoria

Note 2. Visual standards of Air Wing Cadets at NDA and Flt Cdts of F (P) at AFA should conform to A1G1 F (P) standard (Sl. No. 1)

Note 3. The Sph correction factors mentioned above will be inclusive of the specified astigmatic correction factor. A minimum correction factor upto the specified visual acuity standard can be accepted.

Note : Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/back (dorsal) side of hand. Permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred from further selection. Tribes with tattoo marks on the face or body as per their existing custom and traditions will be permitted on a case to case basis. Commandant Selection Centre will be competent authority for clearing such cases.

APPENDIX-(III)

(Brief particulars of service etc.)

Pay scale of Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

Pay

Rank	Level	(Pay in Rs.)
Lieutenant	Level 10	56,100 - 1,77,500
Captain	Level 10 B	61,300 - 1,93,900
Major	Level 11	69,400 - 2,07,200
Lieutenant Colonel	Level 12A	1,21,200 - 2,12,400
Colonel	Level 13	1,30,600 - 2,15,900
Brigadier	Level 13A	1,39,600 - 2,17,600
Major General	Level 14	1,44,200 - 2,18,200
Lieutenant General HAG Scale	Level 15	1, 82, 200 - 2,24,100
HAG+Scale	Level 16	2,05,400 - 2,24,400
VCOAS/Army Cdr/ Lieutenant General (NFSG)	Level 17	2,25,000/- (fixed)
COAS	Level 18	2,50,000/- (fixed)

MSP to the officer is as follows

Military Service Pay(MSP) to the officers from the rank of Lieutenant to Brigadier	Rs 15,500 p.m. fixed
--	----------------------

Fixed Stipend for cadet Training

Stipend to Gentlemen or Lady Cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at IMA and OTA.	Rs 56,100/-p.m.* (Starting pay in Level 10)
---	---

* On successful commissioning, the pay in the Pay matrix of the Officer commissioned shall be fixed in first Cell of Level 10 and the period of training shall not be treated as commissioned service and arrears on account of admissible allowances, as applicable, for the training period shall be paid to cadets.

QUALIFICATION PAY AND GRANT**(i) Qualification Grant**

Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by newly proposed Higher Qualification incentive (HQI). Order for HQI is yet to be issued by MoD.

(ii) Flying allowance

The Army Aviators (Pilots) serving in the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance as under:-

Lieutenant and above	Level 10 and above	Rs 25,000/- p.m. fixed(R1H1 of Risk and Hardship Matrix)
----------------------	--------------------	--

(iii) Other Allowances

(a)	Dearness Allowance	Admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the civilian personnel from time to time
(b)	Kit maintenance Allowance	Subsumed into the newly proposed Dress Allowance i.e Rs 20,000/-per year

Depending upon rank and area of posting, officer posted to Field Areas will be eligible for the following Field Area allowance:-

Rank	Level	HAFA	Fd Area Allce	Mod Fd Area Allce
Lieutenant and above	Level 10 and above	16900 (R1H2)	10500 (R2H2)	6300 (60% R2H2)

(iv) High Altitude Allowance

Rank	Level	CAT-I (PM)	CAT-II (PM)	CAT-III (PM)
Lieutenant and above	Level 10 and above	3,400 (R3H2)	5,300 (R3H1)	25,000 (R1H1)

(v) Siachen Allowance

Siachen Allowance will be Rs. 42,500/- per month.

(vi) Uniform allowance

Subsumed into the newly proposed Dress Allowance i.e. Rs. 20,000/- per year.

(vii) Free Ration in kind.

- **In Peace and Field areas.**

(viii) Transport Allce (TPTA).

Pay Level	Higher TPTA Cities (Rs. Per month)	Other Places (Rs. Per month)
10 and above	Rs. 7200+DA thereon	Rs. 3600+DA thereon

Note :-

(a) **Higher Tpt Cities (UA).** Hyderabad, Patna, Delhi, Ahmadabad, Surat, Bengaluru, Kochi, Kozhikode, Indore, Greater Mumbai, Nagpur, Pune, Jaipur, Chennai, Coimbatore, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow, Kolkata.

(b) The allowance shall not be admissible to those service personnel who have been provided with the facility of Government transport.

(c) Officers in Pay Level 14 and above, who are entitled to use official car, will have the option to avail official car facility or to draw the TPTA at the rate of Rs. 15,750+DA per month.

(d) The allowance will not be admissible for the calendar month(s) wholly covered by leave.

(e) Physically disabled service personnel will continue to be paid at double rate, subject to a minimum of Rs. 2250 + DA per month.

(ix) Children Education Allowance. Rs. 2250/- per month per child for two eldest surviving only. CEA is admissible from Nursery to 12th Classes.

(i) Reimbursement should be done just once a year, after completion of the financial year (which for most schools coincides with the Academic year).

(ii) Certificate from the head of institution where the ward of government employee studies should be sufficient for this purpose. The certificate should confirm that the child studied in the school during the previous academic year.

In the case of allowances specific to Defence Forces, the rates of these allowances would be enhanced by 25% automatically each time the Dearness Allowance payable on the revised pay band goes up by 50% (GoI letter No. A-27012/02/2017-Estt(AL) dated 16 August 2017).

(iii) Please note that pay and allowances and rules/provisions thereof are subject to revision from time to time

(A) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRADUN:

1. Before the candidate joins the Indian Military Academy.

(a) He will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain. In the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

- (a) His parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered; he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.
2. Candidates finally selected will undergo a course of training for about 18 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as Gentlemen cadets. Gentlemen cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Indian Military Academy, Dehradun.
3. While, the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves.

The minimum expenses at the Indian Military Academy are not likely to exceed Rs. 200.00 per month. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance may be granted by the Government. Gentlemen/Lady Cadets undergoing training at Indian Military Academy, Officers' Training Academy and corresponding training establishments in Navy and Air Force, in whose cases the income of parents/guardians does not exceed Rs. 1,500/- (under revision) per month are eligible for financial assistance. In case of parents/guardians whose income exceeds Rs. 1,500/- (under revision) per month but does not exceed Rs. 2,000/- (under revision) per month, the same financial assistance will be given in respect of all the sons/wards if there are more than one son/ward simultaneously undergoing training in one or more than one of the above institutions irrespective of the fact whether the institutions are under the same service or not. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should, immediately after his son/ward has been finally selected for training at the Indian Military Academy, submit an application through the District Magistrate of his District who will with his recommendation forward the application to the Commandant, Indian Military Academy, Dehradun.

4. Candidate finally selected for training at the Indian Military Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :

(a) Pocket allowance for five months @ Rs. 200.00 per month.	Rs. 1,000.00/-
(b) For item of clothing and equipment	Rs. 2,750.00/-

Total	Rs. 3,750.00/-
--------------	-----------------------

Out of the amount mentioned above the following is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them.

Pocket allowance of five months @ Rs. 200.00 per month.	Rs. 1,000.00/-
--	----------------

5. The following Scholarships are tenable at the Indian Military Academy :

(i) PARSHURAM BHAU PATWARDAN SCHOLARSHIP—This scholarship is awarded to cadets from MAHARASHTRA AND KARNATAKA. The value of one scholarship is upto a maximum of Rs. 500.00 per annum for the duration of a cadet's stay at the Indian Military Academy subject to the cadet's making satisfactory progress. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(ii) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and is awarded to an eligible Maratha cadet who should be a son of ex-serviceman. The Scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

6. An outfit allowance at the rate and under the general conditions applicable at the time for each cadet belonging to the Indian Military Academy will be placed at disposal of the Commandant of the Academy. The unexpended portion of the allowance will be :—

- (a) handed over to the cadet on his being granted a commission or
- (b) if he is not granted a commission refunded to the State.

On being granted a commission article of clothing and necessities purchased from the allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles will, however be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

7. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen Cadet resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Indian Military Academy. A Gentlemen Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may with permission of the Government, be discharged after paying the cost of Training laid down by the Govt. of India. Service candidates under these circumstances will be reverted back to their parent Unit.

8. Commission will be granted only on successful completion of training. The date of commission will be that following the date of successful completion of training. Commission will be permanent.

9. Pay and allowances, pensions, leave and other conditions of service after the grant of commission will be identified with those applicable from time to time to regular officers of the army.

10. Training: At the Indian Military Academy Army Cadets, known as Gentlemen Cadets, are given strenuous Military training for a period of 18 months aimed at turning out, officers capable of leading infantry subunits. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt. subject to being medically fit, in S.H.A.P.E.

11. Army Group Insurance: The Lady/Gentlemen Cadets when in receipt of stipend are insured for Rs. 75 lakhs. Lady/Gentleman Cadets who are invalidated out from Academy by IMB on account of disability and not entitled to any pension will be provided Rs. 25 lakhs for 100 percent disability. This will be proportionately reduced to Rs. 5 lakhs for 20 percent disability. However, for less than 20 percent disability an ex-gratia grant of Rs. 50,000/- will be paid. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and Ex-Gratia Grant. In addition, Lady/Gentlemen Cadets withdrawn on disciplinary grounds, expelled as an undesirable or voluntarily leaving the Academy will also not be eligible for disability benefits and Ex-Gratia. Subscription at the rate of Rs. 5,000/- will have to be paid in advance on monthly basis by the Gentleman Cadets to become members under the AGI Scheme as applicable to Regular Army Officers. The subscription for the relegated period would also be recovered at the same rate.

12. The following monetary benefits are available to the Cadets (Direct)/NoKs in the event of invalidment on medical grounds/death of a Cadet (Direct) due to causes attributable to or aggravated by military training:

(a) In Case Of Disablement

- (i) Monthly Ex-gratia amount of Rs. 9,000/- per month.
- (ii) Ex-gratia disability award @ Rs. 16200/- per month shall be payable in addition for 100% of disability during period of disablement subject to prorata reduction in case the degree of disablement is less than 100%. No disability award shall be payable in cases where the degree of disablement is less than 20%.
- (iii) Constant Attendant Allowance (CAA) @ Rs 6750/- per month for 100% disabled on the recommendation of Invaliding Medical Board (IMB).

(b) IN CASE OF DEATH

- (i) Ex-gratia amount of Rs. 12.5 lakhs to the NoK.
- (ii) Ex-gratia amount of Rs. 9000/- per month to the NoK.

(c) The Ex-gratia awards to Cadets (Direct) / NoK, shall be sanctioned purely on ex-gratia basis and the same shall not be treated as pension for any purpose. However, dearness relief at applicable rates shall be granted on monthly ex-gratia as well as ex-gratia disability award. (Authority: GOI/MOD letter No.17(01)/2017(01)D(Pension/ Policy) dated 04 Sep 2017 as amended vide para 11 & 12 of GOI/MOD letter No.17(02)/2016 D(Pen/Pol) dated 04 Sep 2017.

13. Terms and Conditions of Service**(i) POSTING**

Army officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

(ii) PROMOTION**Substantive promotions**

The following are the service limits for the grant of the substantive promotion to higher ranks.

By time scale :

- Lt. (On completion of training)
- Capt. 2 years of reckonable commissioned service
- Major 6 years of reckonable commissioned service
- Lt. Col. 13 years of reckonable commissioned service
- Col (TS) 26 years of reckonable commissioned service

“The Qualifying service for consideration for promotion by Selection is as under”

- Col. 15 years of reckonable commissioned service
- Brigadier 23 years of reckonable commissioned service
- Major Gen. 25 years of reckonable commissioned service
- Lt. Gen. 28 years of reckonable commissioned service
- General No restrictions

(B) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN NAVAL ACADEMY, EZHIMALA, KERALA

- (i) Candidates selected for training at the Indian Naval Academy will be appointed as Cadets under the Graduate Cadet Special Entry Scheme (GSES) Course. The Selection of the cadets is based on the candidate qualifying in the Combined Defence Service Examination (CDSE), followed by SSB interview and Medical Examination. Meritorious candidates who are medically fit are appointed to the 26 vacancies in the order of merit. Six of these 26 vacancies are reserved for Naval NCC 'C' Certificate holding candidates under the NCC Special Entry Scheme.
- (ii) Selection of Cadets from the National Cadet Corps. The eligibility, age-limits, educational qualifications for candidates applying under the NCC Special Entry Scheme are the same as the GSES candidates except for the following:-
 - a) A NCC Cadet must have served for not less than three academic years in the Senior Division, Naval Wing of the National Cadet Corps, and must be in possession of Certificate "C" (Naval). Those who have appeared or intend to appear for certificate "C" examination are also eligible to apply but their final selection shall depend on producing the Certificate before the commencement of the course.
 - b) The NCC Cadet must be in possession of a certificate of good conduct and character from his University or Principal of his College.
 - c) A NCC Cadet shall not be eligible to apply after twelve months of leaving the Senior Division, Naval Wing of the National Cadet Corps

- d) In order to apply, a cadet must submit his application to his Officer Commanding, N.C.C Unit, Naval Wing, who shall forward it through the Circle Commander concerned to the N.C.C. Directorate, Ministry of Defence, New Delhi. The N.C.C. Directorate will forward the applications to the Chief of the Naval Staff. The applications shall be submitted on the prescribed form. These forms will be available at all N.C.C. Units.
- e) Candidates who are considered prima facie suitable shall be required to appear before a Service Selection Board for interview and other tests.
- f) Candidates to be finally selected should at least secure the minimum qualifying marks at the Services Selection Board. Subject to this condition and to their being declared medically fit, successful candidates shall be placed in the order of merit based on the total marks secured in the written examination and the Service Selection Board interview. The final selection shall be made in the order of merit up to the number of vacancies available.
- (iii) Candidates, finally selected for training at the Academy will be appointed as cadets in the Executive Branch of the Navy. A sum of Rs. 35,000/- should be brought by them and deposited in the bank account, which they would be opening at the State Bank of India, Ezhimala branch, on arrival. Since it is a large amount, it is advised that they carry a demand draft payable to self. The deposit money would be used to meet the following expenditures:—
- | | |
|---|--|
| (a) Pocket/Personal expenses | Rs. 5,000/-
@ Rs. 1,000/- per month |
| (b) Expenses on Laundry, Civilian-bearer, Cinema, hair cutting and other sundry services | Rs. 4,250/-
@ Rs. 850/- per month |
| (c) Expenses on stitching/purchase of Academy Blazer, Academy tie, Academy Mufti, Academy Sportswear, Jogging shoes, Jungle boots, Swimming Trunk/suits and Satchels. | Rs.20,000/- |
| (d) Travelling expenses for proceeding to next duty station/home station on leave on completion of Naval Orientation Course on return Journey at the end of the term. | Rs. 2,000/- |
| (e) Insurance: The GSES cadets would have to pay Rs. 2303/- one time non-refundable contribution for an Insurance cover of Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lakh only) for a period of six months. Their disability cover and contribution if relegated would be at par with Non-GSES cadets (NGIF letter No. BA/GIS/215 dated 06 Nov 2018). | |
- (iv) Training: Selected candidates may be appointed as cadets on reporting at the Indian Naval Academy. The candidates shall remain under probation till completion of initial training which is as follows:-
- | | |
|---|--------------|
| (a) Naval Orientation Course at INA, Ezhimala | 44 weeks |
| (b) Officers Sea Training at Training Ship | 06 months |
| (c) Sub-Lieutenant Afloat training | 06 months |
| (d) Sub-Lieutenant (Technical course) | 33 weeks |
| A float attachment for award of | |
| (e) Full Naval watch-keeping Certificate | 06-09 months |
- (v) Commissioning & Other Benefits The cadets shall be commissioned in the rank of Sub-Lieutenant after successful completion of approximately 18 months of training. The careers prospects, leave benefits,

leave and travel concession, pensionary/retirements benefits and all such perks and privileges provided to officers in the Navy is similar to those being provided by the two services.

(vi) The cost of training including accommodation and allied services, books, uniform, messing and medical treatment of the cadets of the Indian Naval Academy will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will, however, be required to meet their pocket and other private expenses while they are cadets. When a cadet's parent or guardian has an income less than Rs. 1500 per mensem and is unable to meet wholly or partly the pocket expenses of the cadet financial assistance upto Rs.140 per mensem may be granted by the Government. A candidate desirous of securing financial assistance may immediately after his selection, submit an application through the District Magistrate of his District, who will with his recommendations, forward the application to the Principal Director of Manpower Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

Note: Further information, if desired, may be obtained from the Directorate of Manpower, Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

(C) FOR CANDIDATES JOINING THE AIR FORCE ACADEMY

1. There are three modes of entry in F(P) Course viz. CDSE/NCC Special Entry/AFCAT. Candidates who apply for Air Force through more than one source will be tested/interviewed at Air Force Selection Boards as per type of entry. Common candidate who fail in Computer Pilot Selection System (CPSS) cannot be tested for flying branch in IAF.

2. Detailing for Training—Candidates recommended by the AFSBs and found medically fit by appropriate medical establishment are detailed for training strictly on the basis of merit and availability of vacancies. Separate merit list are prepared for Direct Entry candidates through UPSC and for NCC candidates. The merit list for Direct Entry Flying (Pilot) candidates is based on the combined marks secured by the candidates in the tests conducted by the UPSC and at the Air Force Selection Boards. The merit list for NCC candidates is prepared on the basis of marks secured by them at AFSBs.

3. Training—The approximate duration of training for Flying Branch (Pilots) at the Air Force Academy will be 74 weeks.

Insurance cover during Flying Training—(Rates are under revision).

Air Force Group Insurance Society would pay Rs. 1,00,000/- for a monthly contribution of Rs. 800/- pm as ex-gratia award to the next-of-kin of a flight cadet drawn from Civil life and undergoing flying training in an unfortunate eventuality. In case, flight cadet undergoing flying training is medically invalidated boarded out, he would be paid Rs. 20,000/- as ex-gratia award for 100% disability and this reduces proportionately upto 20%.

Cadets are authorised fixed stipend amounting to Rs. 21,000/- per month (Rs. 15,600/- pay in the pay band and Rs. 5,400/- as grade pay) during training. "On successful completion of training the stipend admitted will be converted as pay for all purposes. However, the period of training shall not be treated as commissioned service."

Once flight cadets are granted pay and allowances by government, the death cover would be Rs. 50,000/- and the disability cover would be Rs. 25,000/- for 100% disability. This cover would be provided by AFGIS on payment of monthly non-refundable contribution of Rs. 76/- by each flight cadet undergoing flying training for which membership would be compulsory.

Conditions governing Financial Assistance:

(i) While the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses at the Air Force Academy are not likely to exceed Rs. 14,000/- (under revision) per mensem. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly/partly even this expenditure, financial assistance may be granted by the Government. No cadet whose parent or guardian has an income of Rs. 750/- or above per month would be eligible for the grant of the financial assistance. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance. The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should immediately, after his son/ward has been finally selected for training at the Air Force

Academy, submit an application through the District Magistrate of his district who will, with his recommendations, forward the application to the Commandant, Pre Flying Training Courses, Begumpet.

(ii) Candidates finally selected for training at the Air Force Academy will be required to deposit the following amount (under revision) with the Commandant on arrival:—

(a) Pocket allowance for six months @ Rs. 140/- per month	Rs.840/-
(b) For item of clothing and equipment	Rs.1,500/-
Total	Rs. 2,340/-

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned.

Pocket allowance for the six months @ Rs. 140/- per month—	Rs. 840/-
---	-----------

4. Career Prospects :

After successful completion of training, the candidates pass out in the rank of Flying Officer and will be entitled to the pay and allowances of the rank. Time scale promotions to the rank of Flight Lieutenant, Squadron Leader, Wing Commander and Group Captain are granted on completion of 2 years, 6 years, 13 years and 26 years of successful service respectively. Grant of Group Captain (select) and higher ranks is only by selections. Promising officers have a fair chance of getting higher promotions to air ranks—Air Commodore, Air Vice Marshal and Air Marshal.

5. Leave and Leave Travel Concession:

Annual Leave—60 days a year.

Casual Leave—20 days a year.

Officers are authorised encashment of Annual Leave upto 10 days alongwith LTC to the extent of a total 60 days in a career span to cover incidental expenses on travel.

Officers when proceeding on annual/casual leave, irrespective of its duration, is entitled for free conveyance from place of duty (unit) to home town and back once in the second year of his service for the first time and thereafter every alternate year to any place in India in lieu of home town or selected place of residence without any distance restriction.

In addition officers of Flying branch employed on regular Flying Duties in vacancies in authorised establishment are allowed, while proceeding on leave once every year on warrant a free rail journey in the appropriate class upto a total distance of 1600 kms. for the forward and return journeys both inclusive.

Officers when travelling on leave at their own expenses are entitled to travel by entitled class or lower class on payment of 60 per cent of the fare for self, wife and children from unit to any place within India on 6 one-way journey Form 'D' in a calender year. Two of these Form 'D' may be availed of for the entire family. In addition to wife and children family includes parents, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent upon the officers.

6. Other Privileges:

The officers and their families are entitled to free medical aid, accommodation on concessional rent, group insurance scheme, group housing scheme, family assistance scheme, canteen facilities etc.

(D) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI

1. Before the candidate join the Officers Training Academy Chennai.

- (a) He/she will be required to sign a certificate to the effect that he/she fully understands that he/she or his/her legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he/she may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him/her for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

- (b) His/her parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his/her control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered or marries while under training at the Officers' Training Academy, he/she will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training at the Officers' Training Academy, for an approximate period of 49 weeks. Candidates will be enrolled as Gentlemen/Lady Cadets. Gentlemen/Lady Cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Officers' Training Academy.

3. While, the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves.

The minimum expenses during the pre commission training are not likely to exceed Rs. 200/- per month but if the cadets pursue, any hobbies such as photography, hiking etc. they may require additional money. In case however, the cadet is unable to meet wholly or partly even the minimum expenditure, financial assistance at rates which are subject to change from time to time, may be given provided the cadet and his/her parent/guardian, have an income below Rs. 1500 per month. A candidate desirous of having financial assistance should immediately after being finally selected for training submit an application on the prescribed form through the District Magistrate of his/her district who will forward the application to the Commandant, Officers' Training Academy, Chennai alongwith his/her Verification report.

4. Candidates finally selected for training, at the Officers' Training Academy, will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :

- | | |
|---|--------------|
| (a) Pocket allowance for three month
@ Rs. 1,000 per month | Rs. 3,000/- |
| (b) For items of clothing and
equipment | Rs. 5,000/- |
| (c) Group Insurance Coverage
for 02 months (AGIF) | Rs. 10,000/- |

Total

Rs. 18,000/-

Out of the amount mentioned above the amount mentioned in (b) above is refundable to the Cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them.

5. Outfit allowance will be admissible under order as may be issued from time to time. On being granted a commission, articles of clothing and necessities purchased from this allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles, will however be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

6. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen/Lady Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Officers' Training Academy.

7. On joining OTA, cadets will be allowed to apply and proceed for civil central job interview/SSB in the first term of the training only. However, no cost of training including messing charges will be recovered from these Gentlemen Cadets, who may resign from the Officers Training Academy, Chennai to undergo pre-commission training at the Indian Military Academy, Dehradun or corresponding cadet training establishment in Navy and Air Force, if so selected.

8. A Gentleman/Lady Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may, with permission of Government, be discharged after paying cost of training laid down by the Government of India. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

9. Training :

Selected candidates will be enrolled as Gentleman/Lady Cadets and will undergo a course of training at the Officers' Academy for an approximate period of 49 Weeks. On successful completion of training Gentleman/Lady Cadets are granted Short Service Commission in the rank of Lt. From the date of successful completion of training. University of Madras will award "Post Graduate Diploma in Defence Management and Strategic Studies" to all cadets who successfully complete Pre-commissioning training at Officers Training Academy, Chennai. Candidates withdrawn from Officers' Training Academy on disciplinary grounds are not eligible to apply.

10. Terms and conditions of Services:

(a) Period of probation:

An officer will be on probation for a period of 6 months from the date he/she receives his/her commission. If he/she is reported on within the probationary period as unsuitable to retain his/her commission, he/she may be terminated any time whether before or after the expiry of the probationary period.

(b) Posting:

Personnel granted Short Service Commission is liable to serve anywhere in India and abroad on selected appointments as decided by IHQ MOD (Army) from time to time.

(c) Tenure of Appointment:

Short Service Commission will be granted to Male and Female in the regular Army for 14 years i.e. for an initial period of 10 years extendable by a further period of 04 years. Male and Female officers who are willing to continue to serve in the Army after the expiry of period of ten years Short Service Commission may, if eligible and suitable in all respects, be considered for the grant of Permanent Commission in the 10th year of their Short Service Commission in accordance with the relevant policies as issued from time to time.

Those SSC officers (Male and Female) who are not selected for grant of PC but are otherwise considered fit and suitable, will be given options to continue as SSCOs for a total period of 14 years (including the initial tenure of 10 years) on expiry of which they will be released from the Army.

(d) Special Provision for Release for SSC on completion of 5th Year of Service:

SSC (Non-Tech) Male & Female Officers, other than those who undergone or are undergoing Degree Engineering Course or any other specialized course of such nature, who are desirous of leaving the service after completion of five years service may, during the fifth year of service, apply to the Army HQs. for release. Army HQ will consider the applications of such officers on merits and the decision of the Army HQ will be final and irrevocable. On approval of such officers will be released from service on completion of 5th year of service. Those SSC (Non-Tech) Male & Female Officers who have undergone or are undergoing Degree Engineering Course or any other specialised course of such nature, will not be released before expiry of full tenure of 14 years unless the cost of training of such specialized course as prescribed is recovered from them. The Combat Aviation Course which is mandatory for Aviators is specialized course for Short Service Commissioned Officers. They will be required to execute a bond to this effect on being nominated for undertaking Degree Engineering Course/Special Course of such nature. In addition to all instructions in force for various courses of instructions, the following restrictions would apply to all SSC Officers for all courses except mandatory course :-

- All SSC Officers (Male & Women), less officers of Army Aviation Corps, will be required to give an undertaking before undergoing a 'Specialized/other category' course that they would be willing to serve for minimum five years beyond termination of the course.
- All SSCOs (Male & Women) of Army Aviation Corps will give an undertaking before commencement of the course that they will:-

- (aa) Be willing to serve for minimum 12 years beyond termination of the course,
- (ab) Be obliged to opt for PRC as well as seek extension when giving undertaking for specialized course.

(e) Special Provisions during Extended Tenure:

During extended tenure, they will be permitted to seek release from the Army on the following grounds:—

- (i) Taking up civil Job.
- (ii) Pursuing higher education.
- (iii) Starting own business/joining family business.

(f) Substantive Promotion :

SSCOs male and female granted Short Service Commission under these rules will be eligible for substantive promotion as under:—

- | | |
|-------------------------------|--|
| (i) To the rank of Capt. | on completion of 2 years reckonable commissioned service |
| (ii) To the rank of Major | on completion of 6 years reckonable commissioned service. |
| (iii) To the rank of Lt. Col. | on completion of 13 years reckonable commissioned service. |

(g) Mandatory Conditions:

Mandatory conditions for grant of above substantive ranks laid down for Permanent Commissioned officers as well as the eligibility, time limit and penalties for promotions exam Part B and D as applicable to permanent commission officers also be similarly applicable to SSCOs male and female.

h) Adjustment of Seniority:

To make adjustment for shorter training of SSC male and female vis-a vis PC officers, the seniority of SSC male and female officers will be depressed by the period corresponding to the difference in training period between the SSC course under consideration and the training period of its equivalent PC Course. This adjustment of seniority will be carried out at the time of grant of first substantive rank of captain. The revised seniority will have no effect on the pay and allowances granted in the rank of **Capt.** Major and Lt.Col.

(i) Reckonable Commissioned Service:

Subject to provision of Para 10 (h) above, reckonable commissioned service for the purpose of these orders will count from the date of grant of Short Service Commission to an officer. The period of service forfeited by sentence of Court Martial or any summary award under the Army Act and the period of absence without leave will not be reckonable. The period during which furlough rates of pay are drawn and the period of captivity at POWs rates of pay will be reckonable. The period of service for promotion lost by an officer in consequence of his/her having been granted leave without pay will also be reckonable. Such an officer will, however, become entitled to the pay and allowances of the higher substantive rank granted by the inclusion of this period only from the date on which he/she would have qualified by service if this period had not been so reckoned and not with effect from the date of grant of substantive rank.

(j) Leave: Leave will be admissible in accordance with the Leave Rules for the Service Vol. 1-Army as amended from time to time.

For leave, officers will be governed by rules applicable to Short Service Commission officers as given in Chapter IV of the Leave Rules for the Service Vol.I-Army. They will also be entitled to leave on passing out of the Officers Training Academy and before assumption of duties under the provision of the Rule 69 *ibid.*

SSC Women Officers will also be eligible for following kinds of Leave:

- **Maternity Leave:** Woman officer of the Army – Rule 56 of Chapter-IV of Leave Rule for the Services Vol.I-Army, Fourth Edition.
- **Child Care Leave :** Woman Officers of the Army – Rule 56A of Chapter-IV of Leave Rules for the Services Vol.I-Army, Fourth Edition as amended vide GOI MoD letter No.B/33922/AG/PS-2(b)/3080/D(AG-II) dated 19 Nov 2018.
- **Child Adoption Leave :** Woman Officers of the Army – Rule 56B of Chapter-IV of Leave Rules for the Services Vol.I-Army, Fourth Edition.

(k) Termination of Commission

The Commission of an officer may be terminated at any time by the Government of India for the following reasons:-

- (i) For misconduct or if services are found to be unsatisfactory: or
- (ii) on account of medical unfitness; or
- (iii) if his/her services are no longer required or
- (iv) if he/she fails to qualify in any prescribed test or course.

An officer may on giving 3 months notice be permitted to resign his/her commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his/her commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity.

(l) Terminal Gratuity:

SSCO recruited from civil side are entitled to terminal gratuity @ 1/2 months emoluments for each completed six monthly period of service.

(m) Reserve Liability:

On being released on the expiry of five/ten years Short Service Commission or extension thereof (as the case may be) they will carry a reserve liability for a period of five years or upto the age of 40 years in case of Male Officers and 37 years in case of Female Officers which is earlier.

(n) Miscellaneous:

All other terms and conditions of service where not at variance with the above provisions will be the same as for regular officers.
